SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

हरियाणा सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1

(राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

हरियाणा सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix-xiv
अध्याय-1		
विहंगावलोकन		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1-4
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-4
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5-9
वित्तों के स्नैपशॉट	1.3.1	8-9
सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट	1.3.2	9
राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	10-13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.5	14-16
राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.5.1	14
लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	1.5.2	14-16
अध्याय-2		
राज्य के वित्त		
प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	17-18
राज्य के संसाधन	2.3	19-33
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	19-21
राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	21-32
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	32-33
संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.3.4	33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	33-50
व्यय की वृद्धि एवं सरंचना	2.4.1	33-35
राजस्व व्यय	2.4.2	35-45
पूंजीगत व्यय	2.4.3	45-49
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	49-50
प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	50
लोक लेखा	2.5	51-59
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	51-52
आरक्षित निधियां	2.5.2	52-57
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर की निधियां	2.5.3	57-59

	अनुच्छेद	पृष्ठ
लोक देयता प्रबंधन	2.6	59-67
देयता प्रोफ़ाइल: घटक	2.6.1	60-64
ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.6.2	64-67
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	67-76
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	71-73
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.7.2	73-74
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.3	74-76
निष्कर्ष	2.8	76-77
सिफारिशें	2.9	77
अध्याय-3		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	79-87
सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन	3.1.1	81-83
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश	3.1.2	83
बजट मार्क्समैनशिप	3.1.3	83-87
विनियोग लेखे	3.2	87
बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	87-95
बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना	3.3.1	87-88
अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.2	89
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुन:विनियोग	3.3.3	89-90
निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना	3.3.4	90-91
बचत	3.3.5	91-94
अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण	3.3.6	94-95
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.4	95-100
बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	3.4.1	95-97
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय	3.4.2	97-99
व्यय की अधिकता	3.4.3	99-100
आकस्मिक निधि से अग्रिम	3.4.4	100
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	100-111
अनुदान संख्या 10 की समीक्षा	3.5.1	101-105
अनुदान संख्या 20 की समीक्षा	3.5.2	105-111
निष्कर्ष	3.6	112
सिफारिशें	3.7	112

	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-4		
लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार		
ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना	4.1	113
बजट से बाहर उधार	4.2	113-114
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां	4.3	114
स्थानीय निधियों की जमा राशि	4.4	114
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.5	114-116
सार आकस्मिक बिल	4.6	116
लघु शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग	4.7	116-118
उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष	4.8	118
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.9	119
नकद शेष का मिलान	4.10	119
प्रतिकूल शेष	4.11	119
लेखांकन मानकों की अनुपालना	4.12	120
लेखों के संकलन से संबंधित मामले	4.13	120
ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान	4.13.1	120
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	4.14	120-121
लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब	4.15	121
विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां	4.16	121-122
लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.17	122
दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि	4.18	122-123
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.19	124
निष्कर्ष	4.20	124
सिफारिशें	4.21	124-125

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	127
1.2	31 मार्च 2024 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.3.2	128
2.1	वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	2.2	129-130
2.2	राज्य सरकार के वित्तों का समय क्रम डाटा	2.3.2.1	131-132
2.3	राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2024 तक राजस्व का बकाया	2.3.2.2 (iii)	133
2.4	वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखों के अनुसार सरकारी निवेश	2.4.3.2 (ii)	134
2.5	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण	2.4.3.2 (iii)	135
3.1	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया	3.1.3 (iii)(क)	136-137
3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	3.1.3 (iii)(ख)	138-140
3.3	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	3.1.3 (iii)(ग)	141
3.4	उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था, लेकिन व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(घ)	142
3.5	उन योजनाओं का विवरण (₹ 50 करोड़ और अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम हुआ लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(ङ)	143-144
3.6	उन योजनाओं (₹ 50 करोड़ और अधिक) का विवरण जिनमें बजट अनुमान संशोधित अनुमान में कम कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक था	3.1.3 (iii)(च)	145
3.7	उन योजनाओं का विवरण जिनमें मूल अनुमान और संशोधित अनुमान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान) समान थे लेकिन व्यय प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(छ)	146
3.8	उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(ज)	147
3.9	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए मूल अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान समान था लेकिन व्यय प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक था	3.1.3 (iii)(झ)	148

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.10	उन मामलों का विवरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ	3.3.2	149-150
3.11	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुन:विनियोग का विवरण	3.3.3	151-160
3.12	मार्च 2024 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	161-163
3.13	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.5 (i)	164-165
3.14	उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.5 (i)	166-170
3.15	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान था और बचत कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी	3.3.5 (ii)	171-174
3.16	वर्ष की अंतिम तिमाही/महीने में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ और कुल व्यय का 50 प्रतिशत और उससे अधिक है	3.4.3	175
3.17	2023-24 के दौरान तिमाहीवार व्यय दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	176
3.18	अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत	3.5.1 (iii)	177
3.19	अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2023-24 में बचत (₹ 10 करोड़ एवं 30 प्रतिशत) का योजनावार विवरण	3.5.2 (ii)	178-179
3.20	31 मार्च 2024 को बैंक बैलेंस दर्शाने वाला विवरण	3.5.2 (iv)	180
3.21	नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित राशि का विवरण	3.5.2 (iv)	181
3.22	नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित शेष राशि का विवरण	3.5.2 (iv)	182
3.23	अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत	3.5.2 (vii)	183-184
4.1	राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां	4.3	185
4.2	31 मार्च 2024 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण	4.5	186-188
4.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखों के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.14	189-190

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से 3 में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 'लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग' चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा (स्टैंडअलोन) के निष्कर्षों, विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियों का प्रतिवेदन और राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा सरकार के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार और राज्य के वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है तथा महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजटीय प्रयोजन के विरुद्ध निष्पादन, राजस्व एवं व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (मौजूदा कीमतों पर) 9.63 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 7,38,052 करोड़ से 2023-24 में ₹ 10,95,535 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 10.83 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,56,449.71 करोड़ से 2023-24 में ₹ 2,36,560.07 करोड़ हो गया। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.83 प्रतिशत थी। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 13.59 प्रतिशत की दर से बढ़ी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 9.25 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्व-कर राजस्व में 15.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण और अग्रिम) 2022-23 में ₹ 1,20,533 करोड़ से 10.49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2023-24 में ₹ 1,33,172 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2022-23 से 6.38 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा ₹ 17,212 करोड़ से घटकर ₹ 11,881 करोड़ हो गया, जिसमें 2022-23 की तुलना में 30.97 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 2023-24 में ₹ 31,441 करोड़ हो गया, जिसमें 1.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

प्राप्ति-व्यय बेमेल

प्राप्तियों और व्यय के मध्य निरंतर बेमेल बढ़ते राजकोषीय दबाव को दर्शाता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्व-राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, संघ सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे के साथ-साथ पूंजीगत लेखा (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

2019-20 से 2023-24 तक, राजस्व प्राप्तियां 9.19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 67,858 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,01,315 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत

प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिम सहित) भी ₹ 48,617 करोड़ से बढ़कर ₹ 63,143 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 में 15.51 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 8.25 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,769 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के अवसरंचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। 2019-20 और 2023-24 के मध्य, राजस्व व्यय ₹ 84,848 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.50 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,13,196 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.33 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार आठ प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (82 से 93 प्रतिशत) बना रहा।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 16,990 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.30 प्रतिशत) से घटकर चालू वर्ष में ₹ 11,881 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.08 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत लेखा में ₹ 15,921 करोड़ खर्च किए। वर्ष 2023-24 में यह कुल व्यय का 11.96 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय कुल उधारी का केवल 18 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान व्यय को पूरा करने और उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹ 31,441 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की प्रमात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला प्रभार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय ने 2019-20 और 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का 54-56 प्रतिशत संघटित किया। प्रतिबद्ध व्यय औसतन 8.76 प्रतिशत की दर से बढ़ा अर्थात 2019-20 में ₹ 46,786 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 62,980 करोड़ हो गया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय राजस्व व्यय के 7.90 प्रतिशत से घटकर 6.32 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। अनम्य व्यय 2022-23 में 22.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,865 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 7,157 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 70,137 करोड़ था; राजस्व व्यय का 62 प्रतिशत। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजीगत निर्माण के लिए कम नम्यता के साथ छोड़ देती है।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी पर व्यय 2019-20 में ₹ 8,105 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ हो गया, 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया, 2022-23 में घटकर ₹ 9,360 करोड़ हो गया और 2023-24 में बढ़कर ₹ 10,718 करोड़ हो गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 10.58 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.47 प्रतिशत था। विद्युत के लिए: ₹ 7,947 करोड़ (74.15 प्रतिशत), कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए: ₹ 2,236 करोड़ (20.86 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग के लिए: ₹ 436 करोड़ (4.07 प्रतिशत) और सामाजिक सेवाओं के लिए: ₹ 99 करोड़ (0.92 प्रतिशत) की सब्सिडी वितरित की गई।

बजट से बाहर उधार

राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से वर्ष के आरंभ में अर्थात 1 अप्रैल 2023 को ₹ 279.10 करोड़ के बकाया ऋणों के विरुद्ध हुडको को ऋण के रूप में ₹ 77.50 करोड़ (₹ 55 करोड़ जमा ₹ 22.50 करोड़) की राशि चुकाई। वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया गया, जिससे वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च 2024 को ₹ 201.60 करोड़ का शेष रह गया।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2024 तक ₹ 24,214.81 करोड़ की कुल गारंटियों में से 95.96 प्रतिशत (₹ 23,235.96 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 7,313.36 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम (₹ 2,575.47 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 7,231.56 करोड़), हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 717.07 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,398.50 करोड़) के संबंध में थी। 2023-24 के दौरान दी गई गारंटी के लिए सरकार द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से बाहर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के मध्य मेल न होने का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता से सृजित होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण आदि भी शामिल हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम आवश्यकताएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम)/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निश्चित प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2023-24 में, राजस्व घाटा 1.51 प्रतिशत के लक्ष्य/अनुमान के विरुद्ध 1.08 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य/अनुमान के विरुद्ध 2.87 प्रतिशत था; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात 25.45 प्रतिशत के लक्ष्य/अनुमान के विरुद्ध 29.81 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरता विश्लेषण के अनुसार, हरियाणा सरकार की कुल देयता 2019-20 से 2023-24 के दौरान औसतन 12.16 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी है। ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात जो 2020-21 में 32.74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 30.38 प्रतिशत हो गया था, 2023-24 में और घटकर 29.81 प्रतिशत हो गया। रेट स्प्रेड के साथ-साथ डोमर-गैप में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ प्राथमिक बैलेंस में सुधार ने 2023-24 में ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट में योगदान दिया। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राथमिक बैलेंस में नीचे की ओर दबाव अनुकूल रेट स्प्रेड और डोमर-गैप द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऋण अनुपात में मामूली गिरावट आई।

बजट निष्पादन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक अधिकता और बचत दोनों के संदर्भ में वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व भाग में, बजट अनुमान (बी.ई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.31 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और चार अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 4.51 प्रतिशत था। यह छः अनुदानों में 25 प्रतिशत तक, सात अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य; और पांच अनुदानों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन: आबंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह जांच अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के मध्य भिन्नता की सीमा को दर्शाती है। राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 5.66 प्रतिशत था। यह 17 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.99 प्रतिशत था। ऐसा 11 अनुदानों में

25 प्रतिशत तक की बचत, पांच अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य की बचत और दो अनुदानों में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य की बचत के कारण हुआ।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 19 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 8,921.48 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। छः मामलों में, ₹ 4,622 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन दर्शाता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और वास्तविक बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के मध्य विचलन 10 प्रतिशत से कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक तक विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक प्रावधान थे जहां व्यय वास्तविक अनुदान तक भी नहीं पहुंचा। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजटीय व्यवहार अपेक्षित है।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग उन मदों, लेन-देन और इवेंट्स को कवर करती है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मामलों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों जैसे कि ब्याज वाली जमा राशि के संबंध में देयता का निर्वहन न करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी, बैंक खातों में निधियों की पार्किंग और लेखांकन मानकों का अनुपालन पर भी प्रकाश डालता है।

अनुदान/विनियोग से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किए गए अनुदान/विनियोग पर अधिकता प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2023-24 के दौरान दो अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से ₹ 1,335.24 करोड़ अधिक संवितरित किए गए।

भारत सरकार लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानक-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया क्योंकि ऋण एवं अग्रिम के अंतिम शेष का ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा समाधान नहीं किया गया था।

एकल नोडल एजेंसी को निधियां

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस-एसएनए) की राज्य सरकार/एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,577.32 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने ₹ 2,282.28 करोड़ का

केंद्रीय हिस्सा और ₹ 4,080.11 करोड़ का राज्य हिस्सा एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया। ₹ 6,362.39 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 162.46 करोड़ सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 2,975.96 करोड़ सहायतानुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 3,223.97 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। ₹ 2,577.32 करोड़ के केंद्रीय अंशदान के विरूद्ध, अंतरण ₹ 2,282.28 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 295.04 करोड़ का कम अंतरण हुआ।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी/एकल नोडल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,683.41 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं। वित्त लेखों और एकल नोडल एजेंसी के अनुसार आंकड़े समाधान के अधीन हैं।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2024 तक ₹ 17,019.50 करोड़ के 2,037 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे।

निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र, नियत उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग के संबंध में आश्वासन के अभाव को दर्शाते हैं तथा उस सीमा तक लेखों में दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता।

सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 369.67 करोड़ के 855 सार आकस्मिक बिल विस्तृत आकस्मिक बिल के विरुद्ध जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 133.33 करोड़ की राशि के 322 सार आकस्मिक बिल 2022-23 तक की अवधि से संबंधित थे।

विस्तृत आकस्मिक बिलों का विलंब से प्रस्तुतीकरण यह दर्शाता है कि निधियां तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना ही निकाल ली गई थी और इससे लेखों की पूर्णता और सत्यता प्रभावित हो सकती है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करना; सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत न करना; भारत सरकार लेखांकन मानक-3 का अनुपालन न करना; और एकल नोडल एजेंसी से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह 44,212 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21वें स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 3.06 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 2.18 प्रतिशत है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 17वें स्थान पर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 691.51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.16 थी जो अखिल भारतीय औसत 21.92 से कम है। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यत: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां ***तालिका 1.1*** में दर्शाई गई हैं; और 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर और क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः ***चार्ट 1.1*** और ***1.2*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवृत्तियां (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646 (प्रथम आर.ई.)	2,95,35,667 (पी.ई.)
सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.)	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
गत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	-0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रृंखला)	7,38,052	7,29,079	8,68,905 (पी.ई.)	9,84,055 (क्यू.ई.)	10,95,535 (ए.ई.)
राज्य सकल मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.)	6,57,010	6,39,679	7,50,461	8,50,921	9,40,599
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.60	-1.22	19.18	13.25	11.33
गत वर्ष की तुलना में राज्य सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.32	-2.64	17.32	13.39	10.54
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	2,58,006	2,51,311	2,95,325	3,29,777	3,61,993

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

आर.ई.: संशोधित अनुमान, पी.ई.: अनंतिम अनुमान, क्यू.ई.: त्वरित अनुमान और ए.ई.: अग्रिम अनुमान

वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹ 10,95,535 करोड़ था और वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,95,35,667 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,61,993 था जबकि देश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,11,725 था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.83 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 9.01 प्रतिशत थी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। सकल मूल्य वर्धित को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल अचल पूंजीगत सृजन या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में निवल करों के प्रतिपादन में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सकल मूल्य वर्धित और राज्य सकल मूल्य वर्धित (जीएसवीए) डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राज्य सकल मूल्य वर्धित की प्रवृत्तियां ***चार्ट 1.1*** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद बनाम राज्य सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (2019-20 से 2023-24)

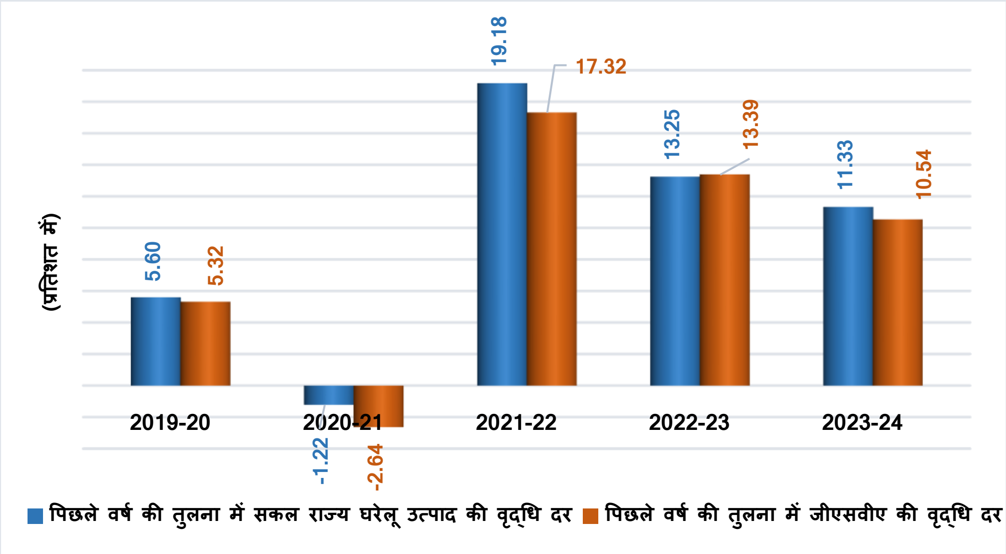

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि

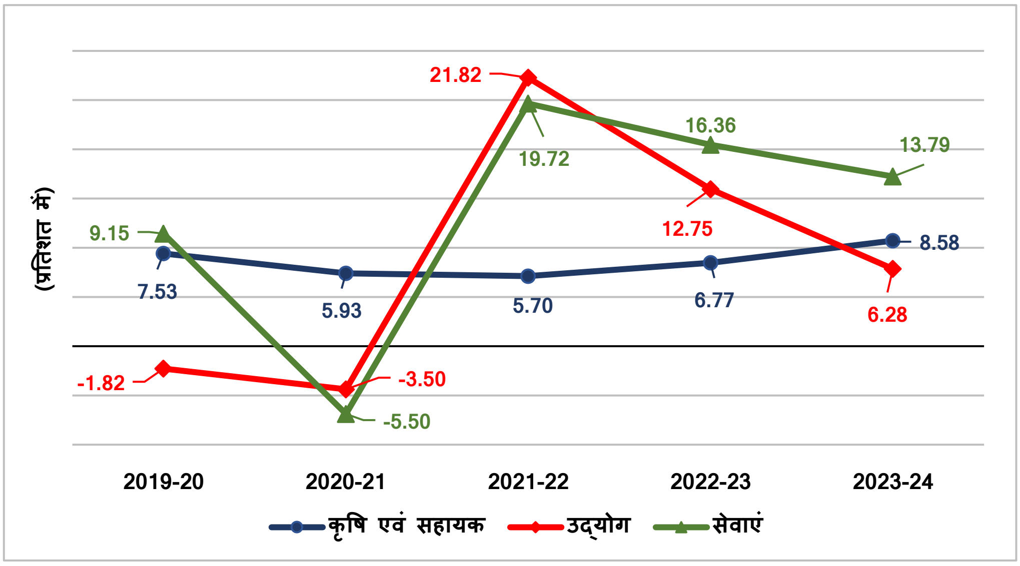

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि में 2019-20 से 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गिरावट देखी गई और उसके बाद महामारी के प्रभाव से खपत और व्यापार में सुधार के कारण 2021-22 में इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही, क्योंकि इन क्षेत्रों की वित्तीय सेवाओं को छोड़कर उप-गतिविधियों की वृद्धि दर में कमी आई। इसके अलावा, 2019-20 से 2021-22 के दौरान, कृषि एवं सहायक क्षेत्र घटती दर से बढ़ रहा था।

इसके बाद, वर्ष 2022-24 के दौरान इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उप-गतिविधि अर्थात फसलों की वृद्धि दर में वृद्धि के कारण वृद्धि दर बढ़ी।

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को खजानों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं, द्वारा प्रदान किए गए वाऊचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आवंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और खजानों के पास उपलब्ध अन्य डाटा;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2005 और भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी किया जाता है।

1.3 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचंत शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते अंतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान का विषय नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि, तथा
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छोड़ी गई नम्यता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना अथवा कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में अंतर्निहित नंबरिंग लॉजिक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्व प्राप्तियों के लिए 0 और 1, राजस्व व्यय के लिए 2 और 3, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ प्रयोजन शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यत: "वेतन" प्रयोजन शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" प्रयोजन शीर्ष पूंजीगत व्यय है। प्रयोजन शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना

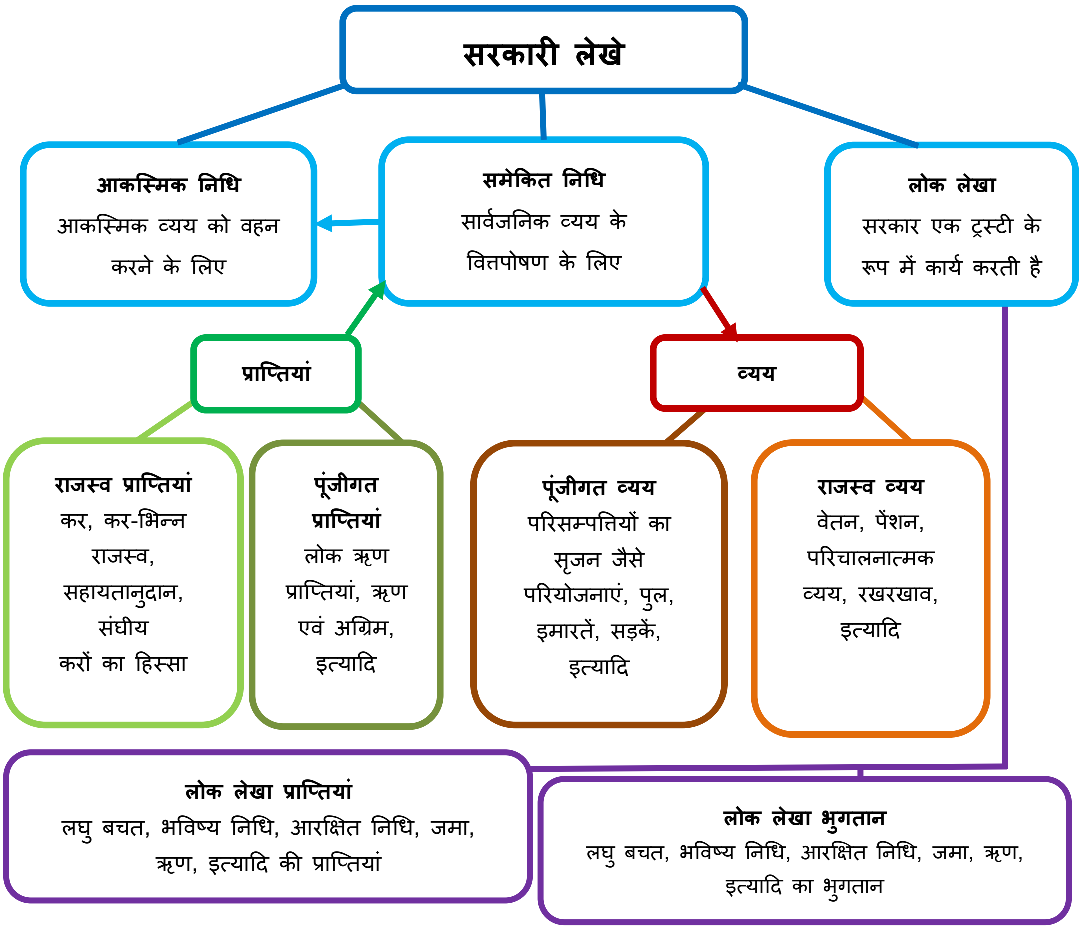

स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

लोक ऋण और सार्वजनिक देयता: इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों आदि को शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004-लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि को वसूल करने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में खजानों और करंसी चेस्टों के मध्य नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्कल के मध्य अंतरण जैसे लेनदेन को समायोजित करना शामिल है।

इस प्रतिवेदन में, 'सार्वजनिक देयता' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेनदेन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेन को शामिल किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है।

1.3.1 वित्तों के स्नैपशॉट

तालिका 1.2 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान (बीई) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक)	वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता	वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	73,338.80	86,880.93	84,856.47	97.67	7.75
	(i) स्व-कर राजस्व	62,960.80	75,716.50	72,511.12	95.77	6.62
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	10,378.00	11,164.43	12,345.35	110.58	1.13
2	कर-भिन्न राजस्व	8,742.63	12,651.01	8,103.00	64.05	0.74
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,113.26	9,590.48	8,355.37	87.12	0.76
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**89,194.69**	**1,09,122.42**	**1,01,314.84**	**92.85**	**9.25**
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	237.75	1,132.80	301.15	26.58	0.03
6	अन्य प्राप्तियां	73.91	5,200.00	114.83	2.21	0.01
7	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	31,026.88	33,274.38	31,441.04	94.49	2.87
8	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**31,338.54**	**39,607.18**	**31,857.02**	**80.43**	**2.91**
9	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**1,20,533.23**	**1,48,729.60**	**1,33,171.86**	**89.54**	**12.16**
10	**राजस्व व्यय (ख)**	**1,06,406.21**	**1,26,071.45**	**1,13,195.70**	**89.79**	**10.33**
11	ब्याज भुगतान	20,095.57	21,249.90	21,604.97	101.67	1.97
12	**पूंजीगत व्यय**	**14,127.02**	**22,658.15**	**19,976.16**	**88.16**	**1.82**
	(i) पूंजीगत परिव्यय	11,664.95	18,460.24	15,920.94	86.24	1.45
	(ii) संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,462.07	4,197.91	4,055.22	96.60	0.37
13	**आकस्मिक निधि का विनियोजन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**1,20,533.23**	**1,48,729.60**	**1,33,171.86**	**89.54**	**12.16**
15	**राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (4-10)**	**(-) 17,211.52**	**(-) 16,949.03**	**(-)11,880.86**	**70.10**	**(-) 1.08**
16	**राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+){(4+5+6)-14}**	**(-) 31,026.88**	**(-) 33,274.38**	**(-)31,441.04**	**94.49**	**(-) 2.87**
17	**प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)**	**(-) 10,931.31**	**(-) 12,024.48**	**(-) 9,836.07**	**81.80**	**(-) 0.90**

स्रोत: **संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।**

(क) ***उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।***

(ख) ***राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।***

वर्ष 2023-24 के दौरान, यद्यपि राज्य की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में

13.59 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन बजट अनुमान से 7.15 प्रतिशत कम रही। तथापि, राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,01,314.84 करोड़) से अधिक राजस्व व्यय (₹ 1,13,195.70 करोड़) था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,880.86 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) (₹ 5,383.47 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,653.11 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 672.44 करोड़) और स्टांप एवं पंजीकरण (₹ 1,922.16 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय करों और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान की निवल आय के हिस्से के अंतरण में भी क्रमशः ₹ 1,967.35 करोड़ और ₹ 1,242.11 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि, गैर-कर राजस्व के अंतर्गत प्राप्ति में ₹ 639.63 करोड़ की कमी आई।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2024 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को ***परिशिष्ट 1.2*** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यत: आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं और परिसंपत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति ***तालिका 1.3*** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	प्रतिशत वृद्धि			31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	प्रतिशत वृद्धि
समेकित निधि									
क	आंतरिक कर्ज	2,52,780.77	2,80,772.24	11.07	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	1,40,604.60	1,56,410.71	11.24
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14,290.07*	15,825.21	10.74	ख	ऋण एवं अग्रिम	10,574.39	14,328.46	35.50
आकस्मिक निधि		**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**आकस्मिक निधि (अप्राप्य)**		**0.00**	**545.95**	**-**
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,663.82	18,762.25	0.53	क	अग्रिम	0.74	0.74	0.00
ख	जमा	12,110.24	14,557.39	20.21	ख	प्रेषण	-	-	-
ग	आरक्षित निधियां	10,258.96	12,238.55	19.30	ग	उचंत एवं विविध	-	19.72	-
घ	उचंत एवं विविध शेष	425.44	0.00	(-) 100.00	**नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)**		**3,833.55**	**5,438.02**	**41.85**
ङ	प्रेषण	352.16	336.99	(-) 4.31	**कुल**		**1,55,013.28**	**1,76,743.60**	**14.02**
					राजस्व लेखा में घाटा		**1,54,868.18[1]**	**1,66,749.03[2]**	**7.67**
कुल		**3,09,881.46**	**3,43,492.63**	**10.85**	**कुल**		**3,09,881.46**	**3,43,492.63**	**10.85**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से चुकाया नहीं जाना है।**

---

1 आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.02 करोड़ शामिल हैं।

2 आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे को उधार से पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर डालती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉण्ड्स चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजीगत सृजन और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

तथापि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार अवसंरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। तथापि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों ने एक मध्यम अवधि के ढांचे में राजस्व घाटे को खत्म करने, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने और पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम पारित किए हैं। इस संदर्भ में, ये अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करते हैं।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व

एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किसी विशेष वर्ष में प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा इसकी प्रदानगी अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित किया गया है, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को संशोधन किया गया था।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन ***तालिका 1.4*** तथा ***तालिका 1.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: अनुमानों से प्रमुख तथा राजकोषीय संकेतकों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)

राजकोषीय संकेतक	2023-24						
	15वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए अनुमान	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविकों की भिन्नता		
					15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के अनुमान
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	1.31	(-) 1.51	(-) 1.51	(-) 1.08	(-) 2.39	0.43	0.43
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 3.00	(-) 2.96	(-) 2.96	(-) 2.87	0.13	0.09	0.09
कुल बकाया देयता का स.रा.घ.उ. से अनुपात*	30.90	25.45	25.45	29.81	(-) 1.09	4.36	4.36

* **वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया देयता अनुपात से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 30.89 प्रतिशत है। कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,745.79 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को छोड़कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (29.81 प्रतिशत) के लिए ऋण की गणना की गई है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

आगे, यदि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना और अप्राप्य आकस्मिक निधि के अंतर्गत शेष राशि में ब्याज का समायोजन न किए जाने के कारण ₹ 546.01 करोड़ का कम विवरण लेते हैं (जैसा कि पैराग्राफ 1.5.1 में दर्शाया गया है), तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 0.05 प्रतिशत तक अधिक हो जाएगा।

तालिका 1.5: 2023-24 के लिए वास्तविकों की तुलना में मध्य अवधि राजकोषीय नीति में अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023-24)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्व-कर राजस्व	75,716.50	72,511.12	(-) 4.23
2	गैर-कर राजस्व	12,651.01	8,103.00	(-) 35.95
3	केंद्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा	11,164.43	12,345.35	10.58
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	9,590.48	8,355.37	(-) 12.88
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	1,09,122.42	1,01,314.84	(-) 7.15
6	राजस्व व्यय	1,26,071.45	1,13,195.70	(-) 10.21
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6)	(-) 16,949.03	(-) 11,880.86	(-) 29.90
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 33,274.38	(-) 31,441.04	(-) 5.51
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	25.45	29.81*	17.13
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	11.33	11.08

* **वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से ₹ 11,745.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित स्तर के भीतर प्रबंधित करने में सक्षम रही।

चार्ट 1.4* और *चार्ट 1.5 2019-24 की अवधि में क्रमशः घाटे के मापदंडों में प्रवृत्तियों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे की प्रवृतियां (₹ करोड़ में)

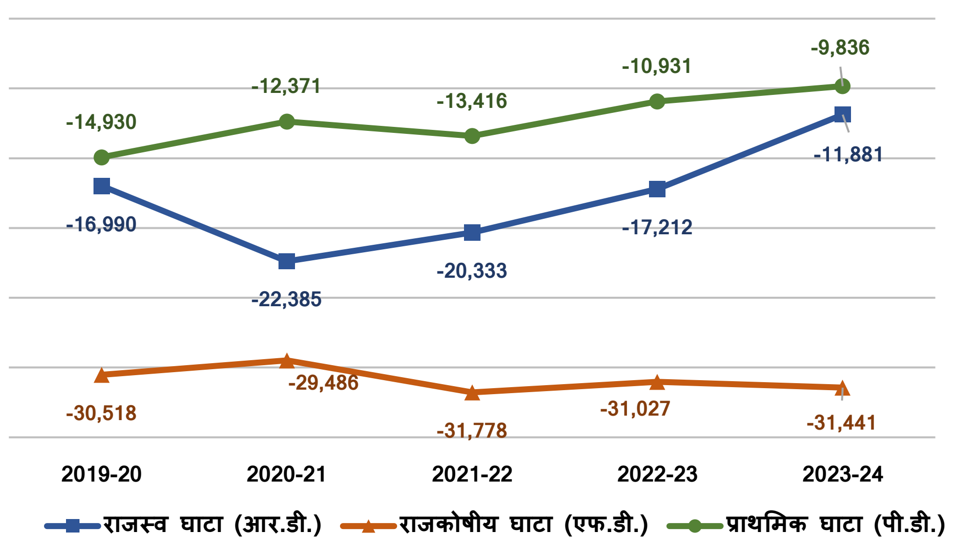

चार्ट 1.5: घाटे की प्रवृत्तियां (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता में)

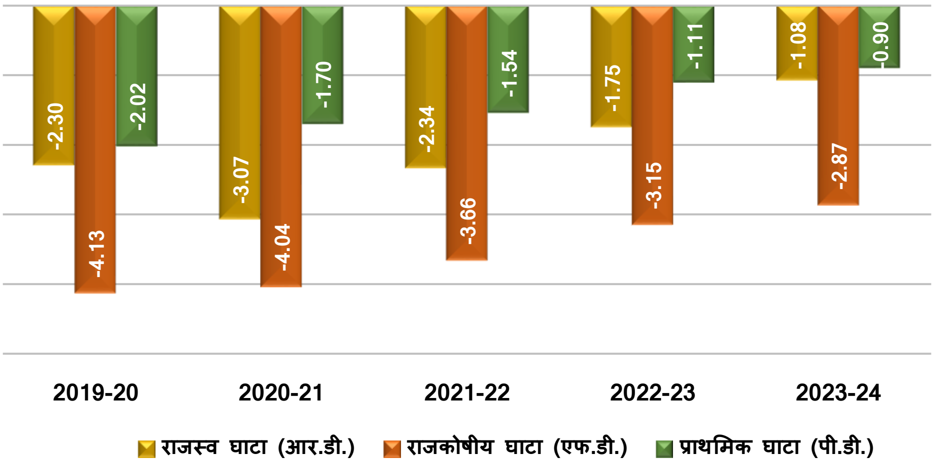

- **राजस्व घाटा,** जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है, 2022-23 के दौरान ₹ 17,212 करोड़ था लेकिन 2023-24 में घटकर ₹ 11,881 करोड़ हो गया जो ₹ 16,949 करोड़ के बजट अनुमानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी के भीतर था। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा राज्य को वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष राज्य के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

  ₹ 11,881 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

- **राजकोषीय घाटा** जो राज्य की कुल उधारी, अर्थात इसके कुल संसाधन अंतर को दर्शाता है, 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ था, लेकिन 2023-24 के दौरान थोड़ा बढ़कर ₹ 31,441 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट अनुमानों में 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत था, और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

- **प्राथमिक घाटा**, जो गैर-ऋण प्राप्तियों पर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान का निवल कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, 2022-23 में ₹ 10,931 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 9,836 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।

1.5 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

1.5.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

राज्य के लिए गणना के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि ऋण शोधन निधि में कम अंशदान, स्पष्ट देयताओं के स्थगन आदि के कारण प्रभावित होता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना और अप्राप्य आकस्मिक निधि के अंतर्गत शेष राशि में ब्याज के गैर-समायोजन के कारण राजस्व और राजकोषीय घाटा ₹ 546.01 करोड़ कम बताया गया था जैसा कि ***तालिका 1.6*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में ब्याज का भुगतान न करना	0.06	0.06	(-) 1.08	(-) 2.87	(-) 1.13	(-) 2.92
अप्राप्य आकस्मिक निधि	545.95	545.95				
कुल	**546.01**	**546.01**				

स्रोत: वित्त लेखे

2023-24 के दौरान, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 11,880.86 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.08 प्रतिशत) और ₹ 31,441.04 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत) था, जैसा कि ***चार्ट 1.4*** और ***1.5*** में दर्शाया गया है। यदि उपर्युक्त लेन-देन को ध्यान में रखा जाए, तो वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 12,426.87 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.13 प्रतिशत) और ₹ 31,987.05 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.92 प्रतिशत) होगा, जिसके परिणामस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राजस्व घाटे के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटे को 0.05 प्रतिशत अंक से कम करके आंका गया है।

1.5.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष

उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से आहरित किए जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	**2,80,772.24**
ब्याज वाले बाजार ऋण	2,52,739.35
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.02
प्रतिकर और अन्य बांड	12,110.00
बैंकों तथा अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	9,679.99
केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,352.10
अन्य	890.78
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	**15,825.21***
गैर-योजना ऋण	4.41
राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण	456.43
अन्य	15,364.37
लोक लेखों पर देयताएं (ग)	**41,770.80**
लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,762.25
जमा	14,557.38
आरक्षित निधियां	8,451.17
कुल (क+ख+ग)	**3,38,368.25**

स्रोत: वित्त लेखे

* **इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को ₹ 11,745.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण शामिल हैं, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कुल देयताओं का अनुपात मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट के अंतर्गत 25.45 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 29.81 प्रतिशत की दर पर अधिक था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

इसके अलावा, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीएचसीएल) ने इन ऋणों के लिए राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि के दो ऋण उठाए। गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, मूलधन के साथ-साथ ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण करार के अनुसार किया जाएगा और राज्य सरकार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज सहित ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब राज्य सरकार किसी अलग कानूनी इकाई की देयताओं को बिना शर्त और पर्याप्त रूप से चुकाने का कार्य करती है, तो उसे राज्य की उधारी के रूप में ऐसी देयता को दर्शाना होगा। हरियाणा पुलिस हाउसिंग

कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उठाए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा सरकार की देयता (₹ 845.35 करोड़) को लेखों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में दर्शाया नहीं गया था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) को इन ऋणों के लिए ₹ 77.50 करोड़ (₹ 55 करोड़ जमा ₹ 22.50 करोड़) की राशि चुकाई, जबकि वर्ष के प्रारंभ अर्थात 1 अप्रैल 2023 को बकाया ऋण राशि ₹ 279.10 करोड़ थी। वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया गया, जिससे वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2024 को ₹ 201.60 करोड़ का शेष रह गया। वित्त लेखों में ऋणों को प्रतिबिंबित न करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक उधार को कम दर्शाया गया।

अध्याय-2

राज्य के वित्त

2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन ***तालिका 2.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 15.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ स्व गैर-कर प्राप्तियों में 7.31 प्रतिशत की कमी आई ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18.95 प्रतिशत बढ़ गया ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 17.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत प्राप्तियां	✓ ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 10.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 33.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 36.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 15.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 18.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 47.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 64.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 26.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 10.01 प्रतिशत* की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 11.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 9.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,604.47 करोड़ (41.85 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में चालू वर्ष (2023-24) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार ***तालिका 2.2*** में दिया गया है

तालिका 2.2: 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	4,946.11	3,833.55	(-) 1,112.56 (22.49)
	राजस्व प्राप्तियां	89,194.69	1,01,314.84	12,120.15 (13.59)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	237.75	301.15	63.40 (26.67)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	73.91	114.83	40.92 (55.36)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	27,628.01	29,526.62	1,898.61 (6.87)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,286.33	4,064.84	1,778.51 (77.79)
	कुल	**1,24,366.80**	**1,39,155.83**	**14,789.03 (11.89)**
उपयोग	राजस्व व्यय	1,06,406.21	1,13,195.70	6,789.49 (6.38)
	पूंजीगत व्यय	11,664.95	15,920.94	4,255.99 (36.49)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,462.07	4,055.22	1,593.15 (64.71)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	3,833.55	5,438.02	1,604.47 (41.85)
	आकस्मिक निधि	0.00	545.95	545.95 (100.00)
	कुल	**1,24,366.78[1]**	**1,39,155.83**	**14,789.05 (11.89)**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण ***चार्ट 2.1*** *और* ***चार्ट 2.2*** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना

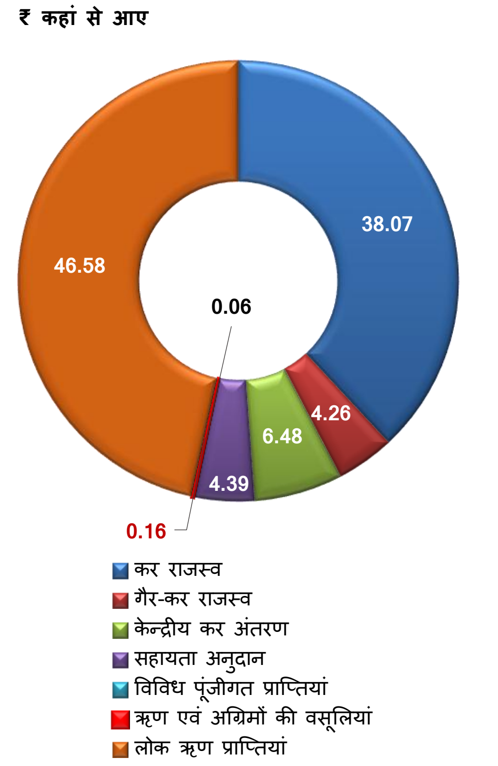

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग

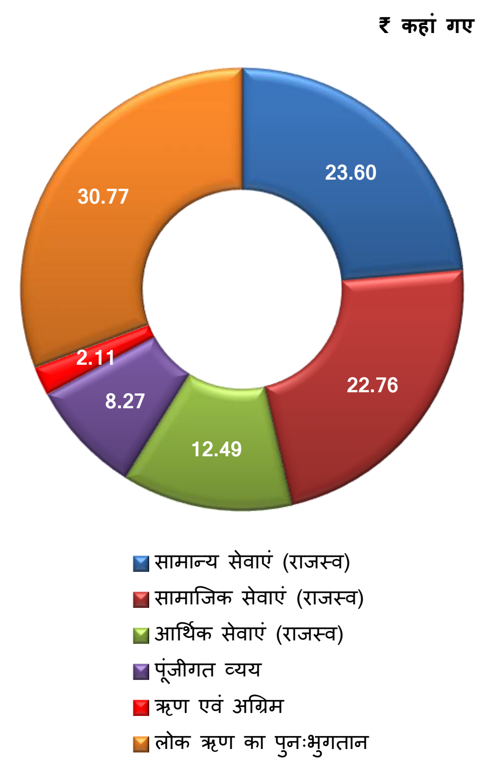

स्रोत: वित्त लेखे

[1] पूर्णांकन के कारण ₹ 0.02 करोड़ का अंतर है।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश), गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों) में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

   राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

   इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह पैराग्राफ समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है। 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को ***चार्ट 2.3*** में दर्शाया गया है जबकि 2019-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.4*** में दी गई हैं।

चार्ट 2.3: 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

स्रोत: वित्त लेखे

- **निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 4,065 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 78,102 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 74,037 करोड़) के बाद।**
- **पूर्णांकन के कारण घटक-वार कुल और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।**

चार्ट 2.4: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

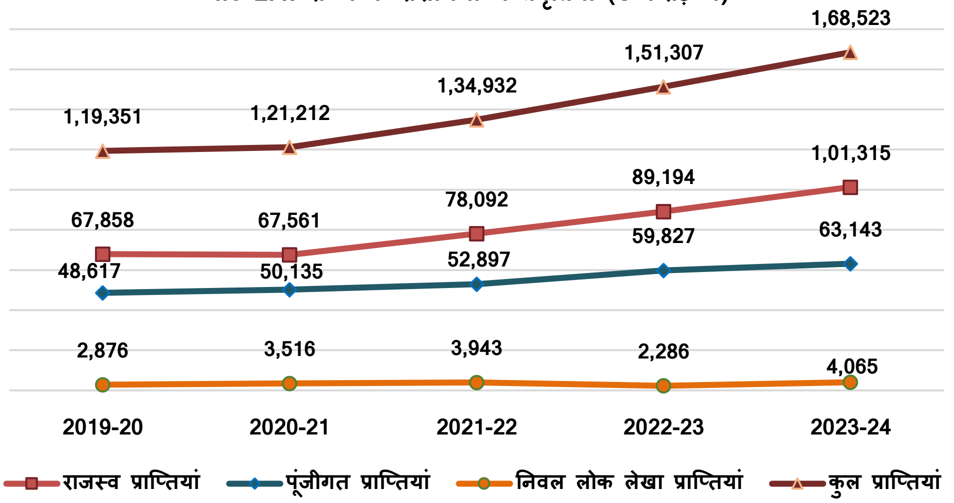

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार की कुल प्राप्तियां 2019-20 की तुलना में 2023-24 में ₹ 49,172 करोड़ (41.20 प्रतिशत) बढ़ गई। राजस्व प्राप्तियां ₹ 33,457 करोड़ (49.30 प्रतिशत) बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 14,526 करोड़ (29.88 प्रतिशत) बढ़ गई, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,189 करोड़ (41.34 प्रतिशत) बढ़ गई।

2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां एवं वृद्धि

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां एवं वृद्धि ***तालिका 2.3*** में दी गई है और ***चार्ट 2.5*** एवं ***चार्ट 2.6*** में भी दर्शाई गई है। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को ***परिशिष्ट 2.2*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मानक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	67,858	67,561	78,092	89,194	1,01,315
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.99	(-) 0.44	15.59	14.22	13.59
कर राजस्व	49,936	48,352	63,099	73,339	84,856
स्व-कर राजस्व	42,825	41,914	53,377	62,961	72,511
संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	7,111	6,438	9,722	10,378	12,345
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 1.77	(-) 3.17	30.50	16.23	15.70
गैर-कर राजस्व	7,400	6,961	7,394	8,742	8,103
भारत सरकार से सहायता अनुदान	10,522	12,248	7,599	7,113	8,356
सहायता अनुदान की वृद्धि दर	48.76	16.40	(-) 37.96	(-) 6.40	17.48
स्व-राजस्व (स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व)	50,225	48,875	60,771	71,703	80,614
स्व-राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 0.66	(-) 2.69	24.34	17.99	12.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 सीरीज)	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535

मानक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.60	(-) 1.22	19.18	13.25	11.33
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.19	9.27	8.99	9.06	9.25
उत्पलावकता अनुपात[2]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	0.54	--*	0.81	1.07	1.20
राजस्व प्राप्तियों के संबंध में राज्य की अपनी कर राजस्व उत्पलावकता	--*	--*	1.96	1.14	1.16

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

- **उत्पलावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि राजस्व प्राप्ति/राज्य के कर राजस्व में वृद्धि ने ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाई।**

यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 13.59 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2019-20 में 9.19 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 9.25 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,09,122 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 1,01,315 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियां थी।

भारत सरकार की ओर से सहायता अनुदान में 2020-21 तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, उसके बाद 2022-23 तक 41.92 प्रतिशत की कमी आई और 2023-24 के दौरान फिर से 17.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2019-20 में 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 1.20 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में राज्य की अपनी कर राजस्व उत्पलावकता 2021-22 में 1.96 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 1.16 प्रतिशत गई। स्व-कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

चार्ट 2.5: 2019-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

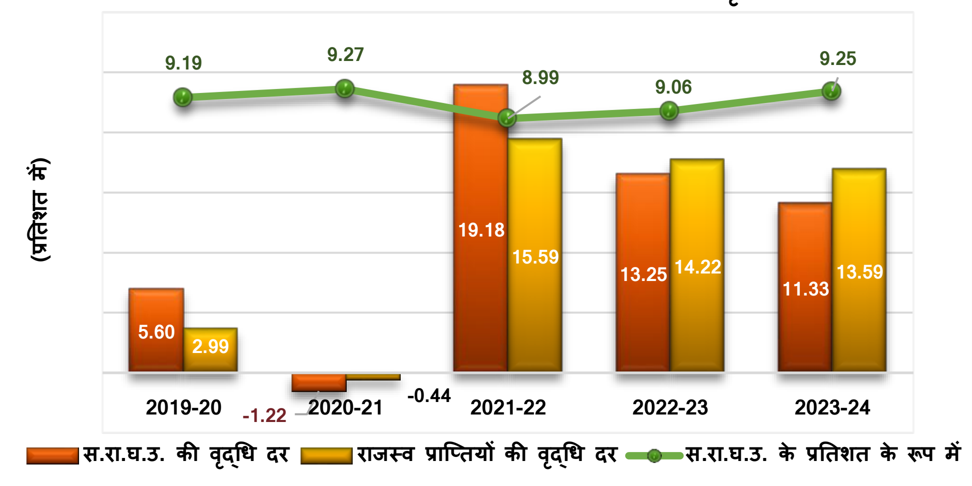

2 उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट 2.6: 2019-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)

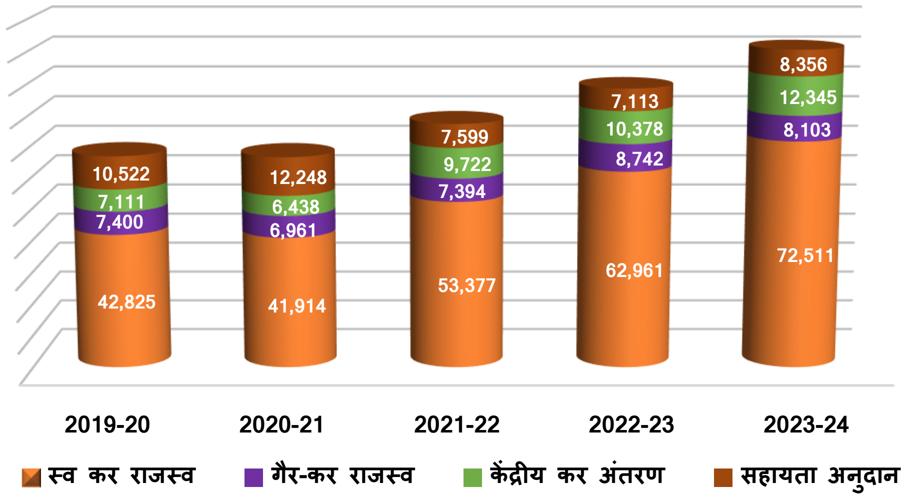

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूर्णांकन के कारण घटकों के विभाजन और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 49.30 प्रतिशत बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व-कर राजस्व 69.32 प्रतिशत बढ़ गया किंतु भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.59 प्रतिशत की कमी आई है। राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्व-राजस्व (कर राजस्व और गैर-कर राजस्व) का अंश वर्ष 2019-20 में 74.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 79.57 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2019-20 में 15.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 8.25 प्रतिशत रह गया। राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय कर अंतरण का अंश 2019-20 से 2023-24 के दौरान 10.48 प्रतिशत से बढ़कर 12.18 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,911 करोड़ (12.43 प्रतिशत) बढ़ गया।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्व-कर और गैर-कर स्रोत शामिल होते हैं।

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण ***तालिका 2.4*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	8,398	8,660	11,221	11,262	11,331	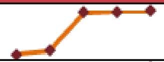
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,873	18,236	22,922	28,577	33,960	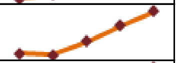
राज्य उत्पाद शुल्क	6,323	6,864	7,934	9,673	11,326	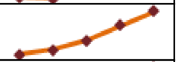
वाहनों पर कर	2,916	2,495	3,265	4,231	4,904	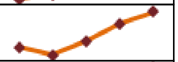
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	6,013	5,157	7,598	8,607	10,529	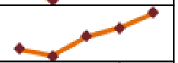
भू-राजस्व	20	17	21	23	22	
माल एवं यात्रियों पर कर	16	4	6	3	7	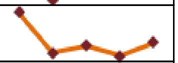
अन्य कर	266	481	410	585	432	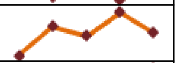
कुल	**42,825**	**41,914**	**53,377**	**62,961**	**72,511**	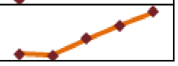

* **पूर्णांकन के कारण अंतर। अन्य करों में समायोजन किया गया है ताकि स्व-कर राजस्व के कुल आंकड़े का मिलान किया जा सके।**

स्व-कर राजस्व में 2019-20 की तुलना में 2023-24 में ₹ 29,686 करोड़ (69.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई जैसा कि ***तालिका 2.4*** में दर्शाया गया है।

राज्य का स्व-कर राजस्व ₹ 72,511 करोड़ था जो बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अंतर्गत ₹ 75,717 करोड़ के अनुमानों की तुलना में ₹ 3,206 करोड़ कम था और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 73,730 करोड़ के मानक निर्धारण की तुलना में ₹ 1,219 करोड़ कम था।

(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त लेखा बहियों के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर की राशि क्रमशः ₹ 33,978.37 करोड़ और ₹ 33,960.03 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 तक ₹ 41.07 करोड़ (वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 18.34 करोड़ और वर्ष 2022-23 तक ₹ 22.73 करोड़) के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 33,480 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण ₹ 33,960.03 करोड़ (101.43 प्रतिशत) था।

(iii) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 41,191.15 करोड़ थी जिसमें से ₹ 21,030.93 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि ***तालिका 2.5*** में दर्शाया गया है।

विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2024 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
कर राजस्व में बकाया			
1	स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	203.38	203.24
2	वस्तु एवं सेवा कर	6,920.99	6,920.99
3	राज्य उत्पाद शुल्क	663.85	267.19
4	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,437.24	12,581.07
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	66.57	6.17
6	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11
	कुल	**38,303.14**	**19,989.77**
गैर-कर राजस्व में बकाया			
1.	नागरिक उड्डयन	0.97	0.00
2.	राज्य परिवहन	56.44	20.98
3.	स्थानीय लेखापरीक्षा	43.76	32.24
4.	आपूर्ति एवं निपटान	0.71	0.20
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,645.25	946.85
6.	पुलिस	140.88	40.89
	कुल	**2,888.01**	**1,041.16**
	कुल योग	**41,191.15**	**21,030.93**

स्रोत: राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

₹ 41,191.15 करोड़ की कुल बकाया राशि में से ₹ 38,303.14 करोड़ (92.99 प्रतिशत) कर राजस्व से संबंधित है और ₹ 2,888.01 करोड़ (7.01 प्रतिशत) गैर-कर राजस्व से संबंधित हैं। कुल बकाया कर राजस्व की ₹ 19,989.77 करोड़ (52.19 प्रतिशत) की राशि और कुल बकाया गैर-कर राजस्व की ₹ 1,041.16 करोड़ (36.05 प्रतिशत) की राशि पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी। कर राजस्व की ₹ 9,346.07 करोड़ (24.40 प्रतिशत) की राशि और गैर-कर राजस्व की ₹ 519.20 करोड़ (17.98 प्रतिशत) की राशि अदालतों में मुकदमेबाजी के कारण बकाया थी। कर राजस्व की ₹ 26,282.44 करोड़ (68.62 प्रतिशत) की राशि और गैर-कर राजस्व की ₹ 197.03 करोड़ (6.82 प्रतिशत) की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों के कारण बकाया थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आबकारी और कराधान विभाग ने बताया (जून 2024) कि बकाया राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कर राजस्व का 52.19 प्रतिशत और गैर-कर राजस्व का 36.05 प्रतिशत बकाया पांच साल से अधिक समय से बकाया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

(iv) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, ***तालिका 2.6*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34
	2023-24	7,077	3,884	10,961	3,588	7,373	33

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, ***तालिका 2.7*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2023-24 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2023 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	37	141	178	143	6.24	35
2	0040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	1	0.01	0

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vi) रिफंड मामले

वर्ष 2023-24 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, ***तालिका 2.8*** में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2023-24 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बकाया दावों का प्रारंभिक शेष	217	187.08	37	3.42
2	प्राप्त दावे	211	64.82	79	13.54
3	किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	333	88.09	83	14.67
4	बकाया दावों का अंतिम शेष	95	163.81	33	2.29

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vii) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां ***तालिका 2.9*** में दी गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के गैर-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	**1,975**	**1,562**	**1,378**	**1,464**	**1,645**	
लाभांश एवं लाभ	**87**	**163**	**1,008**	**192**	**290**	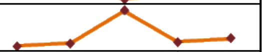
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	**5,338**	**5,236**	**5,008**	**7,086**	**6,168**	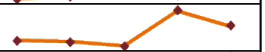
क) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	172	210	232	360	618	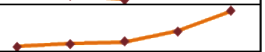
ख) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21	8	12	1,345	3	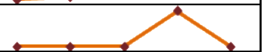
ग) सड़क परिवहन	1,115	585	1,077	1,333	1,368	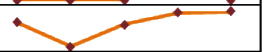
घ) शहरी विकास	1,855	1,954	1,241	1,284	1,560	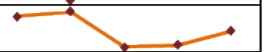
ड.) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	458	595	220	678	367	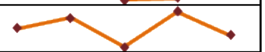
च) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	702	1,021	838	834	811	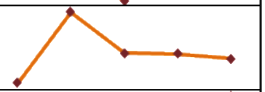
छ) अन्य या विविध	1,015	863	1,388	1,252	1,441	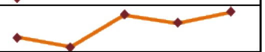
कुल	**7,400**	**6,961**	**7,394**	**8,742**	**8,103**	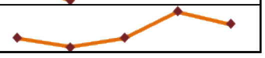

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-24 के दौरान गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में ₹ 703 करोड़ (9.50 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व (₹ 8,103 करोड़) ने मुख्यत: शहरी विकास (₹ 276 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों, लाभांश एवं लाभ में ₹ 98 करोड़ तक प्राप्तियों में में वृद्धि द्वारा ऑफ सेट अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 1,342 करोड़ तक, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 311 करोड़ तक कमी के कारण गत वर्ष से (-) ₹ 639 करोड़ (7.31 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 8.00 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,645 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क परिवहन पर ₹ 1,361 करोड़ का बही समायोजन शामिल है। बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व में ₹ 4,548 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 10,652 करोड़ के मानक निर्धारण के प्रति ₹ 2,549 करोड़ की कमी थी।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2014-15 से 2023-24 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.7*** में दर्शाई गईं हैं।

चार्ट 2.7: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां

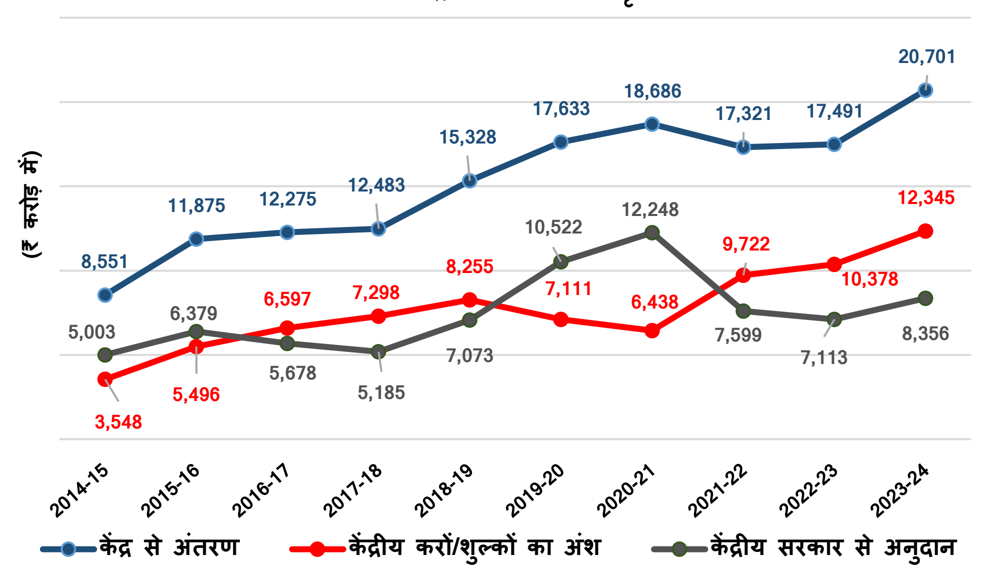

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केंद्रीय कर अंतरण

चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों की बांटने योग्य राशि 42 से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2015-16 में ₹ 5,496 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और उसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,438 करोड़ हो गया। आगे, इसमें 2021-22 में ₹ 9,722 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 12,345 करोड़ तक की वृद्धि की प्रवृत्ति भी देखी गई जैसा कि ***तालिका 2.10*** में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग अनुमान	एफसीआर में अनुमान	वास्तविक कर अंतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.084 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.091 प्रतिशत (14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार)	6,286	5,496	(-) 790
2016-17		7,254	6,597	(-) 657
2017-18		8,381	7,298	(-) 1,083
2018-19		9,696	8,255	(-) 1,441
2019-20		11,230	7,111	(-) 4,119
2020-21	करों की निवल आय का 1.082 प्रतिशत (विभाज्य पूल) (15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार)	9,253	6,438	(-) 2,815
2021-22	करों की निवल आय का 1.093 प्रतिशत (विभाज्य पूल) (15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार)	7,198	9,722	2,524
2022-23		8,008	10,378	2,370
2023-24		9,011	12,345	3,334

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण ***तालिका 2.11*** में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	2,018.07	1,907.46	2,763.35	2,932.91	3,746.67
निगम कर	2,424.73	1,946.54	2,846.17	3,478.57	3,705.50
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,899.93	1,996.13	2,874.79	3,397.23	4,279.41
सीमा शुल्क	450.77	338.27	709.48	407.99	432.62
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	313.42	215.83	390.43	128.00	163.72
सेवा कर	--	28.52	127.53	16.22	2.31
अन्य कर[3]	4.61	4.84	10.41	17.08	15.12
केंद्रीय कर अंतरण	**7,111.53**	**6,437.59**	**9,722.16**	**10,378.00**	**12,345.35**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 14	(-) 9	51	7	19
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	10	10	12	12	12

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 12,345 करोड़) 2022-23 की तुलना में ₹ 1,967 करोड़ (19 प्रतिशत) अधिक था। यह बजट अनुमान 2023-24 (₹ 11,164 करोड़) में किए गए अनुमानों से भी ₹ 1,181 करोड़ अधिक था।

(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2023-24 में ₹ 1,242 करोड़ की कमी हुई जैसा कि ***तालिका 2.12*** में दर्शाया गया है।

[3] वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	2,851.99	3,135.18	3,332.31	2,919.81	2,768.56
वित्त आयोग अनुदान	2,005.74	2,364.00	1,192.05	1,617.56	1,973.33$
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	5,453.43	5,065.81*	2,908.67**	2,575.89	3,504.88
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	210.75	1,683.14	165.21	0.00	108.60
कुल	**10,521.91**	**12,248.13**	**7,598.24**	**7,113.26**	**8,355.37**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	**49**	**16**	**(-)38**	**(-) 6**	**17**
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	**16**	**18**	**10**	**8**	**8**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल नहीं हैं।**

** **इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं।**

$ **वर्ष 2021-22 को छोड़कर राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।**

वर्ष 2023-24 के दौरान सहायतानुदान का 41.95 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

(क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 2,768.56 करोड़ के अनुदान में से, प्रमुख राशियां निम्नलिखित को दी गई:

- अमृत (अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन) (₹ 323.08 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 30.12 प्रतिशत की वृद्धि)।
- आंगनवाड़ी सेवा (आईसीडीएस) (₹ 208.06 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 5.58 प्रतिशत की वृद्धि)।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 117.53 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 1,641.19 प्रतिशत की वृद्धि)।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा (₹ 576.66 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 54.45 प्रतिशत की वृद्धि)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - (₹204.21 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 322.10 प्रतिशत की वृद्धि)।
- प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण) - (₹ 178.82 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 16.95 प्रतिशत की वृद्धि)।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 206.45 करोड़ - पिछले वर्ष की तुलना में 27.93 प्रतिशत की वृद्धि)।

(ख) एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को निधियों का अंतरण

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)-एकल नोडल एजेंसी की राज्य सरकार/एकल

नोडल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,577.32 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसी को ₹ 2,282.28 करोड़ का केंद्र का हिस्सा और ₹ 4,080.11 करोड़ का राज्य का हिस्सा अंतरित कर दिया। ₹ 6,362.39 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 162.46 करोड़ सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से, ₹ 2,975.96 करोड़ सहायता अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 3,223.97 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। केंद्रीय अंशदान ₹ 2,577.32 करोड़ के विरूद्ध अंतरण ₹ 2,282.28 करोड़ था, जिससे ₹ 295.04 करोड़ का कम अंतरण हुआ। इस सीमा तक नकद शेष राशि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी/एकल नोडल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,683.41 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं। वित्त लेखों और एकल नोडल एजेंसी के अनुसार आंकड़े समाधान के अधीन हैं।

(iii) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण ***तालिका 2.13*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

			15वें वित्त आयोग की सिफारिश			भारत सरकार द्वारा वास्तविक अंतरण			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण		
अंतरण			2022-23	2023-24	कुल	2022-23	2023-24	कुल	2022-23	2023-24	कुल
स्थानीय निकाय											
(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान			**968.00**	**979.00**	**1,947.00**	**660.96**	**1,340.25**	**2,001.21**	**660.96**	**1,150.49**	**1,811.45**
(क) सामान्य मूल अनुदान			387.20	391.60	**778.80**	380.46	570.11	**950.57**	380.46	570.11	950.57
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान			580.80	587.40	**1,168.20**	280.50	770.14	**1,050.64**	280.50	580.38	860.88
(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान			**477.00**	**504.00**	**981.00**	**394.00**	**199.48**	**593.48**	**394.00**	**228.65**	**622.65**
(क) सामान्य मूल अनुदान			160.40	169.20	**329.60**	157.60	129.20	**286.80**	157.60	129.20	286.80
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान			316.60	334.80	**651.40**	236.40	70.28	**306.68**	236.40	99.45*	335.85
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान			**305.00**	**320.00**	**625.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
स्थानीय निकाय को कुल (i+ii+iii)			**1,750.00**	**1,803.00**	**3,553.00**	**1,054.96**	**1,539.73**	**2,594.69**	**1,054.96**	**1,379.14**	**2,434.10**
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	**राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.)**	**केंद्रीय अंश**	412.80	433.60	**846.40**	412.80	433.60	**846.40**	412.80	433.60	846.40
		राज्य अंश	137.60	144.00	**281.60**	0	0	**0**	137.60	144.00	281.60
	रा.आ.प्र.नि. को कुल		**550.40**	**577.60**	**1,128.00**	**412.80**	**433.60**	**846.40**	**550.40**	**577.60**	**1,128.00**
	एसडीएमएफ	**केंद्रीय अंश**	103.20	108.30	**211.50**	149.80	0	**149.80**	0	0	0
		राज्य अंश	34.40	36.10	**70.50**	0	0	**0**	0	0	0
	एसडीएमएफ को कुल		**137.60**	**144.40**	**282.00**	**149.80**	**0**	**149.80**	**0**	**0**	**0**
कुल योग			**2,438.00**	**2,525.00**	**4,963.00**	**1,617.56**	**1,973.33**	**3,590.89**	**1,605.36**	**1,956.74**	**3,562.10**

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

* **2020-21 में ₹ 24 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 29.17 करोड़ (₹ 5.17 करोड़ के ब्याज सहित) जारी किए गए।**

- 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित ₹ 1,947 करोड़ की राशि के विरूद्ध भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान ₹2,001.21 करोड़ जारी किए। इस राशि में से राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान

₹ 1,811.45 करोड़ जारी किए।

- शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, ₹ 981 करोड़ की अनुशंसित राशि के विरूद्ध, भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 593.48 करोड़ जारी किए, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान ₹ 622.65 करोड़ जारी किए।
- 2022-24 की अवधि हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान के रूप में ₹ 625 करोड़ की 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संबंध में, 15वें वित्त आयोग ने 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की सिफारिश की। ₹ 846.40 करोड़ के अनुशंसित हिस्से के विरूद्ध, भारत सरकार ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 846.40 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार ने इसी अवधि के दौरान ₹ 846.40 करोड़ के साथ-साथ ₹ 281.60 करोड़ का अपना हिस्सा भी जारी किया।
- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के संबंध में, राज्य सरकार अभी तक निधि में कोई राशि अंतरित नहीं कर सकी है, क्योंकि निधि का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से ₹149.80 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण ***तालिका 2.14*** में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत प्राप्तियां	**48,616.71**	**44,982.31**	**45,503.37**	**59,826.71**	**63,142.68**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	54.01	62.96	67.15	73.91	114.83
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,392.63	431.95	500.24	237.75	301.15
लोक ऋण प्राप्तियां	**43,170.07**	**44,487.40**	**44,935.98**	**59,515.05**	**62,726.70**
आंतरिक ऋण[4]	43,067.68	44,362.72	44,792.38	58,244.75	60,981.54
वृद्धि दर	*28.04*	*3.01*	*0.97*	*30.03*	*4.70*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	102.39	124.68$	143.60$	1,270.30	1,745.16
वृद्धि दर	*(-) 17.98*	*21.77*	*15.17*	*784.61*	*37.38*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	27.87	3.05	1.01	32.44	5.40
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	0.47	(-) 90.91	14.65	(-) 45.07	33.47
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	5.60	(-) 1.22	19.18	13.25	11.33
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.08	(-) 7.48	1.16	31.48	5.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

$ वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिन्हें दिशानिर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

4 अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत सकल आंकड़ों को छोड़कर।

2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,736.79 करोड़ की वृद्धि हुई। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में विविध पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 40.92 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली 2022-23 (₹ 237.75 करोड़) की तुलना में 2023-24 (₹ 301.15 करोड़) में ₹ 63.40 करोड़ बढ़ी।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्व-कर एवं गैर-कर स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां ***तालिका 2.15*** में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 15वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं गैर-कर प्राप्तियां

	15वें वि.आ. अनुमान	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. अनुमान	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
	(₹ करोड़ में)				15वें वि.आ. अनुमान	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. अनुमान
कर राजस्व	73,730	75,717	75,717	72,511	(-) 1.65	(-) 4.23	(-) 4.23
गैर-कर राजस्व	10,652	12,651	12,651	8,103	(-) 23.93	(-) 35.95	(-) 35.95

राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 1.65 प्रतिशत और बजट अनुमानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों से 4.23 प्रतिशत कम था। गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 23.93 प्रतिशत और बजट अनुमानों एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों से 35.95 प्रतिशत कम रही।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के फ्रेमवर्क के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वितीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं सरंचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। **राजस्व व्यय** में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए अपेक्षित हैं, के साथ-साथ

स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।

गत पांच वर्षों (2019-24) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना ***तालिका 2.16*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)	**1,03,823**	**96,742**	**1,10,437**	**1,20,533**	**1,33,172**
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196
पूंजीगत व्यय	17,666	5,870	11,046	11,665	15,921
ऋण एवं अग्रिम	1,309	926	966	2,462	4,055
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.07	13.27	12.71	12.25	12.16
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	11.50	12.34	11.33	10.81	10.33
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.39	0.81	1.27	1.19	1.45
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.18	0.13	0.11	0.25	0.37

पांच वर्षों (2019-24) की अवधि में कुल व्यय में 28.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में 33.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 9.88 प्रतिशत की कमी आई।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश में प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)

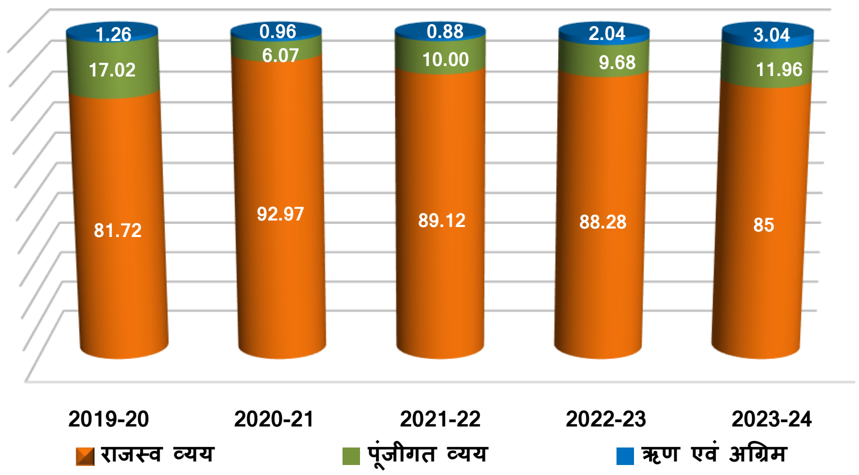

जैसा कि ***चार्ट 2.8*** में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2019-20 में 81.72 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 92.97 प्रतिशत हो गया और उसके बाद 2023-24 में घटकर 85 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2019-20 में 17.02 प्रतिशत

से घटकर 2020-21 में 6.07 प्रतिशत रह गया लेकिन 2023-24 में बढ़कर 11.96 प्रतिशत हो गया। 2019-20 में ऋण एवं अग्रिम का अंश 1.26 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 3.04 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.9: कुल व्यय: गतिविधियों के अनुसार प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)

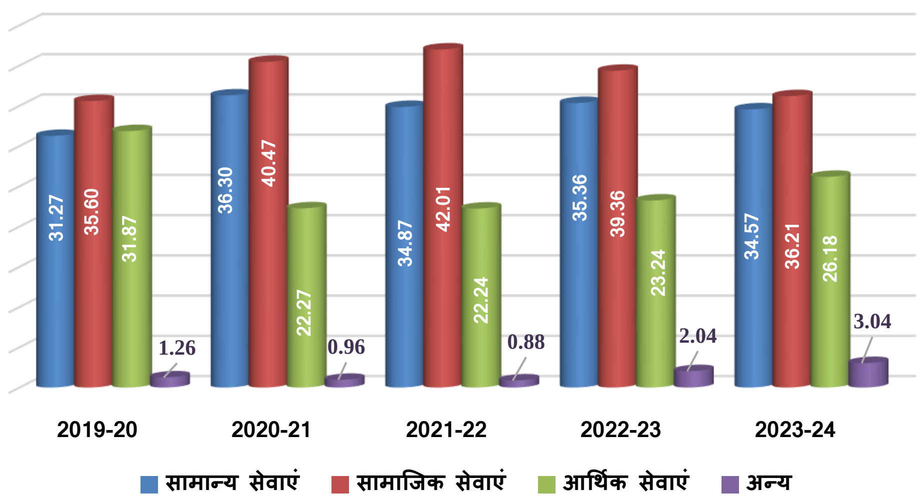

जैसा कि ***चार्ट 2.9*** में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2019-20 से बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई और 2019-20 में 31.27 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.30 प्रतिशत हो गया। तथापि, 2023-24 में यह घटकर 34.57 प्रतिशत रह गया। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2021-22 में 35.60 प्रतिशत से बढ़कर 42.01 प्रतिशत हो गया तथापि 2023-24 में यह घटकर 36.21 प्रतिशत रह गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2019-20 में 31.87 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 22.24 प्रतिशत रह गया। इसके बाद इसमें 2022-23 में 23.24 प्रतिशत से 2023-24 में 26.18 प्रतिशत तक वृद्धि की प्रवृति दिखी। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2019-20 में 67.47 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 62.39 प्रतिशत रह गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, के अंतर्गत दिखाए गए व्यय का हिस्सा 2019-20 के दौरान कुल व्यय का 1.26 प्रतिशत था जो 2023-24 के दौरान बढ़कर 3.04 प्रतिशत हो गया।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। ***तालिका 2.17*** पांच वर्षों (2019-24) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)	**1,03,823**	**96,742[5]**	**1,10,437**	**1,20,533**	**1,33,172**
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.97	6.01	9.43	8.11	6.38
कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	81.72	92.97	89.12	88.28	85.00
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	11.50	12.34	11.33	10.81	10.33
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	125.04	133.13	126.04	119.30	111.73
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	67,858	67,561	78,092	89,194	1,01,315
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.99	(-) 0.44	15.59	14.22	13.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.60	(-) 1.22	19.18	13.25	11.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-24 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 28,348 करोड़ (33.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता 81.72 प्रतिशत से 92.97 प्रतिशत के मध्य रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशतता 2019-20 में 11.50 से घटकर 2023-24 में 10.33 रह गई। राजस्व व्यय 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ से छः प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,13,196 करोड़ हो गया तथा बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 1,26,071 करोड़) में किए गए अनुमान की तुलना में 2023-24 में कम था। तथापि, यह 15वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 83,038 करोड़) से ₹ 30,158 करोड़ अधिक था।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण ***चार्ट 2.10*** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.10: 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण (प्रतिशत में)

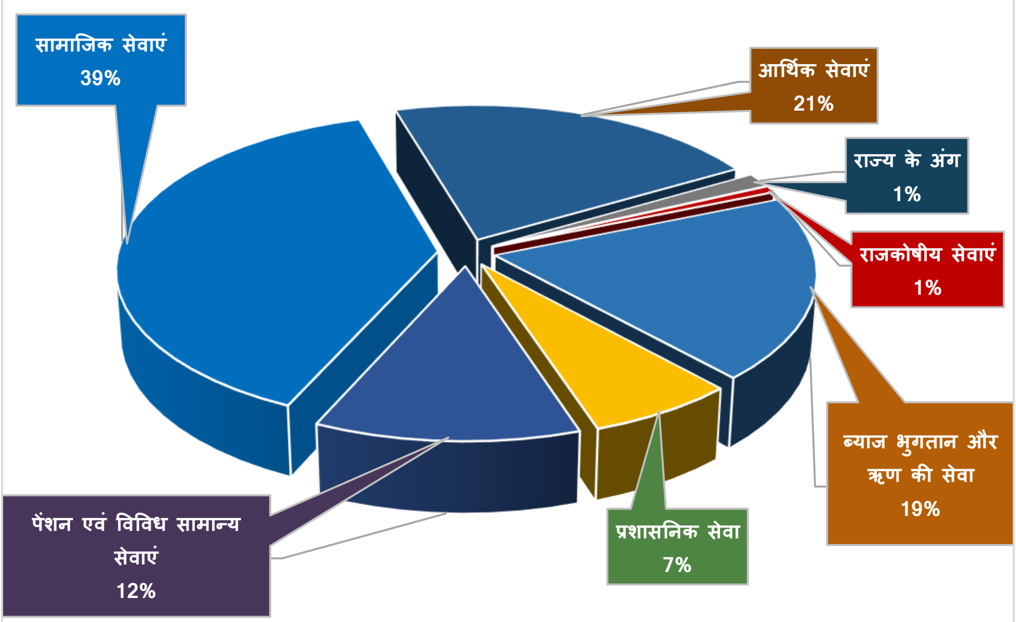

[5] ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोग को छोड़कर।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

राजस्व व्यय 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ से ₹ 6,790 करोड़ (6.38 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,13,196 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, पुलिस सेवा, ब्याज भुगतानों और न्याय प्रशासन पर व्यय में वृद्धि के कारण सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 3,329.60 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय में वृद्धि के कारण सामान्य शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास और श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास पर व्यय में कमी के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 97.15 करोड़ बढ़ गया। खाद्य भंडारण और गोदाम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क एवं पुल पर व्यय में वृद्धि और फसल पालन पर व्यय में कमी द्वारा ऑफसेट के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 3,362.74 करोड़ की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रमुख बदलाव ***तालिका 2.18*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.18: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	**42,068.66**	**45,398.26**	**3,329.60**
2014-न्याय प्रशासन	1,019.17	1,329.34	310.17
2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण	10.18	133.53	123.35
2049-ब्याज भुगतान	20,095.57	21,604.97	1,509.40
2055-पुलिस	5,568.95	5,804.30	235.35
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,403.83	13,496.70	1,092.87
सामाजिक सेवाएं	**43,680.38**	**43,777.53**	**97.15**
2202-सामान्य शिक्षा	17,247.22	16,095.53	(-) 1,151.69
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6,044.38	5,788.09	(-) 256.29
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2,243.26	2,708.76	465.50
2217-शहरी विकास	3,758.13	3,300.18	(-) 457.95
2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	1,183.21	866.44	(-) 316.77
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10,035.81	11,438.17	1,402.36
आर्थिक सेवाएं	**20,657.17**	**24,019.91**	**3,362.74**
2401-फसल पालन	2,243.09	1,721.80	(-) 521.29
2408-खाद्य भंडारण और गोदाम	343.57	985.22	641.65
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,140.93	3,321.78	1,180.85
2700-प्रमुख सिंचाई	1,518.46	1,721.86	203.40
2801-विद्युत	6,764.86	7,144.85	379.99
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	307.34	808.22	500.88
3054-सड़कें एवं पुल	650.37	1,346.26	695.89
3055-सड़क परिवहन	2,412.52	2,574.29	161.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- 'न्याय प्रशासन' में ₹ 310 करोड़ की वृद्धि 'सिविल और सत्र न्यायालयों' में ₹ 267 करोड़ और 'कानूनी सलाहकारों और परामर्शदाताओं' में ₹ 38 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'स्टाम्प एवं पंजीकरण' में ₹ 123 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'स्टाम्प की लागत' में ₹ 87 करोड़ और 'स्टाम्प की बिक्री पर व्यय' में ₹ 36 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;

- 'ब्याज भुगतान' में ₹ 1,509 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'बाजार ऋण पर ब्याज' में ₹ 2,104 करोड़ के ब्याज भुगतान और 'केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम पर ब्याज' में ₹ 38 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसमें 'अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज' में ₹ 569 करोड़ और 'राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज' में ₹ 97 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से भरपाई हुई;
- 'पुलिस' में ₹ 235 करोड़ की वृद्धि 'आपराधिक जांच और सतर्कता' में ₹ 26 करोड़ और 'जिला पुलिस' में ₹ 332 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'पुलिस बल के आधुनिकीकरण' में ₹ 43 करोड़ और 'अन्य व्यय' में ₹ 75 करोड़ की कमी से हुई;
- 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' में ₹ 1,093 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 591 करोड़, 'पेंशन के प्रतिबद्ध मूल्य' में ₹ 58 करोड़, 'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 101 करोड़ और 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान' में ₹ 343 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'सामान्य शिक्षा' में ₹ 1,152 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'प्रारंभिक शिक्षा' के अंतर्गत 'सर्वशिक्षा अभियान' में ₹ 165 करोड़ और 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में ₹ 130 करोड़ की कमी, 'माध्यमिक शिक्षा' के अंतर्गत 'छात्रवृत्ति योजना' में ₹ 917 करोड़ और 'विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा' के अंतर्गत 'विश्वविद्यालयों को सहायता' में ₹ 591 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में ₹ 416 करोड़ और 'प्रारंभिक शिक्षा' के अंतर्गत 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों' में ₹ 296 करोड़ और 'विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा' के अंतर्गत 'गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता' में ₹ 100 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' में ₹ 256 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'शहरी स्वास्थ्य सेवाओं' के अंतर्गत 'अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों' में ₹ 153 करोड़, 'प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं' में ₹ 160 करोड़, 'एलोपैथी' में ₹ 739 करोड़ और 'अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता' में ₹ 71 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' में ₹ 113 करोड़, 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता' में ₹ 612 करोड़, 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं' के अंतर्गत 'अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों' में ₹ 85 करोड़, 'आयुर्वेद' में ₹ 19 करोड़ और 'स्वायत्त निकायों को सहायता' में ₹ 29 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' में ₹ 466 करोड़ की वृद्धि 'निर्देशन एवं प्रशासन' में ₹ 180 करोड़, 'शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम' में ₹ 35 करोड़ तथा 'ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' में ₹ 243 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'शहरी विकास' में ₹ 458 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'नगर निगमों को सहायता' में ₹ 724 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 'नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता' में ₹ 279 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास' में ₹ 317 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'रोजगार

सेवाओं' में ₹ 334 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 'निर्देशन एवं प्रशासन' में ₹ 24 करोड़ की वृद्धि से हुई;

- 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' में ₹ 1,402 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन' में ₹ 1,283 करोड़ तथा 'सरकारी कर्मचारी बीमा योजना' में ₹ 157 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई;
- 'फसल पालन' में ₹ 521 करोड़ की कमी 'वाणिज्यिक फसलों' में ₹ 424 करोड़, 'कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी' में ₹ 179 करोड़, 'बागवानी एवं सब्जी फसलों' में ₹ 46 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण' में ₹ 87 करोड़ तथा 'कृषि अभियांत्रिकी' में ₹ 61 करोड़ की वृद्धि से हुई;
- 'खाद्य भंडारण एवं गोदाम' में ₹ 642 करोड़ की वृद्धि 'निर्देशन एवं प्रशासन' में व्यय में वृद्धि के कारण हुई;
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' में ₹ 1,181 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'पंचायती राज' में ₹ 788 करोड़ और 'ग्राम पंचायतों को सहायता' में ₹ 514 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान' में ₹ 130 करोड़ की कमी से हुई;
- 'विद्युत' में ₹ 380 करोड़ की वृद्धि 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता' में ₹ 6,660 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'अन्य व्यय' में ₹ 6,280 करोड़ की कमी से हुई;
- 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा' में ₹ 501 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई; और
- 'सड़क एवं पुल' में ₹ 696 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'राज्य राजमार्गों और जिला एवं अन्य सड़कों' के अंतर्गत 'सड़क निर्माण' में व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है।

उपर्युक्त के अलावा, पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, अपरिवर्तनीय व्यय की कुछ वस्तुएं हैं, जिन्हें सामान्य रूप से बदला या बदला नहीं जा सकता है या वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से अपेक्षित हैं, उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(i) स्थानीय निकायों को अंतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण (पूंजीगत व्यय के लिए अंतरण/अंतरण)।

(ii) आरक्षित निधि में अंशदान की वैधानिक आवश्यकताएं - समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि

(एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में अंशदान।

(iii) आकस्मिकता निधि की वसूली - वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में अंतरित करना, जो वैधानिक रूप से अपेक्षित है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध समेकित सिंकिंग निधि का शेयर अंशदान - राज्य के हिस्से की राशि एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को अंतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।

(vi) ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रप्रभारित व्यय - ब्याज भुगतान के रूप में किया जा सकता था।

प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह गया है। 2019-24 के दौरान प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय तथा उनके घटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण ***तालिका 2.19*** में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा ***चार्ट 2.11*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	22,365	22,595	24,236	26,409	27,878[6]
पेंशन पर व्यय	8,833	9,713	10,617	12,404	13,497
ब्याज भुगतान	15,588	17,115	18,362	20,096	21,605
कुल	**46,786**	**49,423**	**53,215**	**58,909**	**62,980**
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	32.96	33.44	31.04	29.61	27.52
पेंशन पर व्यय	13.02	14.38	13.60	13.91	13.32
ब्याज भुगतान	22.97	25.33	23.51	22.53	21.32
कुल	**68.95**	**73.15**	**68.15**	**66.05**	**62.16**
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	26.36	25.12	24.62	24.82	24.63
पेंशन पर व्यय	10.41	10.80	10.79	11.65	11.92
ब्याज भुगतान	18.37	19.03	18.66	18.89	19.09
कुल	**55.14**	**54.95**	**54.07**	**55.36**	**55.64**
गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	38,062	40,523	45,210	47,497	50,216
राजस्व व्यय की प्रतिशतता	44.86	45.05	45.93	44.64	44.36
कुल व्यय की प्रतिशतता	36.66	41.89	40.94	39.41	37.71
अपरिवर्तनीय (इनफ्लेक्सीबल) व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण	4,903.07	5,094.39	3,074.55	4,908.10	5,556.30
आरक्षित निधि में अंशदान	1,786.26	784.41	1,153.64	955.82	1,600.60
आकस्मिकता निधि की पुनर्प्राप्ति	0	0	900.00	0	0
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रभारित व्यय के रूप में करना	10.23	54.05	51.10	1.33	0.06
कुल	**6,699.56**	**5,932.85**	**5,179.29**	**5,865.25**	**7,157.36**
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में	9.87	8.78	6.63	6.58	7.06
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में	7.90	6.60	5.26	5.51	6.32
सब्सिडी	8,105	7,650	9,535	9,360	10,718
गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	21.29	18.88	21.09	19.71	21.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[6] इसमें ₹ 710 करोड़ की मजदूरी शामिल है।

तालिका 2.19 दर्शाती है कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता 44.36 प्रतिशत और 45.93 प्रतिशत के मध्य थी, जिसमें उसी अवधि के लिए सब्सिडी का प्रमुख अनुपात 18.88 प्रतिशत और 21.34 प्रतिशत के मध्य था।

चार्ट 2.11: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश

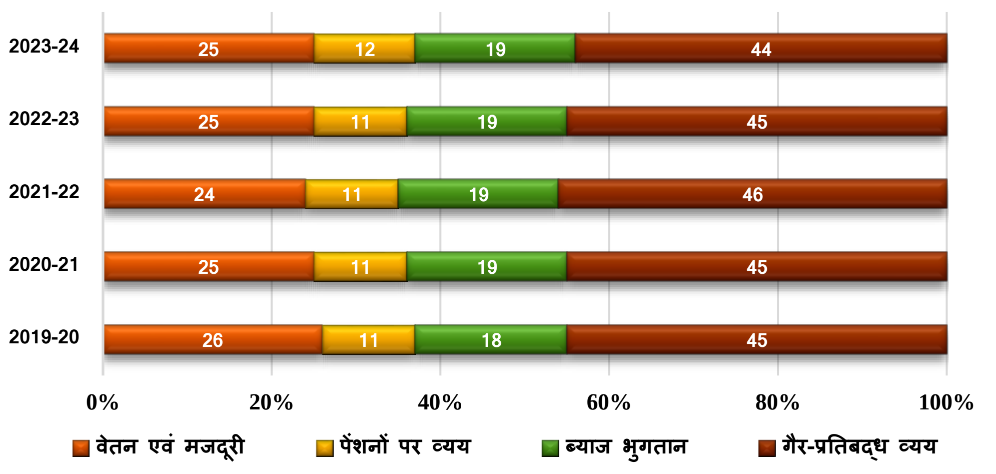

वेतन (मजदूरी को छोड़कर), ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 62,270 करोड़), सरकार द्वारा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 62,851 करोड़) में किए गए अनुमानों से ₹ 581 करोड़ (0.92 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 61.46 प्रतिशत खर्च हुआ था।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 27,878 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 26,409 करोड़) की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 5.56 प्रतिशत बढ़ गया तथा राजस्व व्यय का 24.63 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 27.52 प्रतिशत संघटित किया। वेतन पर व्यय (₹ 27,168 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में राज्य सरकार के अनुमान (₹ 28,601 करोड़) से ₹ 1,433 करोड़ कम था और राजस्व प्राप्तियों का 26.82 प्रतिशत खर्च किया गया।

ब्याज भुगतान

वर्ष 2023-24 के दौरान, ब्याज भुगतान ₹ 21,605 करोड़ (राजस्व व्यय का 19.09 प्रतिशत) था। बाजार उधार पर ब्याज (₹ 16,913.90 करोड़), उदय बांड (₹ 1,346.76 करोड़), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण (₹ 364.81 करोड़) और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 610.19 करोड़) ब्याज भुगतान का प्रमुख घटक बनी रही। ब्याज भुगतान (₹ 21,605 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में राज्य सरकार के अनुमान (₹ 21,250 करोड़) से ₹ 355 करोड़ कम था और राजस्व प्राप्तियों का 21.32 प्रतिशत खर्च किया गया।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय ₹ 13,497 करोड़ था और राजस्व व्यय का 11.92 प्रतिशत संघटित किया। पेंशन भुगतान राज्य सरकार के अनुमान से बजट में ₹ 497 करोड़ और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में ₹ 13,000 करोड़ अधिक था तथा राजस्व प्राप्तियों का 13.32 प्रतिशत उपभोग किया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 55.14 प्रतिशत से बढ़कर 55.64 प्रतिशत हो गया और 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों का 62.16 प्रतिशत उपभोग किया।

अपरिवर्तनीय व्यय

अपरिवर्तनीय व्यय के घटकों में स्थानीय निकायों को वैधानिक अंतरण और आरक्षित निधि में अंशदान शामिल है, जिसमें 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति देखी गई, किंतु उसके बाद यह 2022-23 में ₹ 5,865.25 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 7,156.96 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में, अपरिवर्तनीय व्यय 2019-20 में 7.90 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 6.32 प्रतिशत रह गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के अनुसार कर्मचारी मासिक वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत अंशदान देता है और राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान करना होता है। पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 2,821.55 करोड़ (कर्मचारी का अंशदान ₹ 1,157.10 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 1,664.45 करोड़) था, जिसे मुख्य शीर्ष 8342 - अन्य जमा, 117 - परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक खाते में अंतरित किया गया। सार्वजनिक खाते में अंतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 26.59 करोड़ सार्वजनिक खाते में ही रहे और उन्हें नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में अंतरित नहीं किया गया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 26.59 करोड़ की राशि उपर्युक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक रखी गई थी जैसाकि ***तालिका 2.20*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर्मचारी अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण	कम अंतरण (+)/ अधिक अंतरण (-)
	1	2	3	4 = (2+3)	5	6 = (1+4)-5
2008-09[7]	0.02	0.02	0	0.02	0	0.04
2009-10	0.04	28.88	9.18	38.06	23.91	14.19
2010-11	14.19	78.29	37.07	115.36	101.13	28.42
2011-12	28.42	104.35	67.64	171.99	183.00	17.41
2012-13	17.41	163.58	98.76	262.34	302.80	(-) 23.05
2013-14	(-) 23.05	240.47	143.25	383.72	421.26	(-) 60.59
2014-15	(-) 60.59	314.54	283.69	598.23	529.53	8.11
2015-16	8.11	328.94	278.83	607.77	596.45	19.43
2016-17	19.43	382.15	378.04	760.19	729.70	49.92
2017-18	49.92	479.94	460.44	940.38	975.76	14.54
2018-19	14.54	565.88	534.30	1,100.18	1,086.16	28.56
2019-20	28.56	717.91	694.20	1,412.11	1,407.78	32.89
2020-21	32.89	778.53	766.83	1,545.36	1,535.18	43.07
2021-22	43.07	875.35	939.66	1,815.01	1,839.41	18.67
2022-23	18.67	1,004.06	1,321.09	2,325.15	2,343.02	0.80
2023-24	0.80	1,157.10	1,664.45	2,821.55	2,795.76	26.59

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूर्ण रूप से समय पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित कर दिया जाए।

आगे, राज्य सरकार नई पेंशन योजना की शेष राशि के विलंबित अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि ग्राहकों के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत पड़ी ₹ 0.06 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण राजस्व और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया था।

2.4.2.4 सब्सिडी

सब्सिडी पर व्यय 2019-20 में ₹ 8,105 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ रह गया और उसके बाद 2023-24 में बढ़कर ₹ 10,718 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 10.58 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.47 प्रतिशत था जैसा कि ***तालिका 2.21*** में विवरण दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,947 करोड़ (74.15 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 2,236 करोड़ (20.86 प्रतिशत), उद्योग और खनिज: ₹ 436 करोड़ (4.07 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 99 करोड़ (0.92 प्रतिशत) पर सब्सिडी वितरित की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले टैरिफ के लिए सब्सिडी सहित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 7,080 करोड़ की कुल सब्सिडी मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 7,150 करोड़) के अनुमान से कम थी।

[7] 2008-09 से पहले के आंकड़े हजारों में हैं जिन्हें करोड़ में बदलने के बाद तालिका में दर्शाना संभव नहीं है। इसलिए, नई पेंशन योजना के आंकड़े 2008-09 से तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.21: 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,105	7,650	9,535	9,360	10,718
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	11.94	11.32	12.21	10.49	10.58
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	9.55	8.51	9.69	8.80	9.47

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय	2,279.46	2,766.64	3,472.10	2,542.27	2,491.07
पंचायती राज संस्थाएं	3,098.12	3,235.92	954.97	1,357.53	3,062.72
कुल (क)	**5,377.58**	**6,002.56**	**4,427.07**	**3,899.80**	**5,553.79**
(ख) अन्य					
विश्वविद्यालय	2,496.64	2,468.29	2,632.82	2,706.57	24.62
विकास प्राधिकरण	812.88	1,104.22	1,072.47	802.91	483.50
सांविधिक निगम	1,745.08	2,107.65	1,686.01	0.00	203.17
अन्य	905.17	1,329.75	2,627.44	4,264.19	5,874.01
कुल (ख)	**5,959.77**	**7,009.91**	**8,018.74**	**7,773.67**	**6,585.30**
कुल (क+ख)	**11,337.35**	**13,012.47**	**12,445.81**	**11,673.47**	**12,139.09**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	4,863.28	5,709.07	4,145.71	3,780.18	4,499.30
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य के लिए सहायता अनुदान	6,474.07	7,303.40	8,300.10	7,893.29	7,639.79
हितकर के रूप में दिया गया सहायता अनुदान	50.06	42.99	52.62	49.48	75.42
राजस्व व्यय	**84,848**	**89,946**	**98,425**	**106,406**	**1,13,196**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	**13.36**	**14.47**	**12.64**	**10.97**	**10.72**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹11,337.35 करोड़ से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का 10.72 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 12,139.09 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 465.62 करोड़ (3.99 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी करने में वृद्धि के कारण हुई।

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान में 2019-21 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और 2021-23 के दौरान इसमें कमी आई और उसके बाद 2023-24 के दौरान वृद्धि हुई। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा अन्य सहायता अनुदान में भी 2019-22 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई हालांकि, 2022-24 की अवधि के दौरान इसमें कमी आई। 2019-24 की अवधि के दौरान कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता 32.38 प्रतिशत और 43.87 प्रतिशत के मध्य थी, जबकि कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा अन्य के लिए वित्तीय सहायता 56.13 प्रतिशत और 67.62 प्रतिशत के मध्य थी।

जिन योजनाओं को बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई उन्हें ***तालिका 2.23*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: वे योजनाएं जिन्हें वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई

योजना	राशि (₹ करोड़ में)
सहायता प्राप्त गैर-सरकारी महाविद्यालयों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत	300.00
गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	520.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य अंश के रूप में सहायता अनुदान	740.96
ग्रामीण अस्पताल और डिस्पेंसरी को जारी रखते हुए इसका नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कर दिया गया	280.35
महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, अग्रोहा	115.00
आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	99.00
नया शहरी नवीकरण मिशन (अमृत)	234.43
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर पालिका को सहायता अनुदान	1,102.00
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी अवसंरचना के विकास की योजना	312.12
हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और हरको बैंक को वसूली से जुड़े प्रोत्साहन के लिए एकबारगी निपटान योजना	400.00
राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,157.99
करनाल स्मार्ट सिटी	196.00
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी	196.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	298.85
केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायत को संयुक्त अनुदान	570.11
14वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान	580.38
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जाति ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता	505.83

स्रोत: वित्त लेखे

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण ***चार्ट 2.12*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: 2019-24 के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृतियां

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.81 प्रतिशत से 2.39 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 18,460 करोड़ के बजट अनुमानों के विरूद्ध ₹15,921 करोड़ (86.25 प्रतिशत) रहा।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

₹ 15,920.94 करोड़ का पूंजीगत व्यय जिसमें सामाजिक सेवाओं पर ₹ 4,437.93 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर ₹ 10,842.39 करोड़ और सामान्य सेवाओं पर ₹ 640.61 शामिल थे। वर्ष 2023-24 में ₹ 4,255.99 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण, खाद्य भंडारण एवं गोदाम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और परिवहन पर पूंजीगत व्यय में ₹ 1,263.46 करोड़ की बड़ी कमी आई थी जैसा कि ***तालिका 2.24*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत परिव्यय	**11,664.95**	**15,920.94**	**4,255.99**
सामान्य सेवाएं	**552.80**	**640.61**	**87.81**
सामाजिक सेवाएं	**3,755.82**	**4,437.93**	**682.11**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	389.03	574.52	185.49
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,381.89	1,154.36	(-) 227.53
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,848.20	2,589.44	741.24
सूचना एवं प्रसारण	22.22	60.49	38.27
आर्थिक सेवाएं	**7,356.33**	**10,842.40**	**3,486.07**
खाद्य भंडारण एवं गोदाम	-240.52	2,880.15	3,120.67
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	407.27	1,232.16	824.89
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,171.19	2,623.65	452.46
विद्युत	8.00	234.04	226.04
परिवहन	4,391.39	3,355.46	(-) 1,035.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों, जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है, में निवेश करती रहेगी तो निवेश पर रिटर्न की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, अनुभव से पता चला है कि घाटे में चल रहे निगमों और चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि जैसे अन्य निकायों को दिए गए ऋणों को माफ करने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। यह भाग वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2024 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 38,278.21 करोड़ निवेशित थे ***(तालिका 2.25)***। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.92 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2019-24 के दौरान अपने उधारों पर 7.20 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

तालिका 2.25: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	36,922.92	37,566.55	37,865.68	38,020.05	38,278.21
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)*	87.01	163.14	1,007.59	192.00	289.79
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)*	0.24	0.43	2.66	0.50	0.76
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.31	6.50	7.05	6.72	7.42
ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 8.07	(-) 6.07	(-) 4.39	(-) 6.22	(-) 6.66
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)#	(-) 2,979.68	(-) 2,280.29	(-) 1,662.30	(-) 2,364.85	(-) 2,549.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

*** ऐतिहासिक लागत पर**

 # (वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर)/100

₹ 38,278.21 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 36,270 करोड़ (94.75 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

(ii) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। वित्त लेखों के अनुसार, सरकार ने 2023-24 में ₹ 38,278.21 करोड़ की इक्विटी में निवेश किया था। लेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 38,278.21 करोड़ की इक्विटी में निवेश में से सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 30,070.88 करोड़ था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 37,332.78 करोड़ था। ***परिशिष्ट 2.4*** में वर्णित अनुसार ₹ 7,261.90 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

अवसंरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2024 तक, ₹ 1,869 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली पांच सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाई गई है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। ***तालिका 2.26*** 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.26: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूल की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	11,474	7,390	7,884	8,350	10,574
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	1,309	926	966	2462	4,055
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	5,393	432	500	238	301
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	**7,390**	**7,884**	**8,350**	**10,574**	**14,328**
निवल जोड़	(-) 4,084	494	466	2,224	3,754
प्राप्त ब्याज	398	92	106	75	182
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	4.22	1.20	1.31	0.79	1.46
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.80	7.46	7.08	6.92	6.72
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.58	6.26	5.77	6.13	5.26

शिक्षा विभाग (₹ 1,202.45 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (₹ 765.69 करोड़), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 1,186.19 करोड़), सहकारी चीनी मिलों (₹ 216 करोड़) और हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (₹ 584.38 करोड़) को अधिक ऋण के कारण 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 35.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध 31 मार्च 2023 तक ₹ 5,167.26 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 216 करोड़ वितरित किए। 2023-24 के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2023-24 के अंत में इन सहकारी चीनी मिलों पर ₹ 5,383.26 करोड़ का ऋण बकाया था। सरकार ने इन चीनी मिलों को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किए कि ऋणों को पांच वर्षों में समान किस्तों में 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ चुकाया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान ऋणों के मूलधन और ब्याज की कोई वसूली नहीं हुई, जो इन सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का परिचायक था।

ऋण से संबंधित विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों (अनुदान प्राप्तकर्ता) को ₹ 2,746.14 करोड़[8] की राशि के ऋण संस्वीकृत एवं संवितरित किए गए।

इन मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि को मुख्य शीर्ष 6202, 6210, 6401, 6403 और 6416 में चार्ज/डेबिट किया गया है, जो कि लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्ष की सूची के अनुसार ऋण शीर्ष से संबंधित है। इसके अलावा, स्वीकृतियों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि मूलधन और ब्याज की वसूली से संबंधित नियमों एवं शर्तों के बिना इन्हें ऋण नहीं माना जा सकता। यह सरकारी लेखांकन नियमों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर तथा राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) के विरूद्ध वर्ष 2023-24 के आरंभ में ₹ 1,108.87 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। आगे, इस बैंक को

---

8 उच्च शिक्षा विभाग (₹ 1,155.91 करोड़), चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (₹ 728.20 करोड़), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (₹ 46.53 करोड़), पशुपालन एवं डेयरी विभाग (₹ 137.96 करोड़), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (₹ 640.04 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग (₹ 37.50 करोड़)।

₹ 32 करोड़ का ऋण इस शर्त पर दिया गया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार को ब्याज सहित ऋण चुकाने में कोई चूक न हो। वर्ष के दौरान कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 के अंत तक बकाया राशि ₹ 1,140.87 करोड़ हो गई। इस प्रकार, 2023-24 के दौरान ऋण स्वीकृत किए गए, भले ही पिछले वर्षों के ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक हुई थी।

2023-24 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 181.60 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.46 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृतियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2024 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना ***तालिका 2.27*** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2024 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.27: 31 मार्च 2024 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	17	212.81	91.04
कुल	**17**	**212.81**	**91.04**

स्रोत: वित्त लेखे

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि मई 2020 और मार्च 2024 के मध्य थी, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण थी, परिणामस्वरूप ₹ 91.04 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण ***तालिका 2.28*** में किया गया है।

तालिका 2.28: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2019-20	14.07	18.28	13.96	4.80
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (सा.श्रे.रा.) औसत (अनुपात) 2019-20	15.88	14.02	15.79	5.25
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2023-24	12.16	15.00	13.64	6.01
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (अनुपात) 2023-24	15.66	16.50	14.36	5.71

कु.व्य: कुल व्यय, पूं.व्य: पूंजीगत व्यय, सा.श्रे.रा.: सामान्य श्रेणी राज्य
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा

हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2019-20 के साथ-साथ 2023-24 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में कम था। 2019-20 के दौरान हरियाणा में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात अन्य राज्यों के औसत से अधिक था, लेकिन 2023-24 में इसमें काफी गिरावट आई है। 2019-20 के दौरान और साथ ही 2023-24 में शिक्षा पर व्यय का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम था। 2019-20 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात कम था किंतु 2023-24 में अधिक था।

2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

वर्ष 2023-24 के लिए प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी ***चार्ट 2.13*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.13: प्रयोजन शीर्षवार व्यय (प्रतिशत में)

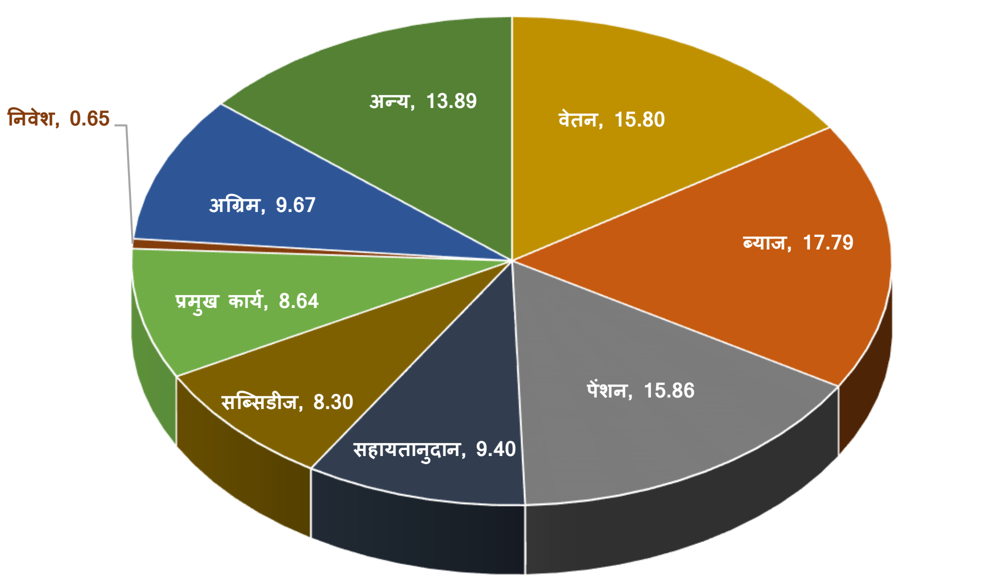

नोट: वाउचर लेवल कम्प्यूटराइजेशन (वी.एल.सी.) से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दर्शाया गया है)।

2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष ***तालिका* 2.29** और ***चार्ट 2.14*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.29: 31 मार्च 2024 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	**16,962.46**	**17,996.91**	**18,394.45**	**18,663.82**	**18,762.25**
जे. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,962.35	5,476.92	5,756.67	6,554.17	7,905.52
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,532.00	2,347.00	3,092.25	3,704.79	4,333.03
	कुल	**8,494.35**	**7,823.92**	**8,848.92**	**10,258.96**	**12,238.55**
के. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाले जमा	421.76	451.94	443.53	442.63	486.14
	(ख) गैर-ब्याज वाले जमा	7,500.04	9,019.62	11,281.42	11,667.62	14,071.25
	(ग) अग्रिम	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	**7,921.06**	**9,470.82**	**11,724.21**	**12,109.51**	**14,556.65**
एल. उचंत तथा विविध[9]	उचंत तथा विविध	**(-) 70.49**	**(-) 24.24**	**241.40**	**425.44**	**(-) 19.72**
एम. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	306.84	330.58	333.65	370.71	354.85
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-) 33.10	(-) 17.73	(-) 19.05	(-) 18.55	(-) 17.86
	कुल	**273.74**	**312.85**	**314.60**	**352.16**	**336.99**
कुल योग		**30,704.89**	**33,581.12**	**35,580.26**	**39,523.58**	**45,874.72**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

9 नकद शेष निवेश खाते के आंकड़ों को छोड़कर।

चार्ट 2.14: लोक लेखा शेषों के संघटन में वार्षिक परिवर्तन
(₹ करोड़ में)

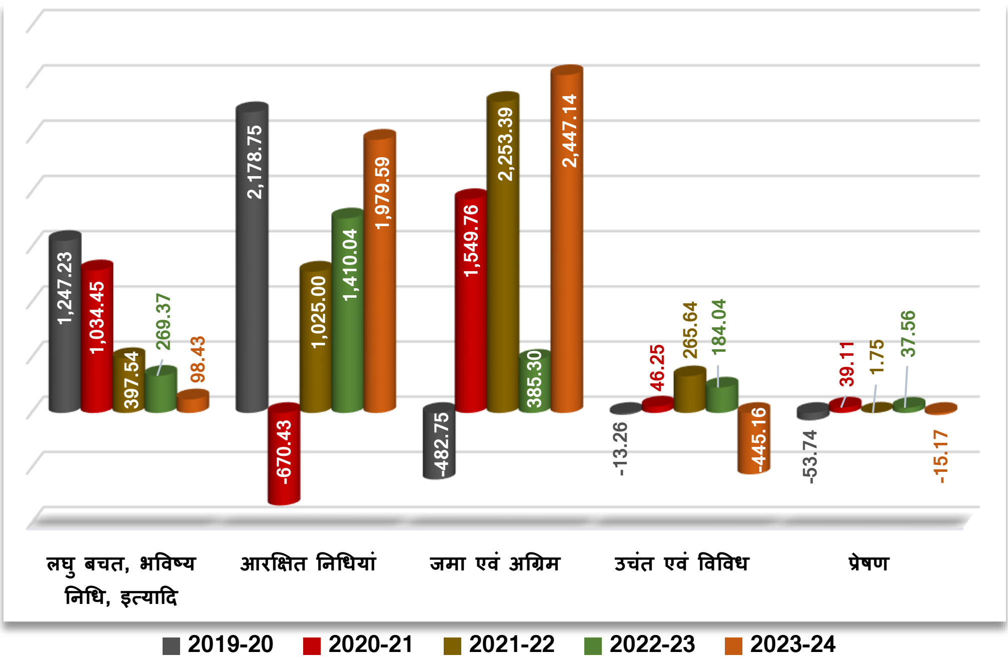

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 में निवल लोक लेखा शेष में पिछले वर्ष की तुलना में 9.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 98.43 करोड़), जमा (₹ 2,447.14 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 1,979.59 करोड़) में वृद्धि थी, जिसकी आंशिक भरपाई उचंत एवं विविध (₹ 445.16 करोड़) और प्रेषण (₹ 15.17 करोड़) में कमी से हुई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि बनाई जाती है। ये निधियां समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती हैं। इनमें ब्याज वाली आरक्षित निधियां और गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं।

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। 31 मार्च 2024 तक 11 आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और छ: गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थी। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2024 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष ***तालिका 2.30*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.30: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
क	**ब्याज वाली आरक्षित निधियां**	**7,905.52**
1	मूल्यह्रास आरक्षित निधि - सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	581.59
2	मूल्यह्रास आरक्षित निधि - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	21.15
3	सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	5.72
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	5,737.22
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	1,559.84
ख	**गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां**	**4,333.03**
1	ऋणशोधन निधि	2,124.41
2	खदान कल्याण निधि	539.83
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,662.80
6	उपभोक्ता कल्याण निधि	2.29
	कुल योग	**12,238.55**

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि छः वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को अंतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) का गठन किया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण जमा लोक लेखा) का 0.5 प्रतिशत समेकित ऋणशोधन निधि में अंशदान देना अपेक्षित था।

चालू वर्ष के आरंभ में निधि में ₹ 1,694.47 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। 31 मार्च 2023 तक, राज्य की बकाया देयताएं ₹ 2,90,578.32 करोड़ (आंतरिक ऋण और लोक लेखा) थी। तदनुसार, राज्य सरकार को 2023-24 के दौरान न्यूनतम ₹ 1,452.89 करोड़ (0.50 प्रतिशत) का अंशदान देना अपेक्षित था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने निधि में ₹ 300 करोड़ का अंशदान दिया था, जिसे निवेश किया गया था और ₹ 129.94 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के अंत में ₹ 2,122.41 करोड़ का शेष था।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें वित्त आयोग) ने राज्य स्तर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के निर्माण की सिफारिश की, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) शामिल होंगे। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए कुल राज्य आवंटन को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में विभाजित किया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं के पूर्ण चक्र - प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण, तैयारी एवं क्षमता निर्माण और शमन

का पता लगाने की परिकल्पना की गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को कुल राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को आबंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा।

(i) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (सितंबर 2010 और जुलाई 2015) के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान दे रहे थे। अंशदान को लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष-2245 के संचालन द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज छ:माही आधार पर जमा किया जाएगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि, जब तक भारत सरकार द्वारा विपरीत निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए खजाना बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियों और जमाराशियों के प्रमाण-पत्रों में निवेश किया जाएगा।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए तथा आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन का प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधि आदि में शामिल किया जाना चाहिए।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 4,966.68 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 433.60 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 433.60 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 144 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 1,118.10 करोड़ की राशि अंतरित की जिसमें केंद्रीय अंशदान के ₹ 433.60 करोड़, राज्य अंशदान के ₹ 144 करोड़, ₹ 132.50 करोड़ की अव्ययित शेष राशि और ₹ 408 करोड़ के ब्याज शामिल हैं। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 377.56 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2024 को निधि में ₹ 5,737.22 करोड़ का अंतिम शेष था।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। ***तालिका 2.31*** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 377.56 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.31: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-बाढ़, चक्रवात आदि	101-नि:शुल्क राहत	276.41
	102- पेयजल आपूर्ति	0.04
	104- चारे की आपूर्ति	0.10
	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	2.68
	113-घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	5.16
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0.64
	122-क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	0.48
	282-जन स्वास्थ्य	2.01
	800-अन्य	6.93
	उप-कुल	**294.45**
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	269.28
	उप-कुल	**269.28**
	कुल योग	**563.73**
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	**901- कटौती - राज्य आपदा से मिली राशि**	**377.56**

(ii) राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अंतर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 130-राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा शमन निधि नहीं बनाई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को न तो केंद्र सरकार से कोई धनराशि प्राप्त हुई और न ही निधि में कोई राशि अंतरित की गई, क्योंकि निधि सृजित नहीं की गई है।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) 2003 का गठन किया है, जिसका प्रशासन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो 2020-21 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार शुरू में न्यूनतम एक प्रतिशत का अंशदान देगी और उसके बाद अगले पांच वर्षों में तीन प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी। इस निधि को धीरे-धीरे बढ़ाकर पांच प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक लाया जाएगा। वर्ष के दौरान, सरकार ने निधि में कोई अंशदान नहीं दिया क्योंकि 31 मार्च 2024 तक निधि में कुल संचय ₹ 1,662.80 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 1,540.86 करोड़) था, अर्थात बकाया गारंटी (₹ 24,214.81 करोड़) का 6.87 प्रतिशत।

2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत (अधिसूचना मई 2021 द्वारा 7.5 प्रतिशत तक संशोधित) के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रप्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत (अधिसूचना मई 2021 द्वारा 2.5 प्रतिशत तक संशोधित) के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/अंतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2023 तक निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 463.47 करोड़ था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 636.35 करोड़ और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 43.31 करोड़ प्राप्त किए। ₹ 63.64 करोड़ की राशि {डेड रेंट का 7.5 प्रतिशत (₹ 47.73 करोड़) जमा ₹ 636.35 करोड़ के डेड रेंट का राज्य का अंश 2.5 प्रतिशत (₹ 15.91 करोड़)} का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 57.20 करोड़ (रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 42.80 करोड़ और राज्य का अंशदान: ₹ 14.40 करोड़) और ₹ 27.81 करोड़ के ब्याज का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 6.44 करोड़ का कम अंशदान था। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 8.66 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2024 को निधि में ₹ 539.82 करोड़ का शेष रह गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाले सेक्शन के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) स्थापित करना अपेक्षित है। यद्यपि हरियाणा राज्य ने राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि का गठन किया है, लेकिन उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि सीधे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण), नई दिल्ली में जमा की जाती है, जो समय-समय पर प्रतिपूरक वनरोपण निधि (राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि के अंतर्गत जमा) का 90 प्रतिशत राज्य हिस्सा राज्य सरकार को अंतरित करती है।

वर्ष के आरंभ में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 966.41 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का राज्य हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में ₹ 615.38 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ब्याज के रूप में ₹ 37.26 करोड़ की राशि जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 59.21 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है जबकि 31 मार्च 2024 तक निधि में ₹ 1,559.84 करोड़ की राशि शेष थी।

2.5.3 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर रखा गया है जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2022 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 3,546.84 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पस फंड में अंशदान/अतिरिक्त ₹ 472.45 करोड़ था और वर्ष के दौरान व्यय ₹ 179.61 करोड़[10] (आय से अधिक) था। 31 मार्च 2023 को बोर्ड के पास ₹ 3,839.68 करोड़ की निधियां थी। वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखे अभी तक (दिसम्बर 2024) प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ii) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

---

[10] आय: ₹ 177.51 करोड़ - व्यय: ₹ 357.12 करोड़ = निवल व्यय: ₹ 179.61 करोड़।

प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से यथामूल्य आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। वर्ष 2011-22 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 6,541.35 करोड़ थी तथा ₹ 5,021.57 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों के अनुसार निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 476.68 करोड़ थी और ₹ 244.66 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2011-23 की अवधि के दौरान निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 7,018.03 करोड़ और कुल व्यय ₹ 5,266.23 करोड़ था। वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा अभी तक (सितंबर 2024) प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के लाभ के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय करने के लिए हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3एए के अंतर्गत हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचआईडीबी) का गठन किया, जिसमें राज्य के बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से निजी भागीदारी और वित्त पोषण शामिल है।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजर को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य अवसंरचना विकास प्रभार जमा करवाना अपेक्षित है। कालोनाइजर द्वारा जमा की गई अवसंरचना प्रभारों की राशि निधि का गठन करेगी। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन किया जाएगा तथा इसके आगे उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित एचआईडीबी को अंतरित किया जाएगा। कालोनाइजरों द्वारा जमा करवाए गए राज्य अवसंरचना विकास प्रभारों और अवसंरचना वृद्धि प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से ऋण एवं अनुदान या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अनुदान और ऐसे स्रोत से कोई अन्य धन, जैसा कि राज्य सरकार निर्णय ले, निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। निधि का उपयोग निधि के प्रबंधन की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्य सरकार की समेकित निधि/लोक लेखा के बाहर सीधे बैंक खाते में निधियां प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान एचआईडीबी की प्राप्ति ₹ 17.75 करोड़ थी तथा व्यय ₹ 5.30 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 2,551.03 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है (सितंबर 2024)।

(iv) हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

शहरी अवसंरचना; नगर नियोजन कार्यान्वयन की तकनीकों के प्रावधान और उन्नयन हेतु संसाधन जुटाने; शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण सुविधाएं/मानव संसाधन विकास प्रदान करने और नगर पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन के लिए हरियाणा म्युनिसिपल (एच.एम.) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचयूआईडीबी) का गठन (अप्रैल 2002) किया गया था।

हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 203एल के अनुसार हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक निधि[11] का गठन किया जिसमें लाइसेंस फीस, संवीक्षा फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, निजी डेवलपरों को लाइसेंस देने के लिए कंपोजीशन फीस और राज्य नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण एवं वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

एचयूआईडीबी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियां ₹ 66.03 करोड़ तथा व्यय ₹ 9.12 करोड़ थे। वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखे प्रक्रियाधीन हैं और उन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है। 31 मार्च 2024 तक बचत खातों में शेष राशि ₹ 19.95 करोड़ तथा विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशि ₹ 501.28 करोड़ थी।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि/राज्य के लोक लेखा से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण एवं उपयोग पर कोई विधायी निरीक्षण नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से नामित निधियों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की जो विधायिका के प्राधिकार के बाहर संचालित होते हैं और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किए जाते हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में, अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। तथापि, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं।

2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन, अपेक्षित निधियां जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की देयता के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की

[11] हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड।

प्रक्रिया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के साथ राज्य की बकाया देयता ***चार्ट 2.15*** में दी गई है।

चार्ट 2.15: 2019-24 के दौरान बकाया लोक देयता के विवरण

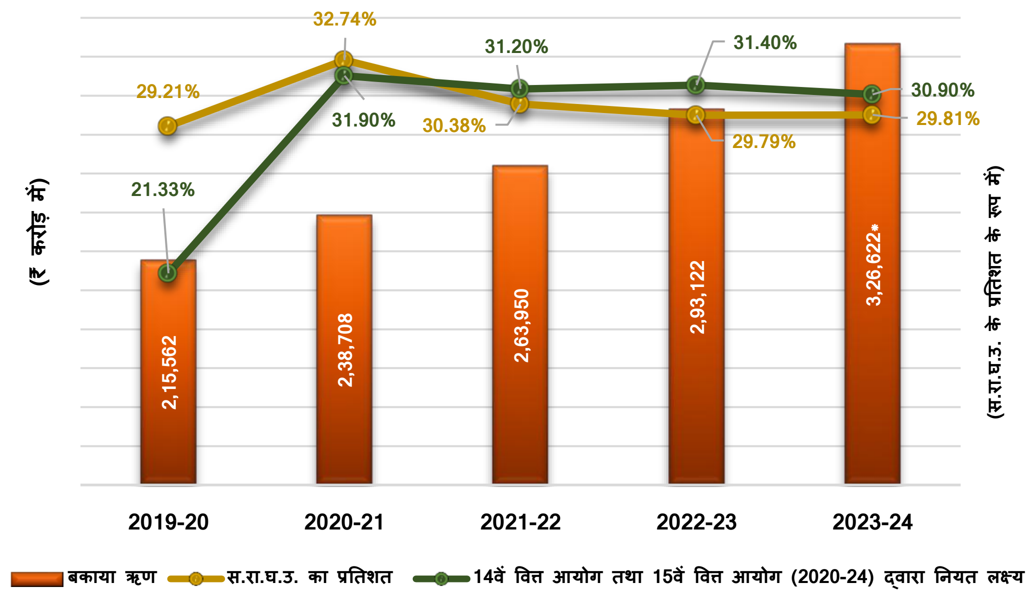

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

2.6.1 देयता प्रोफाइल: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में सामान्यत: राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2023-24 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को ***चार्ट 2.16*** में प्रस्तुत किया गया है। 2019-20 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता प्रवृत्तियों को ***तालिका 2.32*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.32: घटक वार देयता प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया कुल देयता	**2,15,562**	**2,38,708**	**2,63,950**	**2,93,122**	**3,26,622**
लोक ऋण	**1,85,491**	**2,05,458**	**2,27,697**	**2,55,325**	**2,84,851**
आंतरिक ऋण	1,83,786	2,03,958	2,26,208	2,52,781	2,80,772
भारत सरकार से ऋण	1,705	1,500*	1,489@	2,544	4,079
लोक लेखा देयताएं	**30,071**	**33,250**	**36,253**	**37,797**	**41,771**
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	*16,962*	*17,997*	*18,394*	*18,664*	*18,762*
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	*4,963*	*5,477*	*5,757*	*6,554*	*7,906*
गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	*224*	*304*	*377*	*469*	*546*
ब्याज वाले जमा	*422*	*452*	*444*	*443*	*486*
गैर-ब्याज वाले जमा	*7,500*	*9,020*	*11,281*	*11,667*	*14,071*
बकाया समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.02	10.74	10.57	11.05	11.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	29.21	32.74	30.38	29.79	29.81
उधार और अन्य देयताएं (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियां	*79,530*	*93,337*	*91,027*	*1,38,564*	*1,52,612*
कुल पुनर्भुगतान	*48,184*	*70,191*	*65,785*	*1,09,392*	*1,19,112*
उपलब्ध निवल निधियां	*31,346*	*23,146*	*25,242*	*29,172*	*33,500*
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	*60.59*	*75.20*	*72.27*	*78.95*	*78.05*

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

@ **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

चार्ट 2.16: 31 मार्च 2024 के अंत में समग्र बकाया देयता का विघटन

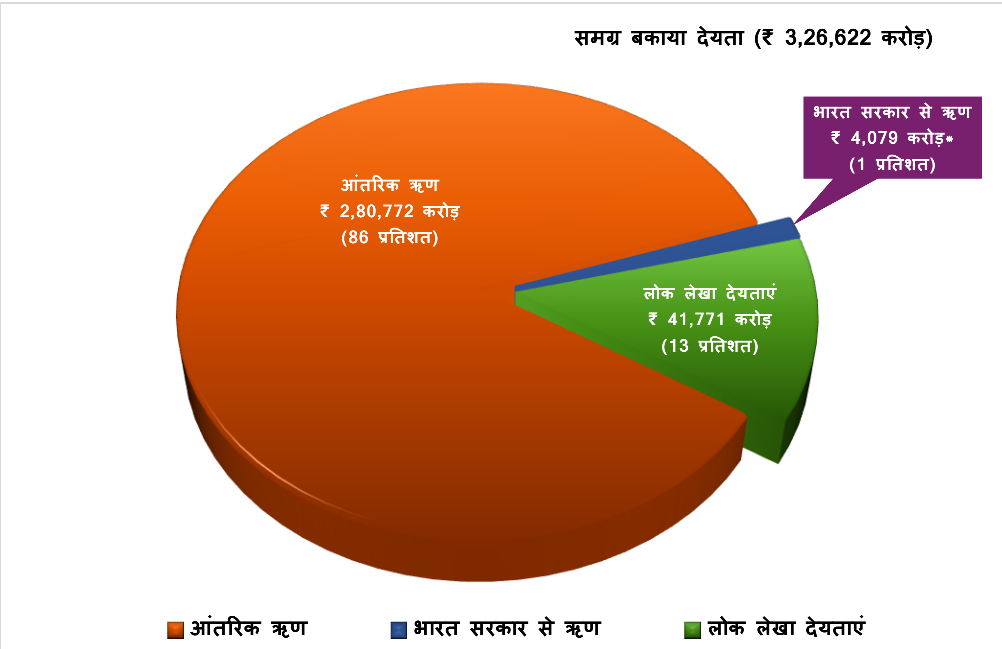

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

राज्य की कुल देयताएं 2019-20 में ₹ 2,15,562 करोड़ से 51.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2023-24 में ₹ 3,26,622 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों

(₹ 99,360 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,700 करोड़) में वृद्धि थी। गत वर्ष के 11.05 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में कुल देयताओं में 11.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल देयताओं का अनुपात 2019-20 में 29.21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 29.81[12] प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.22 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.05 गुणा थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 3,26,622 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2023-24 में मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित ₹ 2,85,885 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

2019-24 की अवधि के दौरान लोक ऋण में ₹ 99,360 करोड़ (53.57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि आंतरिक ऋण में ₹ 96,986 करोड़ (52.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में केवल ₹ 2,374 करोड़ (139.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹ 11,700 करोड़ (38.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋण की प्रवृत्ति को ***चार्ट 2.17*** में दर्शाया गया है। 2023-24 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 19,534.81 करोड़ का ब्याज दिया गया।

चार्ट 2.17: आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋण

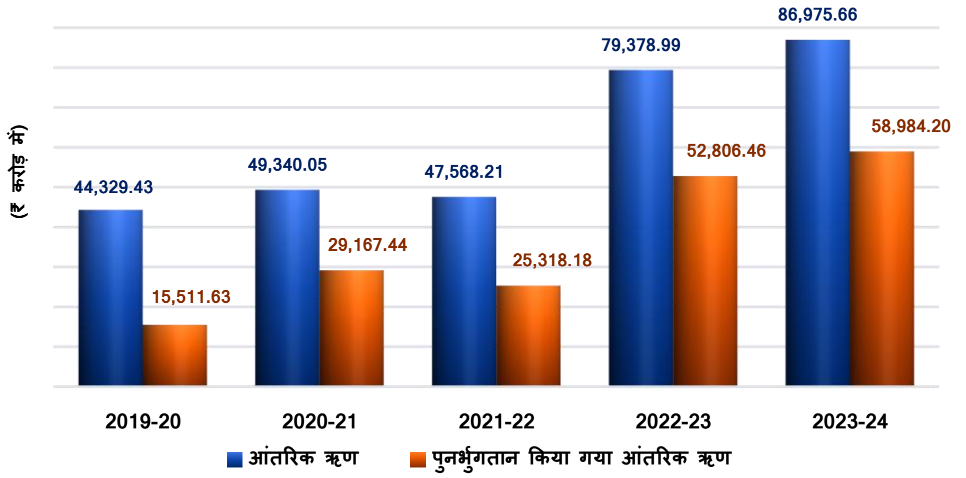

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 5.60 से 9.07 प्रतिशत के मध्य है। 2023-24 में ₹ 86,976 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 47,500 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 58,984 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 13,946 करोड़ था। 31 मार्च 2024 को बकाया बाजार उधारी ₹ 2,52,739 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 15.31 प्रतिशत (₹ 33,554 करोड़) थी।

[12] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव ***चार्ट 2.18*** और ***तालिका 2.33*** में दर्शाया गया है। 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण ***तालिका 2.34*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे की संरचना		(-) 30,519	(-) 29,486	(-) 31,778	(-) 31,027	(-) 31,441
1	राजस्व घाटा	(-) 16,990	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212	(-) 11,881
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 17,612	(-) 5,807	(-) 10,978	(-) 11,591	(-) 15,806
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	4,083	(-) 494	(-) 466	(-) 2,224	(-) 3,754
4	आकस्मिक निधि का विनियोग	-	(-) 800	-	-	-
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति						
1	बाजार उधार	20,677	25,550	24,141	33,828	33,554
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 162	4,147	7,383	1,055	1,535
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(-) 1,004	(-) 1,004	(-) 1,000	(-) 1,004	(-) 1,004
4	बॉण्ड	0	0	(-) 3,460	(-) 5,190	(-) 5,190
5	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	9,146	(-) 4,373	2,569	(-) 1,061	632
6	आकस्मिक निधि	-	-	-	-	(-) 546
7	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,247	1,034	397	269	98
8	आरक्षित निधि	1,925	(-) 671	1,025	1,410	1,980
9	जमा एवं अग्रिम	(-) 483	1,550	2,253	385	2,447
10	उचंत एवं विविध	(-) 1,624	1,563	266	184	(-) 445
11	प्रेषण	(-) 54	39	2	38	(-) 15
12	आकस्मिक निधि का विनियोग	0	800	0	0	0
13	**समग्र घाटा**	**29,668**	**28,635**	**33,576**	**29,914**	**33,046**
14	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	850	851	(-) 1,798	1,113	(-) 1,605
15	**सकल राजकोषीय घाटा**	**30,518**	**29,486**	**31,778**	**31,027**	**31,441**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.18: 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने की प्रवृत्तियां

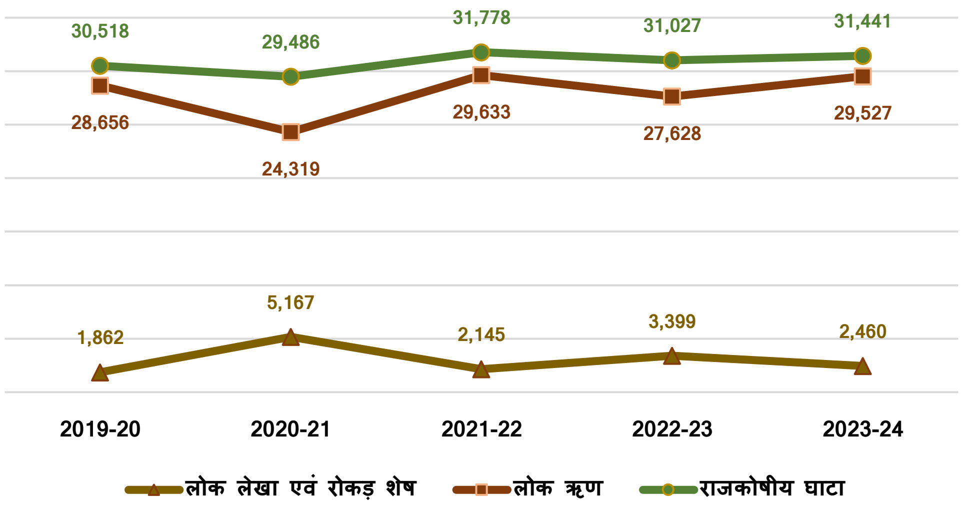

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	47,500	13,946	33,554
2	भारत सरकार से ऋण	1,745	210	1,535
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	1,004	(-) 1,004
4	बॉण्ड	0	5,190	(-) 5,190
5	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	13,482	12,850	632
6	आकस्मिक प्राप्तियां	0	546	(-) 546
7	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,484	3,386	98
8	जमा एवं अग्रिम	57,884	55,437	2,447
9	आरक्षित निधियां	2,523	543.68	1,980
10	उचंत और विविध	1,849	2,294	(-) 445
11	प्रेषण	12,361	12,376	(-) 15
12	**समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)**	**1,40,828**	**1,07,782**	**33,046**
13	रोकड़ शेष में वृद्धि(-)/कमी(+)	3,833	5,438	(-) 1,605
14	**सकल राजकोषीय घाटा**	**1,44,661**	**1,13,220**	**31,441**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, भारत सरकार से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2.6.2 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण की परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल मूल राशि के ऋण पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता इंगित करती है जैसा कि ***तालिका 2.35*** और ***चार्ट 2.19*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफाइल (मूलधन राशि)

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	मूलधन राशि	ब्याज राशि[13]	लोक ऋण (ब्याज सहित)	प्रतिशतता (कुल लोक ऋण के संबंध में)
	(₹ करोड़ में)			
0 - 1	24,450.52	21,636.78	46,087.30	10.16
1 - 3	43,033.84	38,520.22	81,554.06	17.98
3 - 5	41,952.67	31,965.49	73,918.16	16.30
5 - 7	40,699.60	25,724.29	66,423.89	14.64
7 - 10	60,294.73	27,186.89	87,481.62	19.28
10 से ऊपर	74,555.85	23,611.57	98,167.42	21.64
कुल#	**2,84,987.21[14]**	**1,68,645.24**	**4,53,632.45**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखों के आधार पर गणना की गई।

**#	वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

13 बाजार ऋण पर ब्याज की गणना वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। बाजार ऋण के अलावा लोक ऋण पर अनुमानित ब्याज की गणना 7.66 प्रतिशत की औसत ब्याज दर (पिछले पांच वर्षों की औसत उधार ब्याज दर जैसा कि तालिका 2.37 में दिया गया है) के आधार पर की जाती है।

14 लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 135.54 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

मार्च 2024 तक, कुल बकाया लोक ऋण (अनुमानित ब्याज सहित) ₹ 4,53,632.45 करोड़ था। ***तालिका 2.35*** इंगित करती है कि राज्य सरकार को अपने लोक ऋण (अनुमानित ब्याज सहित) का 28.14 प्रतिशत (₹ 1,27,641.36 करोड़) अगले तीन वर्षों के भीतर, 16.30 प्रतिशत (₹ 73,918.16 करोड़) तीन से पांच वर्षों के मध्य, 14.64 प्रतिशत (₹ 66,423.89 करोड़) पांच से सात वर्षों के मध्य और 19.28 प्रतिशत (₹ 87,481.62 करोड़) सात से 10 वर्षों के मध्य चुकाना है। इसका अर्थ है कि राज्य को अगले 10 वर्षों में अपने कर्ज का 78.36 प्रतिशत (₹ 3,55,465.03 करोड़) चुकाना है।

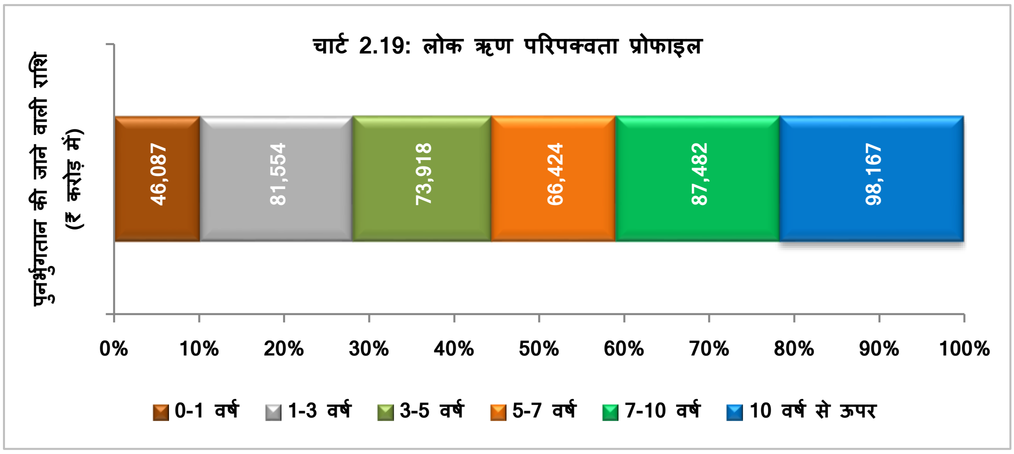

31 मार्च 2024 को अगले 10 वर्षों में ब्याज सहित बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार पुनर्भुगतान अनुसूची ***तालिका 2.36*** और ***चार्ट 2.20*** में दी गई है।

तालिका 2.36: अगले 10 वर्षों के दौरान बकाया लोक ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	का पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण	लोक ऋण	लोक ऋण
2024-25	24,450.52	21,636.78	46,087.30
2025-26	22,011.86	20,287.03	42,298.89
2026-27	21,021.98	18,233.19	39,255.17
2027-28	21,135.83	16,761.96	37,897.79
2028-29	20,816.84	15,203.53	36,020.37
2029-30	20,401.04	13,712.03	34,113.07
2030-31	20,298.56	12,012.26	32,310.82
2031-32	20,336.16	10,395.21	30,731.37
2032-33	20,439.29	9,282.69	29,721.98
2033-34	19,519.28	7,508.99	27,028.27
कुल	2,10,431.36$	1,45,033.67	3,55,465.03

$ **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

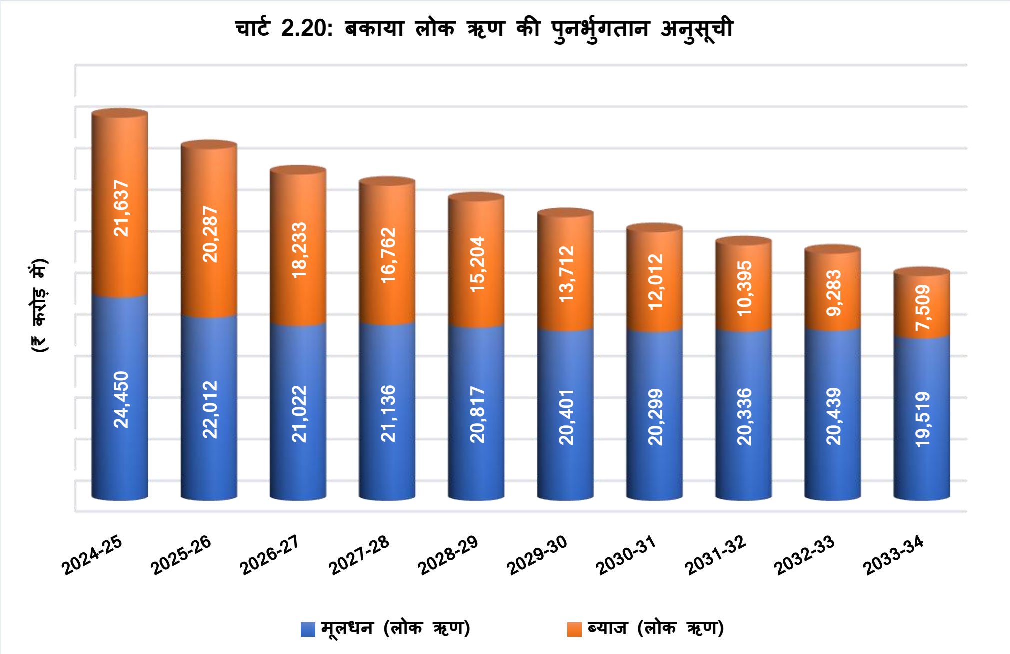

नोट: **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर लोक ऋण के लिए अगले 10 वर्षों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।**

2024-25 से 2033-34 की अवधि के लिए ब्याज सहित ₹ 3,55,465.03 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से ब्याज सहित ₹ 46,087.30 करोड़ (12.96 प्रतिशत) 2024-25 में देय है, ब्याज सहित ₹ 1,55,472.22 करोड़ (43.74 प्रतिशत) 2025-26 से 2028-29 की अवधि के दौरान देय है, जबकि शेष 43.30 प्रतिशत (₹ 1,53,905.51 करोड़) पांच वर्ष से अधिक के बाद भुगतान किया जाना है। 2028-29 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 40,311.90 करोड़ होगा।

2029-30 से 2033-34 की अवधि में ₹ 1,53,905.51 करोड़ (मूलधन: ₹ 1,00,994.33 करोड़ और ब्याज: ₹ 52,911.18 करोड़) का लोक ऋण पुनर्भुगतान देय होगा। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि में लगभग ₹ 30,781.10 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा।

संसाधन अंतर को कवर करने के लिए ब्याज सहित बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण व्यय राज्य की उधारी आवश्यकता में वृद्धि के साथ आगे बढ़ सकता है।

बाजार उधार/ऋण

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची ***चार्ट 2.21*** में दी गई है।

चार्ट 2.21: बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

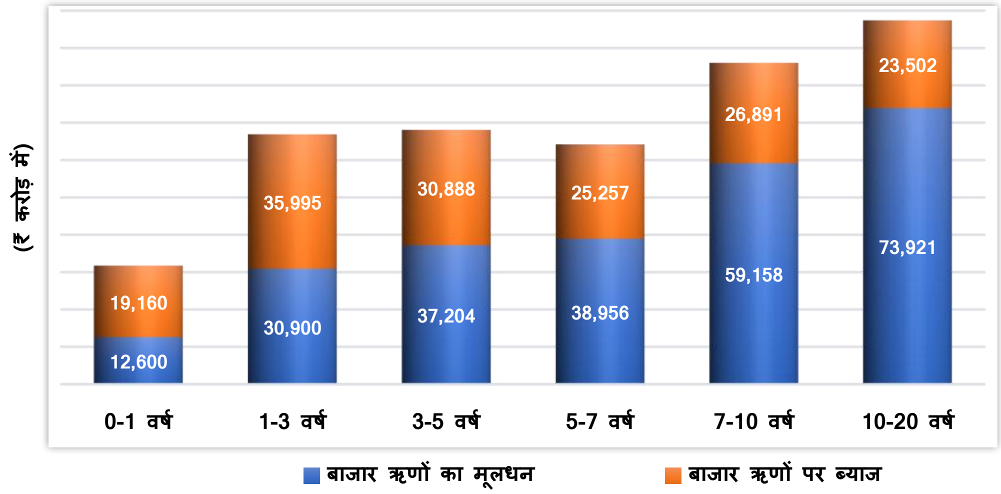

टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2026-27 तक ₹ 43,500 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 55,155 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2028-29 तक 37,204 करोड़ का मूलधन और 30,888 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2028-29 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 33,349 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि में ₹ 98,114 करोड़ के ऋण और ₹ 52,148 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 30,052 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण निष्पादन; डोमर दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन, के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

(क) ऋण स्थिरता राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता को संदर्भित करती है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण ***तालिका 2.37*** और ***चार्ट 2.21*** में दिया गया है।

तालिका 2.37: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण स्थिरता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण*	2,15,562	2,38,708	2,63,951#	2,93,123#	3,26,622#
2	समग्र देयता की वृद्धि की दर	17.02	10.74	10.57	11.05	11.43
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नाममात्र शर्तों पर)	7,38,052	7,29,079	8,68,905	9,84,055	10,95,535
4	नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	5.60	-1.22	19.18	13.25	11.33
5	समग्र देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	29.21	32.74	30.38	29.79	29.81
6	लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	1,85,606.62	2,05,369.05	2,27,868.33	2,55,496.37	2,84,987.21
6a	0-1 वर्ष	6.54	7.82	10.74	10.04	8.58
6b	1-5 वर्ष	36.92	40.02	36.13	32.33	29.82
6c	5-10 वर्ष	42.89	35.91	32.06	36.97	35.44
6d	10 वर्ष से अधिक	13.65	16.25	21.07	20.66	26.16
7	सकल उधारी का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	60.59	71.85	66.84	78.95	78.05
8	सकल उधार की प्रतिशतता के रूप में उपलब्ध निवल उधार	39.41	28.15	33.16	21.05	21.95
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	15,588.01	17,114.67	18,361.60	20,095.57	21,604.97
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)&	8.12	7.83	7.63	7.56	7.34
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	22.97	25.33	23.51	22.53	21.32
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	16,990.08	22,385.59	20,333.34	17,211.52	11,880.86
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)@	(-) 1,402.07	(-) 5,270.92	(-) 1,971.74	2,884.05	9,724.11
14	प्राथमिक शेष (पीबी)++	(-) 14,930.61	(-) 12,371.41	(-) 13,416.18	(-) 10,931.31	(-) 9,836.07
15	प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.02	(-) 1.70	(-) 1.54	(-) 1.11	(-) 0.90
16	ब्याज दर^ और अतिरिक्त देयता पर प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर	(-) 3.90	(-) 6.63	(-) 6.32	(-) 6.77	(-) 5.88
17	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन दस्तावेजों का उपयोग)	1,261.75	4,977.33	2,775.83	21,134.24	25,994.12
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार$ + प्राथमिक शेष)	(-) 20,168.12	(-) 33,122.42	15,697.41	4,971.82	2,485.47
19	**डोमर मानदंड**					
a	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थाई शर्तों पर)	5,45,124	4,96,087	5,44,317	5,87,198	6,34,027
b	वास्तविक वृद्धि (स्थाई शर्तों पर)	2.28	(-) 9.00	9.72	7.88	7.97
c	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	4.26	5.11	6.24	7.50	6.60
d	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	8.12	7.83	7.63	7.56	7.34
e	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर मुद्रास्फीति)	3.86	2.72	1.39	0.06	0.74
f	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	(-) 1.58	(-) 11.72	8.33	7.82	7.23

* **बकाया समग्र ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है।**

बकाया समग्र ऋण में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,745.79 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़) शामिल नहीं हैं, जो वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में लिए गए हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

& **प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान/[(पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित देयताओं को छोड़कर)**

@ **प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है**

++ **प्राथमिक शेष: कुल प्राप्तियां (उधार के बाद शुद्ध) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है।**

^ **ब्याज दर: निवेश पर रिटर्न = प्राप्त ब्याज/{(ऋण और बकाया अग्रिमों का आरंभिक शेष + ऋण और बकाया अग्रिमों का समापन शेष)/2} *100**

$ **क्वांटम प्रसार = (ऋण X प्रसार दर) जहां प्रसार दर = (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - ब्याज दर)।**

- ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात राज्य की वित्तीय क्षमता अर्थात ऋण चुकाने की उसकी क्षमता को मापता है। ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात का कम मूल्य यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बिना किसी अतिरिक्त ऋण के ऋण चुकाने के लिए जीवंत है। ***तालिका 2.37*** से पता चलता है कि सकल राज्य घरेलु उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता द्वारा मापा गया राज्य का औसत ऋण भार 2019-2024 के दौरान 30 प्रतिशत के करीब रहा। सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में कुल देयता में 2020-21 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी, जो उसके बाद भी संधारणीय पथ पर बनी रही। 2021-22 और 2022-23 में सुधार देखने के बाद, राज्य के ऋण भार में 2023-24 में मामूली वृद्धि देखी गई।

- राज्य के ऋण भार पर प्राथमिक घाटे और वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) के प्रभाव के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य का ऋण भार मुख्य रूप से 2019-2024 के दौरान प्राथमिक घाटे से प्रेरित था। वृद्धि ब्याज अंतर और प्राथमिक संतुलन, जो ऋणात्मक क्षेत्र में रहे, दोनों ने 2019-20 और 2020-21 में राज्य के ऋण भार में वृद्धि में योगदान दिया। प्राथमिक घाटे में कमी के समर्थन से वृद्धि ब्याज अंतर में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 2.36 प्रतिशत अंकों और 2022-23 में 0.59 आधार अंकों की गिरावट आई। अनुकूल वृद्धि ब्याज अंतर और प्राथमिक संतुलन में सुधार के बावजूद, चूंकि ऋण वृद्धि नाममात्र वृद्धि से आगे निकल गई, इसलिए 2023-24 में ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई।

- डोमर पैरामीटर बताते हैं कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, 2021-2024 के दौरान वृद्धि ब्याज अंतर अनुकूल रहा। यह दर्शाता है कि 2019-20 और 2020-21 में उधार लेने की लागत को कवर करने के लिए विकास प्रक्षेप पथ पर्याप्त नहीं था। नाममात्र वृद्धि के समान, प्रभावी ब्याज दर भी काफी हद तक मुद्रास्फीति से प्रेरित थी, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महामारी के बाद की अवधि (2021-2024) में ऊपरी सहनशीलता बैंडविड्थ (2-6 प्रतिशत) को पार कर लिया, यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को कम रखने में मदद की ताकि वास्तविक रूप से वृद्धि ब्याज अंतर को अनुकूल रखा जा सके।

- राज्य का ऋण भार, 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ के भीतर रहा, लेकिन राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा था। 2021-22 तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने के बाद, समग्र देयता-सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात द्वारा मापा गया राज्य का ऋण-भार 2022-23 और 2023-24 में स्थिर रहा, लेकिन महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच सका था। हालांकि, 2021-22 से ऋण से सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में लगातार गिरावट यह संकेत देती है कि यह स्थिर होने की ओर अग्रसर है, बशर्ते कि यह प्रवृत्ति आगामी मध्यम अवधि में जारी रहे।

- धनात्मक प्राथमिक राजस्व संतुलन और प्राथमिक संतुलन यह दर्शाता है कि ऋण संधारणीय पथ पर है। प्राथमिक राजस्व संतुलन जो 2019-20 में ऋणात्मक था {(-) ₹ 1,402 करोड़} 2022-23 में धनात्मक हो गया (₹ 2,884 करोड़) और 2023-24 में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ (₹ 9,724 करोड़)। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान प्राथमिक संतुलन ऋणात्मक रहा। तथापि, यह समग्र रूप से ऋणात्मक है जो दर्शाता है कि ऋण संधारणीय पथ पर नहीं है।

- ब्याज भुगतान अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति टिकाऊ ऋण का संकेत है, जबकि बढ़ती प्रवृत्ति अस्थिर ऋण प्रक्षेप पथ का संकेत देती है। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान जो 2019-20 में 22.97 प्रतिशत था, 2020-21 में बढ़कर 25.33 प्रतिशत हो गया। 2020-21 (25.33 प्रतिशत) की तुलना में 2021-22 और 2023-24 (21.32 प्रतिशत) के दौरान स्थिति में सुधार (23.51 प्रतिशत) हुआ, जो टिकाऊ ऋण और अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधनों के बचे रहने का संकेत देती है।

- परिपक्वता प्रोफाइल राज्य के ऋण पर मोचन दबाव को दर्शाती है; उच्च परिपक्वता का अर्थ है भविष्य में कम मोचन दबाव। मार्च 2024 तक, लोक ऋण के लिए ₹ 2,84,987.21 करोड़ की राशि चुकाने योग्य थी। तदनुसार, राज्य सरकार को अगले पांच वर्षों के भीतर 38.40 प्रतिशत और 5-10 वर्षों के बीच 35.44 प्रतिशत चुकाना है। इस प्रकार, राज्य को अगले दस वर्षों में अपने बकाया लोक ऋण का 73.84 प्रतिशत चुकाना है, जिससे भविष्य में अधिक मोचन दबाव दिखाई देता है।

- कई बार राज्य ने अल्पावधि वित्तपोषण अंतराल को प्रबंधित करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा लिया, जो उनकी तरलता की स्थिति को दर्शाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान 11 दिनों के लिए ₹ 1,261.75 करोड़ की अर्थोपाय अग्रिम राशि का लाभ उठाया। बाद के वर्षों में अवसरों की संख्या के साथ राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात 2020-21 में 42 दिनों के लिए ₹ 4,977.33 करोड़ और 2023-24 में 163 दिनों के लिए ₹ 25,994.12 करोड़। अर्थोपाय अग्रिम सुविधा में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो खराब तरलता प्रबंधन को इंगित करती है, जो खराब राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाती है और अल्पकालिक स्थिरता में बाधा डालती है।

- यद्यपि ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड जमा प्राथमिक शेष) की स्थिति 2019-20 और 2020-21 में ऋणात्मक थी, 2021-22 में स्थिति में सुधार हुआ और 2022-24 के दौरान यह धनात्मक रही, जो ऋण/सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में कमी का संकेत है जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

(ख) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

राजकोषीय मापदंड		मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+) (स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	(-) 1.53	(-) 1.64	(-) 3.29	(-) 0.98	(-) 1.51
	प्राप्ति	(-) 2.30	(-) 3.07	(-) 2.34	(-) 1.75	(-) 1.08
राजकोषीय घाटा (-)/सरप्लस (+) (स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य	(-) 2.86	(-) 4.00	(-) 3.83	(-) 2.98	(-) 2.96
	प्राप्ति	(-) 4.13	(-) 4.04	(-) 3.66	(-) 3.15	(-) 2.87
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	22.86	21.14	25.92	24.52	25.45
	प्राप्ति	29.21	32.74	30.38	29.79	29.81
पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है				
	प्राप्ति	30.56	34.12	31.17	25.85	23.90

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार के ₹ 11,745.79 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,393.79 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का लक्ष्य अप्राप्त रहा। सरकार 2021-22 को छोड़कर 2019-20 से 2023-24 के दौरान मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्यों को भी पूरा करने में असमर्थ रही। मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 2022-23 में प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है, तथापि 2019-24 की अवधि के दौरान गारंटी-राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 23.90 और 34.12 प्रतिशत के मध्य था। ये प्रवृत्तियां सरकार को राजकोषीय असंतुलन को दूर करने और स्थायी वित्तीय प्रबंधन की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2019-24 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण ***तालिका 2.39*** में दिया गया है।

तालिका 2.39: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल उधार	44,431.82	49,464.73[15]	47,711.81[16]	80,649.29	88,720.82
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	15,775.51 (36)	29,497.60 (60)	25,472.95 (53)	53,021.27 (66)	59,194.20 (67)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	12,421.92 (28)	5,806.74 (11)	10,978.41 (23)	11,591.04 (14)	15,806.11 (18)
निवल ऋण एवं अग्रिम*	1,106.62 (2)	493.75 (1)	466.02 (1)	2,224.32 (3)	3,754.07 (4)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग	15,127.77 (34)	13,666.64 (28)	10,794.43 (23)	13,813 (17)	9,966.44 (11)
राज्य का कुल बजट	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07	2,36,560.09
कुल बजट के विरुद्ध व्यय	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25	2,03,089.28
कुल व्यय पर उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	12.15	20.71	16.96	28.62	29.15

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

*** निवल का अर्थ है व्यय/भुगतान घटा प्राप्तियां।**

2019-24 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन) 12.15 से 29.15 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी वर्तमान उधारी का 36 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य उपयोग पिछली उधारी (मूलधन) के पुनर्भुगतान के लिए किया। निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय 11 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान, मौजूदा उधार का केवल 18 प्रतिशत हिस्सा निवल पूंजीगत व्यय पर उपयोग किया गया था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने और पहले के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को राजस्व घाटे को कम करने और अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। 2023-24 में, जो कि वित्त आयोग की अवधि का तीसरा वर्ष है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कोई राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला है, तथापि राज्य सरकार ने अपने राजस्व घाटे को घटाकर ₹ 5,331 करोड़ (2022-23 में ₹ 17,212 करोड़ से 2023-24 में ₹ 11,881 करोड़) कर लिया है, लेकिन अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया है।

15 वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

16 वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

2019-24 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को ***चार्ट 2.22*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.22: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

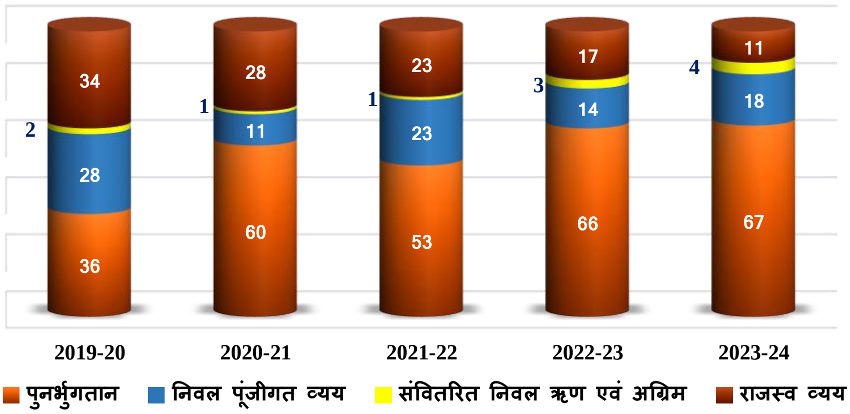

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा, जहां तक गारंटी दी जा सकती है, निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की गारंटियों की स्थिति और 31 मार्च 2024 तक क्षेत्रवार गारंटियों की स्थिति ***चार्ट 2.23*** और ***2.24*** में दी गई है।

चार्ट 2.23: गारंटियों की स्थिति (₹ करोड़ में)

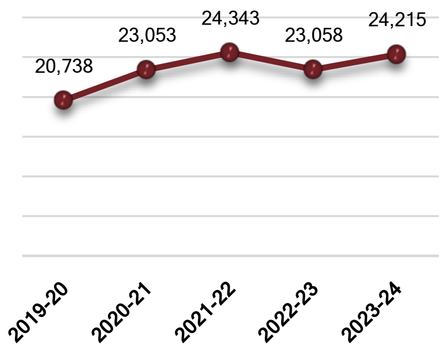

चार्ट 2.24: 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर गारंटियों के क्षेत्रवार विवरण (₹ करोड़ में)

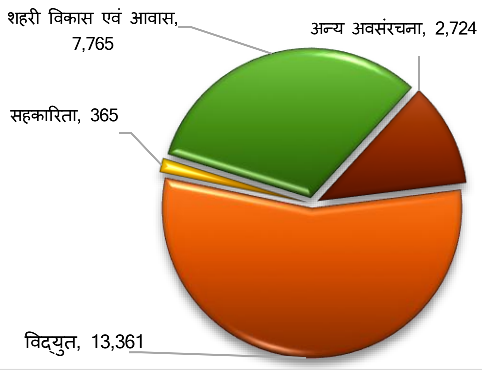

स्रोत: वित्त लेखे

2023-24 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटियों का विवरण ***तालिका 2.40*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: संस्थाओं को दी गई गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी की संख्या	31 मार्च 2024 को गारंटी की राशि
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	11	7,313.36
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	8	2,575.47
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	27	7,231.56
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	5	717.07
5	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	201.60
6	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	7	250.60
7	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	17	5,398.50
8	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	3	93.35
9	नगर निगम, फरीदाबाद	1	40.60
10	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	3	2.52
11	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	13.56
12	पानीपत सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, पानीपत	1	64.29
13	शाहबाद सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, शाहबाद	1	39.15
14	करनाल सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, करनाल	1	54.64
15	हैफेड-नाबार्ड	3	195.97
16	हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड	1	10.69
17	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	2	11.88
	कुल	**94**	**24,214.81**

स्रोत: वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे

31 मार्च 2024 तक कुल गारंटी में से 95.96 प्रतिशत (₹ 23,235.96 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 7,313.36 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (₹ 2,575.47 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 7,231.56 करोड़), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 717.07 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,398.50 करोड़) के संबंध में थी।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष करार न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े ***तालिका 2.41*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.41: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-) 716.63	373.36
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	**(-) 716.09**	**373.90**
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	1,310.12	1,272.60
कुल (क)	**594.03**	**1,646.50**
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	3.91	4.03
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिह्नित निधियों में निवेश	3,235.50	3,787.38
कुल (ख)	**3,239.52**	**3,791.52**
कुल (क + ख)	**3,833.55**	**5,438.02**
वसूल किया गया ब्याज	**4.36**	**6.19**

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.42: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-) 470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-) 1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54
2020-21	2,332.87	1,564.72	(-) 768.15	29.49
2021-22	1,564.72	2,597.52	1,032.80	25.45
2022-23	2,597.52	1,310.12	(-) 1,287.40	4.36
2023-24	1,310.12	1,272.60	(-) 37.52	6.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 3,787.38 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 2,122.28 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,662.80 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2023-24 में सरकार 203 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी। सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ को बनाए रखने के लिए 113 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.) और 50 दिन के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 9.03 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के पास ₹ 3,834 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 47,500 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 5,438 करोड़ था ***(चार्ट 2.25)***।

चार्ट 2.25: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण
(₹ करोड़ में)

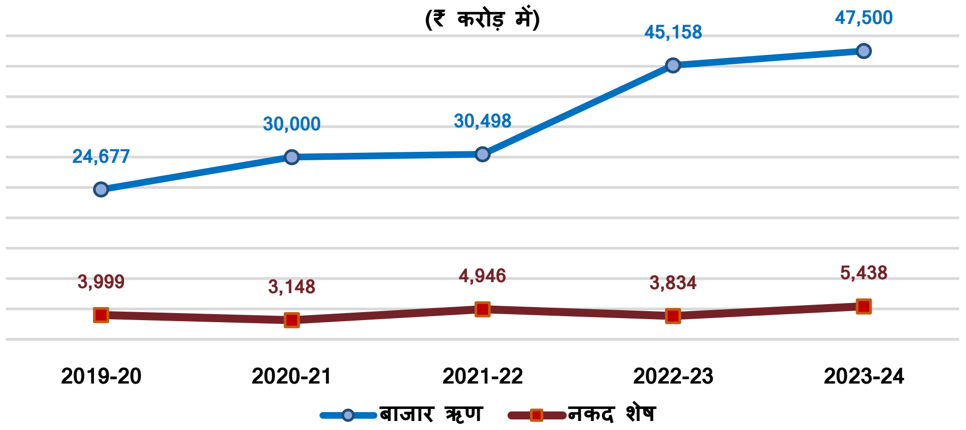

2.8 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित (मार्च 2022 में संशोधित) किया था। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा।

राज्य का राजस्व घाटा 2022-23 के दौरान ₹ 17,212 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 11,881 करोड़ हो गया, लेकिन यह ₹ 16,949 करोड़ के बजट अनुमानों से कम था।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 31,441 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत था तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति और बजट अनुमान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्यत: बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 12,121 करोड़ (13.58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में ₹ 6,790 करोड़ (6.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्व-राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य ने केवल 44 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय, राजस्व व्यय के 19 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 21 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 38,278 करोड़) पर केवल 0.76 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 7,262 करोड़ का अंतर था।

सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 248 करोड़ का ऋण दिया गया था। राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 182 करोड़ (1.46 प्रतिशत) प्राप्त किए और बकाया ऋण पर 6.72 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 7,297.06 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.81 प्रतिशत थी (वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में कुल देयताओं में 11.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 88,721 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 59,194 करोड़ का ऋण चुकाया।

2.9 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों से निवेश पर अपर्याप्त रिटर्न के कारणों का आकलन करना और उपचारात्मक उपाय करना; और

2. ऋण प्रदान करने से पहले संस्थाओं की ऋण सेवा क्षमता का आकलन करें।

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के अनुमान 'प्रभारित' और 'दत्तमत्' मदों[1] के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। ***चार्ट 3.1*** में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण

बजट के विभिन्न घटकों को ***चार्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2023-24 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान

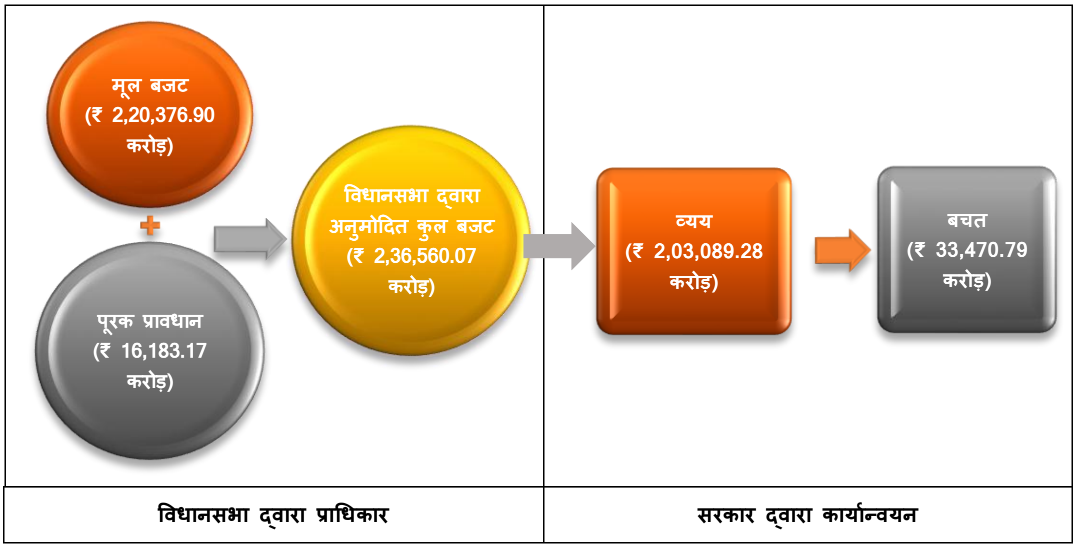

स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोग लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

3.1.1 सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन

हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर नीति नियोजन में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया है। इसने वित्तीय वर्ष 2018-19 से इन लक्ष्यों के लिए अपने बजटीय आबंटन का विस्तृत मूल्यांकन किया। इसने सतत विकास लक्ष्यों को बजटीय आबंटन के साथ जोड़ दिया है।

(i) लैंगिक बजटिंग

लैंगिक बजटिंग का संबंध कानून, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों; संसाधनों के आबंटन; कार्यान्वयन; व्यय की ट्रैकिंग, लेखापरीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन के लिंगानुकूल निर्माण से है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग-अलग लिंग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कुशलतापूर्वक एकत्र और खर्च किया जाए। लैंगिक बजट महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है; न ही उनका तात्पर्य यह है कि निधियों को पुरुषों और महिलाओं के लिए आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए या बजट को आधे-आधे में विभाजित किया जाना चाहिए। वे सरकार के बजट को विभिन्न लिंगों पर इसके अलग-अलग प्रभाव के अनुसार अलग-अलग करने और लिंग अंतर को कम करने के लिए आबंटन को दोबारा प्राथमिकता देने का प्रयास हैं।

हरियाणा राज्य में कोई लैंगिक बजटिंग नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने अपने बजट के साथ सतत विकास लक्ष्य-5 लैंगिक समानता को जोड़ दिया है। लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय की तुलना में प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र (फोकस एरिया) हैं लैंगिक संवेदनशीलता, सु-संस्कार-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, दुर्गा-I, अपनी बेटियां अपना धन, जिसका नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) रखा गया है, के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता, युवा लड़कियों/महिलाओं और निराश्रित महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र।

सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत 12 विभिन्न विभागों द्वारा 65 योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए गए थे। ₹ 2,487.63 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 2,251.90 करोड़ (कुल प्रावधान का 90.53 प्रतिशत) व्यय किया गया। वर्ष के दौरान 65 योजनाओं में से 15 योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। 2023-24 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत विभागवार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण ***तालिका 3.1*** में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2023-24 में लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट प्रावधान और व्यय का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (7)	1,378.44	1,446.38
2.	महिला एवं बाल विकास (28)	600.27	436.20
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (2)	81.00	68.26
4.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा (1)	0.05	0.00
5.	स्वास्थ्य (2)	2.47	0.02
6.	शिक्षा (उच्च) (3)	2.79	0.02
7.	शिक्षा (माध्यमिक) (3)	14.01	8.94
8.	परिवार कल्याण (7)	33.72	19.43
9.	श्रम (2)	22.05	0.39
10.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (3)	175.00	156.32
11.	पुलिस (6)	159.33	101.33
12.	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग (1)	18.50	14.62
	कुल (65 योजनाएं)	**2,487.63**	**2,251.91**

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2023-24 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 12 विभागों में से पांच विभागों अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और पुलिस ने लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य-5) के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 में 96 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

(ii) जलवायु कार्रवाई के लिए बजटिंग (सतत विकास लक्ष्य-13)

राज्य सरकार ने अपने बजटीय आबंटन के साथ सतत विकास लक्ष्य-13 जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया है। जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिंदु के क्षेत्र बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र), एकीकृत वन संरक्षण, सिंचाई दक्षता के लिए फसल अवशेष सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन, इको-क्लब की स्थापना, गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन हैं।

2023-24 के दौरान, जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत आठ अलग-अलग विभागों द्वारा 28 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,250.84 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान 28 योजनाओं में से चार योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। 2023-24 में जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण ***तालिका 3.2*** में दिया गया है।

तालिका 3.2: 2023-24 में जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत विभाग-वार बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम (योजनाओं की संख्या)	बजट प्रावधान	व्यय
1	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (2)	60.24	53.00
2	भूमि अभिलेख (1)	0.30	0.53
3	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (8)	33.78	13.44
4	राजस्व (4)	34.14	75.37
5	वन (4)	68.35	11.05
6	उद्योग निदेशालय (1)	2.00	0.40
7	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (6)	1,047.61	610.98
8	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (2)	4.42	3.54
	कुल (28)	**1,250.84**	**768.31**

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2023-24 और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, आठ विभागों में से तीन विभागों अर्थात सिंचाई एवं जल संसाधन, वन और कृषि एवं किसान कल्याण ने जलवायु कार्रवाई (सतत विकास लक्ष्य-13) के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 में 94 प्रतिशत से अधिक का अंशदान दिया।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2019-24 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति ***तालिका 3.3*** में दी गई है।

तालिका 3.3: 2019-24 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	(-) 20,836.01	(-) 5,757.43
2020-21	1,27,589.40	52,415.44	95,535.91	46,873.19	(-) 32,053.49	(-) 5,542.25
2021-22	1,47,174.90	48,514.54	1,06,051.98	44,110.17	(-) 41,122.92	(-) 4,404.37
2022-23	1,45,926.23	75,183.84	1,11,846.45	73,441.80	(-) 34,079.78	(-) 1,742.04
2023-24	1,55,930.09	80,629.98	1,21,849.87	81,239.41	(-) 34,080.22	(+) 609.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

(i) कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल रूप से अनुमोदित बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम की सारांशित स्थिति ***तालिका 3.4*** में दी गई है।

तालिका 3.4: मूल बजट के विरुद्ध वास्तविक परिणाम का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट	वास्तविक परिणाम	वास्तविक परिणाम और मूल बजट के मध्य अंतर*
राजस्व	1,26,850.36	1,13,776.14	(-) 13,074.22
पूंजीगत	93,526.54	89,313.14	(-) 4,213.40
कुल	**2,20,376.90**	**2,03,089.28**	**(-) 17,287.62**

* **मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।**

राजस्व भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.31 प्रतिशत था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 4.51 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार विचलन की प्रतिशतता को ***तालिका 3.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का प्रतिशत	राजस्व भाग में अनुदान संख्या	राजस्व भाग में कुल अनुदान	पूंजीगत भाग में अनुदान संख्या	पूंजीगत भाग में कुल अनुदान
0-25	1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20	13	6, 8, 11, 12, 17, 20	6
25-50	3, 10, 13, 15	4	3, 5, 7, 10, 13, 14, 19	7
50-75			4, 18	2
75-100			1, 15, 16	3

(ii) व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन:आबंटन ने अनुमोदित व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है जो ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.6: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, संशोधित अनुमान, संवितरण तथा वास्तविक और संशोधित बजट अनुमान के मध्य अंतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट	संशोधित अनुमान	वास्तविक परिणाम	बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर*	वास्तविक और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर*
राजस्व	1,26,850.36	1,20,604.26	1,13,776.14	(-) 6,246.10	(-) 6,828.12
पूंजीगत	93,526.54	91,123.39	89,313.14	(-) 2,403.15	(-) 1,810.25
कुल	**2,20,376.90**	**2,11,727.65**	**2,03,089.28**	**(-) 8,649.25**	**(-) 8,638.37**

* **मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।**

राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 5.66 प्रतिशत था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.99 प्रतिशत था। अनुदान के अनुसार विचलन की प्रतिशतता को ***तालिका 3.7*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: संशोधित बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का विवरण

बजट अनुमान और वास्तविक परिणाम के मध्य विचलन का प्रतिशत	राजस्व भाग में अनुदान संख्या	राजस्व भाग में कुल अनुदान	पूंजीगत भाग में अनुदान संख्या	पूंजीगत भाग में कुल अनुदान
0-25	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	17	6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20	11
25-50	-	-	3, 4, 5, 10, 15	5
50-75	-	-	-	-
75-100	-	-	1, 16	2

(iii) बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक में कमियां

वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित बजट अनुमान ₹ 2,11,727.65 करोड़ आंका गया। विभिन्न योजनाओं पर ₹ 2,03,089.28 करोड़ की राशि खर्च की गई जो संशोधित अनुमान का 95.92 प्रतिशत थी। ऐसे मामले जिनमें अनुमोदित बजट परिव्यय संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया था, अनुमोदित परिव्यय संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया था या अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में प्रावधान किया गया था लेकिन दोनों स्थितियों में कोई व्यय नहीं किया गया था, आदि पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(क) अनुमोदित परिव्यय में 39 योजनाओं में ₹ 5,425.89 करोड़ की राशि (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) प्रदान की गई थी, जिसे योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण संशोधित अनुमान में वापस ले लिया गया था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

(ख) 2023-24 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 57 योजनाओं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए किए गए ₹ 2,673.28 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 371.97 करोड़ कर दिया गया, लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

(ग) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 14 योजनाओं (₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) के लिए ₹ 796.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

(घ) आठ योजनाओं के लिए किए गए ₹ 1,716.56 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 2,175.91 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 932.68 करोड़ का व्यय किया गया जो मूल अनुमान का 54.33 प्रतिशत था। संशोधित अनुमानों में निधियों की वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमान से बहुत कम था ***(परिशिष्ट 3.4)***।

(ङ) पैंतालीस योजनाएं (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) जिनके लिए 2023-24 के दौरान निष्पादन के लिए अनुमोदित ₹ 9,456.80 करोड़ का परिव्यय संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 6,330.25 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 3,198.89 करोड़ खर्च किए गए जो संशोधित परिव्यय का 50.53 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 3.5)***।

(च) चौदह योजनाएं (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए 2023-24 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 3,257.09 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 1,614.26 करोड़ कर दिया गया, लेकिन ₹ 2,426.81 करोड़ का व्यय हुआ जो संशोधित अनुमान का 150.34 प्रतिशत था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में बताया गया है।

(छ) तेईस योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और मूल प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान

में ₹ 2,484.94 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 1,382.41 करोड़ (55.63 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में वर्णित है।

(ज) ग्यारह योजनाओं के लिए किए गए ₹ 1,963 करोड़ के प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत से कम) को बढ़ाकर ₹ 4,345.91 करोड़ कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,177.77 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अलावा, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों की वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई, क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमान का 50.11 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 3.8)***।

(झ) आठ योजनाएं (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान और प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमान में ₹ 846.60 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन ₹ 1,667.21 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से 196.93 प्रतिशत अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.9*** में वर्णित है।

(ञ) संशोधित अनुमान के माध्यम से पांच योजनाओं में ₹ 287.81 करोड़ का प्रावधान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान और संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम व्यय हुआ) किया गया था, लेकिन ₹ 195.39 करोड़ (67.89 प्रतिशत) का व्यय हुआ जो संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था, जैसा कि ***तालिका 3.8*** में वर्णित है।

तालिका 3.8: उन योजनाओं का विवरण जहां संशोधित अनुमान में प्रावधान किया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
1	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड को शेयर पूंजी [पी-01-06-4885-01-190-79-51]	150.00	105.00	70.00
अनुदान संख्या-10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
2	मूल हरित क्रांति राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (60:40) [पी-02-10-2401-51-109-75-51]	22.85	17.63	77.16
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता				
3	पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40) [पी-02-11-2425-51-106-99-51]	13.56	8.08	59.59
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
4	मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता [पी-01-12-2236-02-101-86-51]	20.25	2.26	11.16
अनुदान संख्या-19- सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/ आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
5	कोविड-19 के तहत दी गई राहत के लिए सब्सिडी [पी-01-19-2801-05-190-96-51]	81.15	62.42	76.92
	कुल	**287.81**	**195.39**	**67.89**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के विस्तृत विनियोग लेखा

(ट) दो योजनाओं अर्थात् 'प्रतिभा खोज योजना[2]' और 'पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर

[2] पी-01-12-2202-02-109-80-51

राइजिंग इंडिया) योजना[3]' में संशोधित अनुमान के माध्यम से ₹ 0.11 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन इन दोनों योजनाओं में क्रमशः ₹ 6.06 करोड़ और ₹ 6.85 करोड़ का व्यय हुआ, जो वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधान से अधिक था।

(ठ) अनुमोदित परिव्यय में तीन योजनाओं[4] में ₹ 550 करोड़ की राशि (₹ 50 करोड़ और अधिक का प्रावधान) प्रदान की गई थी जिसे संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया था लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 0.90 करोड़[5] का व्यय हुआ जो मूल अनुमानों का केवल 0.16 प्रतिशत था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए प्रभारित और दत्तमत विनियोग अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। अतः, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि भारत के संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

3.3.1 बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक-

---

3 पी-02-12-2202-02-789-94-51

4 ₹ 550 करोड़ = (i) ₹ 100 करोड़ {पीएचसी-हाई कोर्ट का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-05-2014-51-102-96-51]} + (ii) ₹ 300 करोड़ {खाद्य और आपूर्ति के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफएएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-11-2408-01-001-88-51]} + (iii) ₹ 150 करोड़ {विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (डीईवीपीएलओ-आरईवी) [पी-01-20-2515-51-001-96-51]}

5 ₹ 0.90 करोड़ = ₹ 0.11 करोड़ {पीएचसी-हाई कोर्ट का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-05-2014-51-102-96-51]} + (ii) ₹ 0.08 करोड़ {खाद्य और आपूर्ति के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफएएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-11-2408-01-001-88-51]} + (iii) ₹ 0.71 करोड़ {विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (डीईवीपीएलओ-आरईवी) [पी-01-20-2515-51-001-96-51]}

महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रखा जाना है। हरियाणा राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना, 2022-23 से बजट में तीन नए उप-शीर्ष (पूंजीगत भाग के अंतर्गत) खोले। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 599 करोड़ का बजट प्रदान किया और 2023-24 के दौरान इन शीर्षों में पूंजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 531.69 करोड़ का व्यय किया जैसा कि ***तालिका 3.9*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.9: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना अनधिकृत शीर्षों का संचालन/नए उप-शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
1	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका को सहायता अनुदान (अनधिकृत योजना) [पी-01-20-4217-60-051-87]	350.00	350.00
2	राज्य वित्त आयोग अंतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक हेतु नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान [पी-01-20-4217-60-789-99]	150.00	150.00
3	बागवानी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता [पी-01-10-6401-51-800-90]	99.00	31.69
	कुल	**599.00**	**531.69**

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों की टिप्पणियां।

इन उप-शीर्षों को खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया था (अगस्त 2022 और मई 2023) कि इन योजनाओं को पूंजीगत भाग के बजाय राजस्व भाग के अंतर्गत खोला जाना चाहिए, क्योंकि नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान को पूंजीगत प्रकृति के बजाय राजस्व प्रकृति के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसके अलावा, लेखों के पूंजीगत भाग का उद्देश्य सरकार की स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यय को रिकॉर्ड करना है, जबकि नगरपालिकाएं अलग संस्थाएं हैं। नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई पूंजीगत परिसंपत्ति को सरकार की परिसंपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। एमएच 6401-51-800-90-51-23 के अंतर्गत वित्तीय सहायता के मामले में, निधियां राज्य के व्यय के मानक उद्देश्य (एसओई 23) (ऋण) के अंतर्गत जारी की गई थी, लेकिन नामकरण का उल्लेख बागवानी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में किया गया था।

इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने राजस्व सेक्शन के अंतर्गत तीन अनधिकृत प्राप्ति लघु शीर्षों (एल.एम.एम.एच. के अनुसार प्रचालित नहीं किए गए शीर्ष) के अंतर्गत प्राप्ति अनुमान (₹ 30.89 करोड़) प्रदान किए तथा इन शीर्षों में ₹ 30.89 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 20.13 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिनका विवरण ***तालिका 3.10*** में दिया गया है।

तालिका 3.10: राजस्व सेक्शन के अंतर्गत अनधिकृत प्राप्ति लघु शीर्षों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति
1	0051 लोक सेवा आयोग, 102 राज्य लोक सेवा आयोग	5.00	11.08
2	0051 लोक सेवा आयोग, 103 कर्मचारी चयन आयोग	24.89	9.05
3	0215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 02 सीवरेज एवं स्वच्छता, 102-ग्रामीण जलापूर्ति से प्राप्तियां	1.00	0.00
	कुल	**30.89**	**20.13**

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 19 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 8,921.48 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। छः मामलों में, ₹ 4,622 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक था। दूसरी ओर, एक मामले में ₹ 2,639 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था ***(परिशिष्ट 3.10)***।

अनावश्यक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधानों का विवरण ***चार्ट 3.3*** में दिया गया है।

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

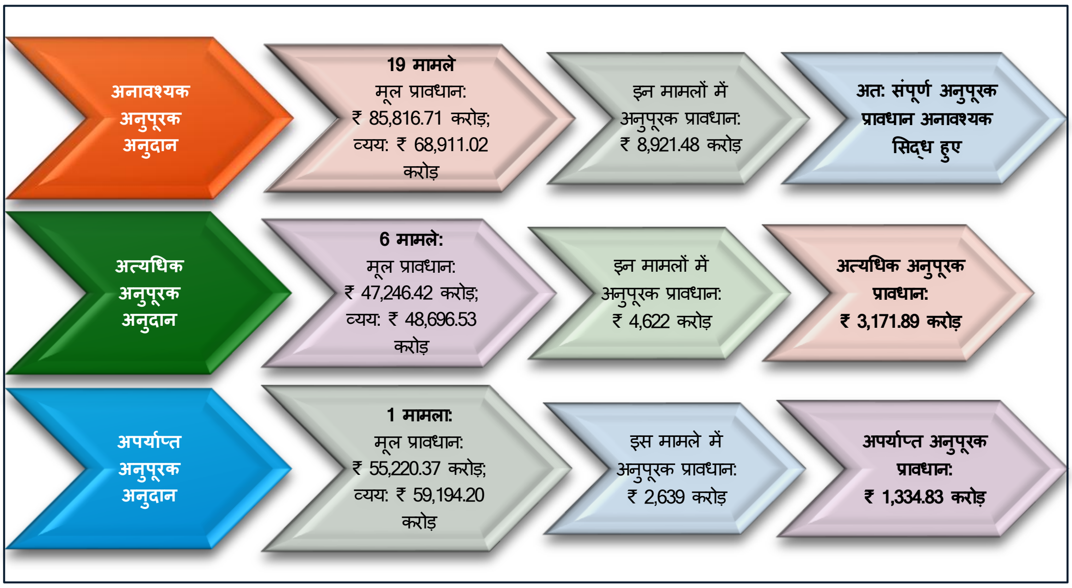

स्रोत: विनियोग लेखे

इस प्रकार से काफी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने आगे के अनुपालन के लिए इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनःविनियोग

पुनःविनियोग, विनियोग की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 33,470.79 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 49,894.27 करोड़ की राशि पुनःविनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप

₹ 16,423.48 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि ***चार्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर बचत और अभ्यर्पण

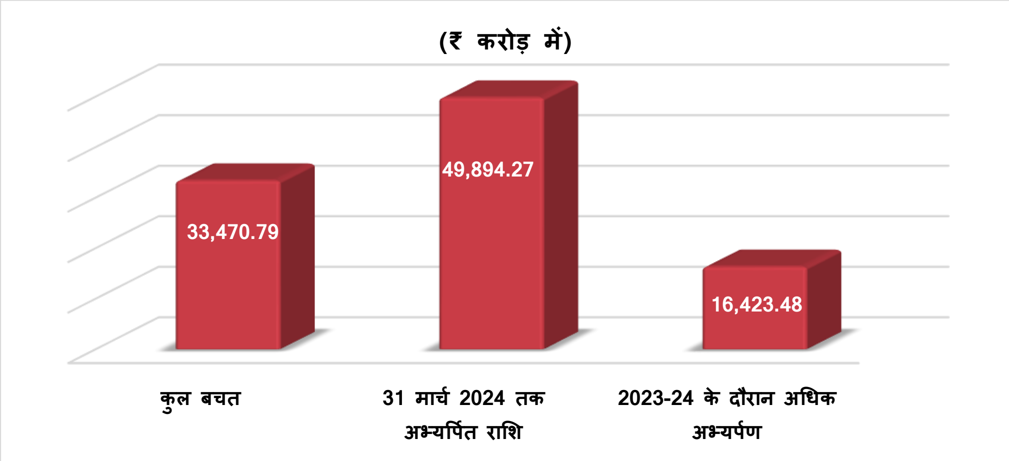

पुन:विनियोग अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक 79 उप-शीर्षों में ₹ 16,937.07 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ और 43 उप-शीर्षों के अंतर्गत, जहां विनियोग इससे अधिक था, ₹ 2,040.76 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.11*** में वर्णित हैं। 57 उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक थी। छः मामलों[6] में, पुन:विनियोग के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से अधिक था और 17 मामलों[7] में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि को पुन:विनियोग के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बजट प्रावधान के बिना व्यय करना पड़ा। सात मामलों[8] में, निधियों का पुन:विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि बचत पुन:विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 13 मामलों[9] में निधियों का पुन:विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय पुन:विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर, 39 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गई। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,78,674.10 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,43,873.70 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34,800.40 करोड की बचत हुई। इन बचतों के विरूद्ध ₹ 49,888.53 करोड़ अभ्यर्पित किए गए ***(परिशिष्ट 3.12)***, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक बचत से ₹ 15,088.13 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किए गए। यह अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

[6] ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 22, 27, 40, 78, 84 और 114.

[7] ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 59 और 64.

[8] ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 2, 16, 20, 42, 51, 62 और 99.

[9] ***परिशिष्ट 3.11*** की क्रम संख्या 6, 11, 17, 73, 82, 87, 98, 107, 109, 110,112, 121 और 122.

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 18 मामलों में ₹ 21,197.93 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 2,076.03 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था। 17 मामलों में, ₹ 13,251.17 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 30,415.33 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17,164.16 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण हुआ। चार मामलों में ₹ 351.30 करोड़ की संपूर्ण बचत अभ्यर्पित की गई थी। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

3.3.5 बचत

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल के पैरा 5.3 के अनुसार, अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना अपेक्षित हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटनों की तुलना में बचत

कुल बचत ₹ 33,470.79 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 30 मामलों में ₹ 34,576.23 करोड़ की बचत थी ***(परिशिष्ट 3.13)***। इन 30 मामलों में, ₹ 1,77,751.26 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,43,175.03 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 34,576.23 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में ₹ 500 करोड़ से अधिक की पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें ***तालिका 3.11*** में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.11: ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	3	1,245.35	53.20	1,298.55	723.24	(-) 575.31
2	4	2,940.52	774.30	3,714.82	2,377.78	(-) 1,337.04
3	5	7,820.13	0.01	7,820.14	7,249.91	(-) 570.23
4	6	13,676.89	1,263.79	14,940.68	14,101.62	(-) 839.06
5	10	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	(-) 2,832.57
6	12	21,111.63	196.99	21,308.62	17,855.58	(-) 3,453.04
7	14	6,445.77	259.15	6,704.92	6,086.29	(-) 618.63
8	15	1,639.94	24.07	1,664.01	867.94	(-) 796.07
9	16	10,633.27	1,268.90	11,902.17	10,922.64	(-) 979.53
10	17	5,514.07	500.00	6,014.07	4,672.35	(-) 1,341.72
11	19	12,099.89	1,126.28	13,226.17	11,184.95	(-) 2,041.22
12	20	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	(-) 4,463.34
	कुल	**1,01,849.67**	**7,016.44**	**1,08,866.11**	**89,018.35**	**(-) 19,847.76**
राजस्व (प्रभारित)						
13	6	21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	(-) 644.94
	कुल	**21,249.91**	**1,000.00**	**22,249.91**	**21,604.97**	**(-) 644.94**
पूंजीगत (दत्तमत)						
14	7	1,304.93	160.00	1,464.93	724.69	(-) 740.24
15	10	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	(-) 1,165.09
16	11	15,359.06	0.00	15,359.06	12,863.47	(-) 2,495.59
17	12	1,398.40	967.09	2,365.49	1,688.89	(-) 676.60
18	14	2,588.59	171.17	2,759.76	1,920.05	(-) 839.71
19	17	4,572.85	1,073.92	5,646.77	4,130.37	(-) 1,516.40
20	19	4,141.53	0.00	4,141.53	2,825.84	(-) 1,315.68
21	20	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	(-) 3,638.50
	कुल	**36,031.42**	**5,216.97**	**41,248.39**	**28,860.58**	**(-) 12,387.81**
	कुल योग	**1,59,131.00**	**13,233.41**	**1,72,364.41**	**1,39,483.90**	**(-) 32,880.51**

स्रोत: विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2023-24 के दौरान 81 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी ***(परिशिष्ट 3.14)***। इतनी बड़ी बचत दोषपूर्ण बजटिंग की सूचक है।

बजटीय आबंटन के विरूद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को ***चार्ट 3.5*** में वर्गीकृत किया गया है।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत/आधिक्य के साथ बचत/आधिक्य की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों[10]/विनियोगों की संख्या

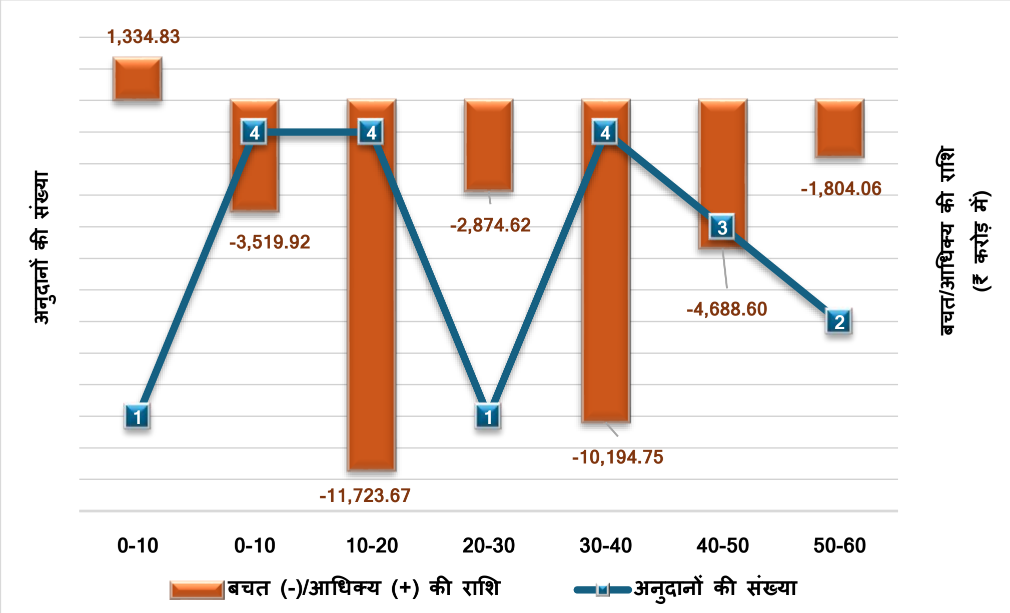

स्रोत: विनियोग लेखे

(ii) निरंतर बचतें

अनुदानों और विनियोग की आगे की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में सात अनुदानों और पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत 11 अनुदानों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बचत के साथ अनुदानों का विवरण ***तालिका 3.12*** में दिया गया है।

तालिका 3.12: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व (दत्तमत)						
1	1-विधान सभा	11.85 (13)	21.43 (24)	21.32 (22)	13.00 (13)	13.66 (14)
2.	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	209.71 (31)	163.35 (28)	144.22 (21)	353.66 (37)	575.31 (44)
3.	10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,950.83 (41)	2,137.11 (35)	2,029.07 (32)	1,418.12 (26)	2,832.57 (46)
4.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	238.79 (42)	268.32 (58)	301.31 (47)	185.00 (31)	166.68 (29)
5.	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	278.09 (23)	601.36 (39)	661.08 (33)	826.20 (41)	796.07 (48)
6.	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	147.25 (32)	117.63 (34)	121.90 (30)	223.88 (42)	108.71 (23)
7	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4,427.37 (33)	6,478.12 (39)	8,495.14 (50)	2,480.46 (22)	4,463.34 (32)

10 अनुदान संख्या 9-आकस्मिकता निधि को शामिल नहीं किया गया था, इस अनुदान में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत (दत्तमत)						
8	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	180.30 (44)	259.20 (49)	119.33 (36)	150.05 (35)	182.51 (31)
9	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	172.39 (42)	200.58 (65)	153.58 (37)	325.05 (59)	220.28 (47)
10	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	373.02 (22)	286.82 (24)	1,162.11 (55)	251.89 (20)	740.24 (51)
11.	10-खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	15.00 (75)	18.23 (61)	84.47 (86)	646.65 (51)	1,165.09 (57)
12.	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्रारंभिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	227.84 (93)	1,432.43 (80)	128.11 (21)	872.92 (46)	676.60 (29)
13.	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	25.16 (23)	76.91 (37)	72.42 (34)	66.24 (26)	148.79 (50)
14	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	371.78 (54)	516.71 (40)	523.91 (37)	533.90 (27)	839.71 (30)
15	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	32.14 (42)	60.71 (45)	72.61 (61)	36.01 (49)	267.75 (81)
16	16-अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	24.02 (91)	31.77 (80)	30.96 (83)	49.74 (81)	51.08 (89)
17	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	10.00 (19)	11.89 (13)	11.29 (13)	20.28 (11)	131.54 (69)
18	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,484.55 (42)	2,154.19 (57)	1,065.80 (22)	7,070.00 (75)	3,638.50 (49)

* **कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।**

आगे की जांच से पता चला कि पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत 66 योजनाओं में लगातार बचत देखी गई जिनमें प्रावधान (मूल अनुमान + अनुपूरक अनुमान) ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.15*** में दिया गया है।

3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

3.3.6.1 अत्यधिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 08 - लोक ऋण और अनुदान संख्या 18 - सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं लेखन सामग्री के अंतर्गत दो विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से ₹ 1,335.24 करोड़ अधिक संवितरित किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार पर मुख्य शीर्षवार अतिरिक्त संवितरण ***तालिका 3.13*** में दिया गया है।

तालिका 3.13: 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्षवार अत्यधिक व्यय संवितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	अनुदान संख्या 8- लोक ऋण (पूंजीगत-प्रभारित)				
	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	57,607.43	58,984.20	1,376.77
	6004	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	251.94	210.00	(-) 41.94
	कुल		57,859.37	59,194.20	1,334.83
2	अनुदान संख्या 18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व-प्रभारित)				
	2058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.32	0.73	0.41
	कुल		0.32	0.73	0.41
	कुल योग		57,859.69	59,194.93	1,335.24

इसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किया जाना अपेक्षित है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य सब-ऑप्टिमल आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2023-24 में कुल अनुदान और विनियोग ₹ 2,36,560.07 करोड़ थे। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 2,03,089.28 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2023-24 में ₹ 33,470.79 करोड़ (14.15 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसमें से ₹ 49,930.27 करोड़ (149.18 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिया गया। विवरण ***तालिका 3.14*** में दिया गया है।

तालिका 3.14: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	2023-24 के दौरान अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	1,05,282.29	7,018.22	1,12,300.51	91,880.94	(-) 20,419.57	34,861.19	170.72
	II पूंजीगत	34,028.26	4,446.29	38,474.55	25,913.71	(-) 12,560.84	11,402.02	90.77
	III ऋण एवं अग्रिम	4,197.91	957.12	5,155.03	4,055.22	(-) 1,099.81	1,332.89	121.19
Total Voted		1,43,508.46	12,421.63	1,55,930.09	1,21,849.87	(-) 34,080.22	47,560.10	139.66
प्रभारित	IV राजस्व	21,568.07	1,022.54	22,590.61	21,895.20	(-) 695.41	2,305.77	331.57
	V पूंजीगत	80.00	100.00	180.00	150.01	(-) 29.99	28.40	94.70
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	55,220.37	2,639.00	57,859.37	59,194.20	1,334.83	0.00	0.00
कुल प्रभारित		76,868.44	3,761.54	80,629.98	81,239.41	609.43	2,334.17	-
कुल योग		2,20,376.90	16,183.17	2,36,560.07	2,03,089.28	(-) 33,470.79	49,894.27	149.18

स्रोत: **विनियोग लेखे**

नोट: **ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियां राजस्व शीर्ष (₹ 580.44 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 10,142.79 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।**

₹16,183.17 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का सात प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 13 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट उपयोग ***चार्ट 3.6*** में दिया गया है।

चार्ट 3.6: 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट उपयोग

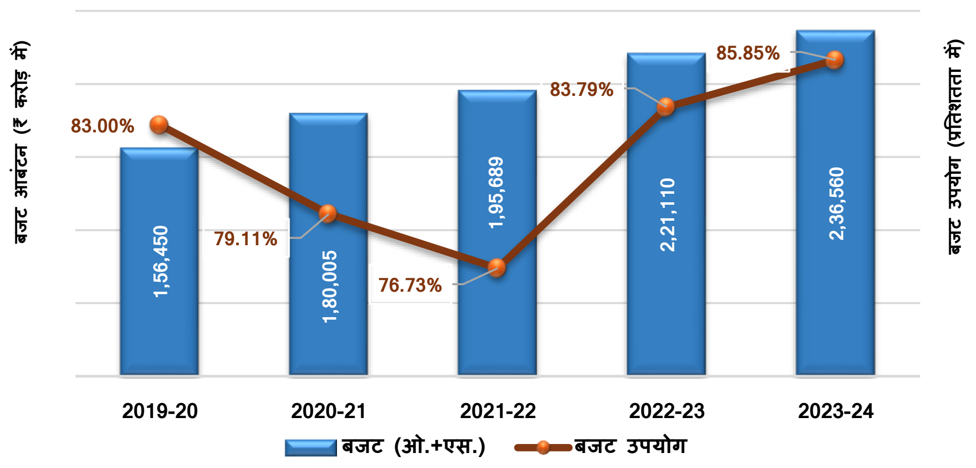

राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 2,20,376.90 करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 2,11,727.65 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 2,03,089.28 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय का डेटा ***तालिका 3.15*** में दिया गया है और प्रवृत्ति ***चार्ट 3.7*** में दी गई है।

तालिका 3.15: 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	1,47,065.11	1,59,777.68	1,73,901.32	1,95,429.94	2,20,376.90
अनुपूरक बजट	9,384.60	20,227.16	21,788.12	25,680.13	16,183.17
कुल बजट (टीबी)	1,56,449.71	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07	2,36,560.07
संशोधित अनुमान (आरई)	1,45,467.89	1,55,707.22	1,67,830.96	1,98,919.83	2,11,727.65
वास्तविक व्यय (एई)	1,29,856.27	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25	2,03,089.28
बचत	(-) 26,593.44	(-) 37,595.74	(-) 45,527.29	(-) 35,821.82	(-) 33,470.79
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	6.38	12.66	12.53	13.14	7.34
समग्र बचत/समग्र प्रावधान से अधिक की प्रतिशतता	(-) 17.00	(-) 20.89	(-) 23.27	(-) 16.20	(-) 14.15
कुल बजट - संशोधित अनुमान	10,981.82	24,297.62	27,858.48	22,190.24	24,832.42
संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय	15,611.62	13,298.12	17,668.81	13,631.58	8,638.37
(कुल बजट - संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.02	13.50	14.24	10.04	10.50
(संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	9.98	7.39	9.03	6.17	3.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमान लगातार कुल बजट से कम था। इस प्रकार, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि समान अवधि के दौरान व्यय मूल बजट प्रावधानों की सीमा तक भी नहीं आया जैसा कि ***चार्ट 3.7*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाने वाली प्रवृत्तियां

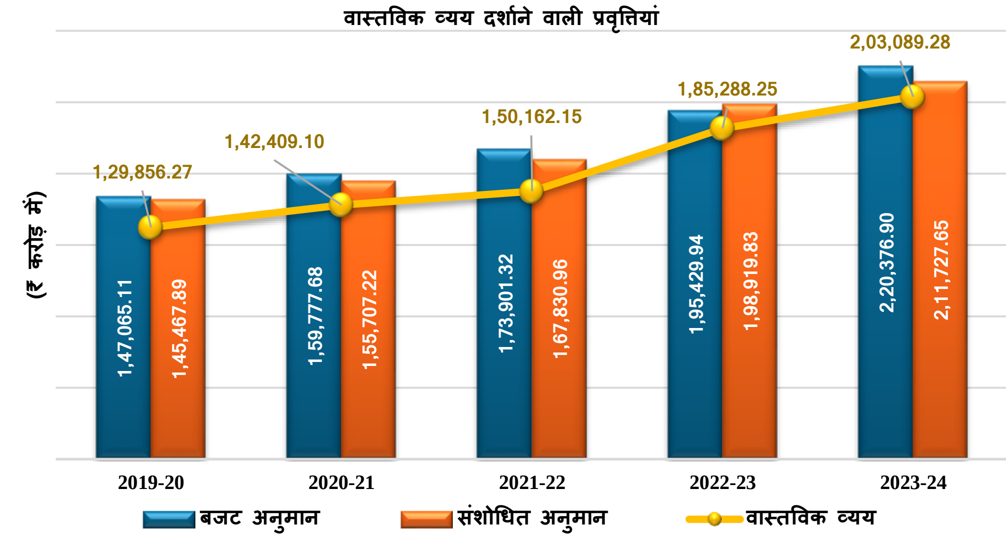

यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान लगातार बढ़े हुए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय ***तालिका 3.16*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-) (प्रतिशत में)
1	फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2401-51-113-82)	100.00	90.00	(-) 10.00 (10)
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	200.00	58.17	(-) 141.83 (71)
3	हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण-राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ाईकरण और सुधार (5054-03-337-88-99)	300.00	310.72	10.72 (104)
4	फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना (2401-51-108-83)	350.00	215.00	(-) 135.00 (39)
5	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	200.00	10.72	(-) 189.28 (95)
6	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69-51)	425.00	0.97	(-) 424.03 (99)
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	122.00	0.00	(-) 122.00 (100)
8	राज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	500.00	800.00	300.00 (160)
9	पशु चिकित्सा संस्थानों को खोलना/उन्नत करना और सुदृढ़ करना (2403-51-101-62-51)	129.95	85.87	(-) 44.08 (34)
10	स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब, हिसार (5053-60-102-98-51)	672.44	390.00	(-) 282.44 (42)
11	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88-51)	400.00	14.16	(-) 385.84 (96)
12	पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95)	110.00	81.67	(-) 28.33 (26)
13	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	650.00	247.12	(-) 402.88 (62)
14	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) (4515-51-101-97)	100.00	70.00	(-) 30.00 (30)
15	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना (2401-51-108-81)	336.61	196.00	(-) 140.61 (42)
16	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (2401-51-109-78)	200.00	164.00	(-) 36.00 (18)
17	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	359.00	152.46	(-) 206.54 (58)
18	एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज सेंट्रल (4215-01-102-98-99)	2,779.75	591.24	(-) 2,188.51 (79)
19	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन - प्रति बूंद अधिक फसल (2705-51-190-94-51)	509.60	181.40	(-) 328.20 (64)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-) (प्रतिशत में)
20	औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	150.00	28.33	(-) 121.67 (81)
21	नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण (4700-80-800-97)	250.00	143.56	(-) 106.44 (43)
22	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	550.00	318.90	(-) 231.10 (42)
23	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन- (2202-01-112-99)	788.00	725.79	(-) 62.21 (8)
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2202-02-109-86-51)	600.00	261.32	(-) 338.68 (56)
25	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	420.00	458.54	38.54 (109)
26	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य) (2216-02-192-99]	150.00	173.38	23.38 (116)
27	सहकारी चीनी मिलों में विद्युत उत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना [पी-01-07-6860-04-101-95-51]	300.00	0.00	(-) 300.00 (100)
28	मीठे पानी की जलीय कृषि का विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कर दिया गया [पी-02-10-2405-51-101-72-51]	166.06	78.60	(-) 87.46 (53)
29	जलापूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन [पी-01-20-4215-01-101-93-51]	200.00	274.02	74.02 (137)
30	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाना [पी-01-19-2705-51-188-99-51]	250.00	200.00	(-) 50.00 (20)
	कुल	12,268.41	6,321.94	(-) 5,946.47 (48)

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2023-24 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 12,268.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,321.94 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। कुल 30 योजनाओं में से 13 योजनाओं में बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ और तीन योजनाओं में बजट प्रावधान से अधिक (10 प्रतिशत से अधिक) व्यय हुआ। इन योजनाओं के बचत/आधिक्य के कारणों की चर्चा ***तालिका 3.17*** में की गई है।

तालिका 3.17: बचत/आधिक्य के कारणों का विवरण

योजना का नाम और वर्गीकरण	बचत/आधिक्य के कारण
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2401-51-109-80)	भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी की गई।
दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	प्रमुख कार्यों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति।
गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69-51)	सहायता अनुदान दावों और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु योजना-सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होना।
ज्य में सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	राज्य में अतिरिक्त सौर जल पम्पिंग प्रणाली की स्थापना।
स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88-51)	भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	भारत सरकार से कम निधि प्राप्त हुई।
एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज सेंट्रल (4215-01-102-98-99)	व्यय सीधे पीएफएमएस के माध्यम से किया गया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन - प्रति बूंद अधिक फसल (2705-51-190-94-51)	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किया जाएगा।
औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव का नाम बदलकर नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया है (2851-51-101-95)	विशेष प्रयोजन वाहनों ने रिलीज के लिए पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की हैं और स्टार्ट-अप - वेयरहाउसिंग/इन्क्यूबेशन सेंटर और मोबाइल ऐप के दावों की कम प्राप्ति हुई है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	भारत सरकार से केंद्रीय अंश की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होना!
सहकारी चीनी मिलों में विद्युत सहउत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना (6860-04-101-95-51)	ऋण दावों की प्राप्ति न होना।
मीठे पानी की जलीय कृषि का विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कर दिया गया (2405-51-101-72-51)	सब्सिडी के लिए कम निधियां प्राप्त होना तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना।
जलापूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन (4215-01-101-93-51)	अधिकता का कारण नहीं बताया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य) (2216-02-192-99]	भारत सरकार द्वारा लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) की अधिक किस्तें जारी की गईं।

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे और लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

3.4.3 व्यय की अधिकता

सरकारी निधियों को पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। वित्त विभाग, हरियाणा ने चरणबद्ध ढंग से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए तिमाही-वार प्रतिशतता (पहली तिमाही: 25 प्रतिशत; दूसरी तिमाही: 20 प्रतिशत; तीसरी तिमाही: 25 प्रतिशत, चौथी तिमाही: 30 प्रतिशत) निर्धारित की (अप्रैल 2016)।

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 3.16*** में सूचीबद्ध 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 24 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

इन मामलों में, वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए कुल ₹ 5,139.39 करोड़ के व्यय में से ₹ 2,088.87 करोड़ (40.64 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2024 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र एक महीने में 40.64 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 62.78 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ***परिशिष्ट 3.16*** में दिए गए 24 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान किया गया व्यय 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था। आगे यह देखा गया कि अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2216-आवास के संबंध में ₹ 418.72 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 237.73 करोड़ (57 प्रतिशत) और अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2701-मध्यम सिंचाई के अंतर्गत ₹ 222.07 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 192.65 करोड़ (87 प्रतिशत) चौथी तिमाही में खर्च किए गए थे।

मार्च 2024 की तिमाहियों के दौरान किए गए अनुदान-वार आबंटन और व्यय का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि पहली तिमाही में चार अनुदानों[11], दूसरी तिमाही में

[11] अनुदान संख्या 1, 5, 10 और 15.

15 अनुदानों[12], तीसरी तिमाही में दो अनुदानों[13] और अंतिम तिमाही में छः अनुदानों[14] में वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण ***परिशिष्ट 3.17*** में दर्शाया गया है।

अंतिम तिमाही के दौरान, विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय की अधिकता, वित्तीय औचित्य का अनुपालन न करने को दर्शाती है।

3.4.4 आकस्मिक निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) और 283(2) के प्रावधानों के अनुसार हरियाणा आकस्मिक निधि अधिनियम, 1966 (1967 का अधिनियम संख्या 2) के अंतर्गत की गई है। निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाना है, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अवांछनीय होगा। यह निधि अग्रिम की प्रकृति की है और अग्रिम स्वीकृत होने के तुरंत बाद विधानसभा के पहले सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके इसकी भरपाई की जानी आवश्यक है। इसका कोष ₹ 1,000 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की आकस्मिक निधि से ₹ 545.95 करोड़ का अग्रिम निकाला गया (मार्च 2024), जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वसूल नहीं किया गया। हालांकि, आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि को अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) में दर्शाया गया था और निधि की वसूली वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई थी। आकस्मिक निधि से निकाले गए अग्रिम का मुख्य शीर्षवार विवरण ***तालिका 3.18*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: आकस्मिक निधि से निकाले गए अग्रिम का मुख्य शीर्षवार विवरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2202-सामान्य शिक्षा	266.95
2	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	279.00
	कुल	**545.95**

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

प्रस्तावना

दो चयनित अनुदानों अर्थात अनुदान संख्या 10[15] और अनुदान संख्या 20[16] के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में भिन्नता की मात्रा का विश्लेषण किया गया।

[12] अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17 18, 19 और 20.

[13] अनुदान संख्या 13 और 17.

[14] अनुदान संख्या 2, 3, 6, 13, 19 और 20.

[15] खान एवं भूविज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण।

[16] शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय और अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

3.5.1 अनुदान संख्या 10 की समीक्षा

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 3.19*** में दी गई है।

तालिका 3.19: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	(-) 2,832.57 (46)
	प्रभारित	1.54	0.00	1.54	0.47	(-) 1.07 (69)
पूंजीगत[17]	दत्तमत	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	(-) 1,165.09 (57)
कुल योग		**7,548.09**	**686.63**	**8,234.72**	**4,235.99**	**(-) 3,998.73 (49)**

उपर्युक्त अनुदान संख्या 10 से, दो विभागों अर्थात (i) खान एवं भूविज्ञान और (ii) पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

तीन मुख्य शीर्ष अर्थात 2853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग खान एवं भूविज्ञान विभाग से संबंधित हैं, 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा चार मुख्य शीर्ष अर्थात 2403-पशुपालन, 2404-डेयरी विकास तथा 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा मुख्य शीर्ष 6403-पशुपालन के लिए ऋण पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित हैं, जिनमें वर्ष 2023-24 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 3.20*** में दी गई है।

---

[17] इसमें मुख्य शीर्ष 6401 के अंतर्गत फसल पालन के लिए ऋण, मुख्य शीर्ष 6403 के अंतर्गत पशुपालन के लिए ऋण और मुख्य शीर्ष 6416 के अंतर्गत कृषि वित्तीय संस्थानों को ऋण शामिल हैं।

तालिका 3.20: चयनित विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)
खान एवं भूविज्ञान विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	233.96	0	233.96	132.03	(-) 101.93 (44)
	कुल	**233.96**	**0**	**233.96**	**132.03**	**(-) 101.93 (44)**
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	272.37	0.01	272.38	108.20	(-) 164.18 (60)
	पूंजीगत (दत्तमत)	0	8.10	8.10	8.10	-
	कुल	**272.37**	**8.11**	**280.48**	**116.30**	**(-) 164.18 (59)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	229.59	0	229.59	88.49	(-) 141.10 (61)
	पूंजीगत (दत्तमत)	10.00	0	10.00	0	(-) 10.00 (100)
	कुल	**239.59**	**0**	**239.59**	**88.49**	**(-) 151.10 (63)**
पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	1,186.52	0	1,186.52	896.22	(-) 290.30 (24)
	राजस्व (प्रभारित)	0.30	0	0.30	0.01	(-) 0.29 (97)
	पूंजीगत (दत्तमत)	38.01	0	38.01	11.32	(-) 26.69 (70)
	कुल	**1,224.83**	**0**	**1,224.83**	**907.55**	**(-) 317.28 (26)**
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	916.95	68.01	984.96	891.23	(-) 93.73 (10)
	राजस्व (प्रभारित)	0.30	0	0.30	0.09	(-) 0.21 (70)
	पूंजीगत (दत्तमत)	440.00	0	440.00	129.41	(-) 310.59 (71)
	कुल	**1,357.25**	**68.01**	**1,425.26**	**1,020.73**	**(-) 404.53 (28)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	1,453.96	0	1,453.96	838.19	(-) 615.77 (42)
	राजस्व (प्रभारित)	0.25	0	0.25	0.01	(-) 0.24 (96)
	पूंजीगत (दत्तमत)	372.05	0	372.05	178.74	(-) 193.31 (52)
	कुल	**1,826.26**	**0**	**1,826.26**	**1,016.94**	**(-) 809.32 (44)**

चयनित दो विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2021-22 से 2023-24 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध खान एवं भूविज्ञान विभाग में बचत ₹ 101.93 करोड़ से ₹ 164.18 करोड़ के मध्य और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में ₹ 317.28 करोड़ से ₹ 809.32 करोड़ के मध्य थी। इसी अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता खान एवं भूविज्ञान विभाग में 44 से 63 प्रतिशत के मध्य और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में 26 से 44 प्रतिशत के बीच थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खान एवं भूविज्ञान विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि बचत का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति, कम्प्यूटरों की कम खरीद थी।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि बचत रिक्त पदों को न भरने, गौ सेवा आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी न देने और लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की परियोजनाओं को अंतिम रूप न देने आदि के कारण हुई।

(ii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 18.20 करोड़ के बजट प्रावधान (₹ एक

करोड़ से ऊपर) वर्ष (2023-24) के अंत में अप्रयुक्त रह गए जैसा कि ***तालिका 3.21*** में बताया गया है।

तालिका 3.21: अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	4059-01-051-58-खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु भूमि क्रय एवं भवन निर्माण योजना	10.00
2.	2403-51-102-76-पशुधन गणना के संचालन के लिए राज्य को सहायता योजना	1.20
3.	2403-51-789-89-अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना	4.00
4.	2403-51-789-96-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पशुधन बीमा योजना	3.00
	कुल	**18.20**

उपर्युक्त योजनाओं के लिए किए गए बजट का पूरा प्रावधान अंततः पुनः विनियोजित किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भवन निर्माण के लिए भूमि का कब्जा विभाग को नहीं सौंपा गया। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में बचत का कारण इन योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति न होना था।

(iii) निरंतर बचतें

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा पत्र संख्या 2/5/2022-1बीएंडसी दिनांक 20/10/2022 के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार योजनावार बजट प्रस्ताव यथार्थवादी होना चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

18 उप-शीर्षों (खान एवं भूविज्ञान विभाग: 3 और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग: 15) में कुल प्रावधान के 10.87 से 100 प्रतिशत के मध्य निरंतर बचत पाई गई, जो ***परिशिष्ट 3.18*** में दिए गए विवरण के अनुसार 2021-22 से 2023-24 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान को दर्शा रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि निरंतर बचत का मुख्य कारण रिक्त पदों को न भरना और विशेष खनन रक्षकों की कम भर्ती थी। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में निरंतर बचत का कारण रिक्त पदों को न भरना और कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बजट प्रस्ताव पिछले वर्षों के बजट/बचत को ध्यान में रखे बिना अवास्तविक तरीके से बनाए गए थे।

(iv) वस्तु शीर्ष का गलत वर्गीकरण

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 2/5/2022-आईबी एवं सी दिनांक 20 अक्तूबर 2022 के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के संबंध में संविदा कर्मचारियों को भुगतान वस्तु शीर्ष-69 के अंतर्गत संविदा सेवाओं से किया जाना था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 2.78 करोड़[18] के बजट प्रावधान के विरूद्ध नियोजित संविदा कर्मियों के भुगतान करने हेतु वस्तु शीर्ष-69 संविदा सेवाएं के माध्यम के स्थान पर वस्तु शीर्ष-02 मजदूरी के अंतर्गत ₹ 1.87 करोड़[19] का व्यय किया गया, जो वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था।

(v) व्यय की अधिकता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में कुल ₹ 61.52 करोड़ के व्यय में से ₹ 53.72 करोड़ (87 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में 12 योजनाओं के अंतर्गत (₹ एक करोड़ और उससे अधिक) किया गया। इसके अलावा, मार्च 2024 के महीने के दौरान ₹ 13.37 करोड़ (22 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जैसा कि ***तालिका 3.22*** में बताया गया है।

तालिका 3.22: 2023-24 में व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल व्यय	पिछली तिमाही के दौरान व्यय (प्रतिशत में)	मार्च 2024 के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की योजना (2403-51-101-59)	0.87	0.87 (100)	0.87 (100)
2.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत पशुओं की अधिसूचित बीमारियों के कारण वध के विरुद्ध मुआवजे की योजना (2403-51-101-60)	0.64	0.64 (100)	0.64 (100)
3.	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (2403-51-101-63)	1.80	1.80 (100)	1.80 (100)
4.	स्वदेशी मवेशियों के संरक्षण एवं विकास तथा मुर्राह विकास की योजना (2403-51-102-66)	4.90	1.58 (32)	0.52 (11)
5.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना (2403-51-102-67)	6.80	6.80 (100)	4.17 (61)
6.	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69)	0.97	0.97 (100)	0.97 (100)
7.	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना (2403-51-102-81)	2.12	0.72 (34)	0.12 (6)
8.	बैकयार्ड पोल्ट्री इकाई की स्थापना की योजना (2403-51-103-95)	0.63	0.21 (33)	0.04 (6)
9.	दूध, अंडे, ऊन एवं मांस/चारा और घास के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण आकलन हेतु योजना/मूल्यांकन विकास परियोजना (2403-51-113-96)	1.40	0.70 (50)	0.50 (50)
10.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (2403-51-789-92)	0.61	0.61 (100)	0.61 (100)
11.	नाबार्ड सहायता (4403-51-101-99-98)	2.00	2.00 (100)	2.00 (100)
12.	राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (4403-51-101-99-99)	38.78	36.82 (95)	1.13 (3)
	कुल	**61.52**	**53.72 (87)**	**13.37 (22)**

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि वित्त विभाग द्वारा अंतिम तिमाही में बजट जारी कर दिया गया था।

(vi) विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान के बजाय वित्तीय सहायता के माध्यम से आवंटित निधियां

भारतीय सरकार के लेखांकन मानक-3 में यह प्रावधान है कि ऋण, सरकार द्वारा लाभार्थी संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन, सामान या सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से दी

[18] ₹ 2.78 करोड़ = 2853-02-001-98-02 मजदूरी: ₹ 1.25 करोड़ + 2853-02-001-99-98-02 मजदूरी: ₹ 1.53 करोड़।

[19] ₹ 1.87 करोड़ = 2853-02-001-98-02 मजदूरी: ₹ 0.77 करोड़ + 2853-02-001-99-98-02 मजदूरी: ₹ 1.10 करोड़।

जाने वाली सहायता है, जिसके अंतर्गत ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार ब्याज सहित समतुल्य धनराशि वापस प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार निहित होता है।

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार (विश्वविद्यालय) को वेतन, मजदूरी, कार्यालय व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष 2403 के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में 2022-23 की पहली तिमाही में ₹ 37 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, 2022-23 और 2023-24 (दूसरी तिमाही 2022 से आगे) के दौरान, विश्वविद्यालय को ऋण शीर्ष-6403 के अंतर्गत ब्याज मुक्त स्थायी ऋण के रूप में गैर-वसूली योग्य वित्तीय सहायता के रूप में अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 251.49 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह राशि मुख्य शीर्ष 6403 में प्रभारित/डेबिट की गई है, जो नियंत्रक महालेखाकार द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार ऋण शीर्षों से संबंधित है। स्वीकृतियों की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि वसूली के लिए नियम और शर्तों के अभाव में व्यय को ऋण नहीं माना जा सकता। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और राजस्व व्यय के साथ-साथ राजस्व घाटे को भी कम करके दिखाया गया। मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया (अगस्त 2024), उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2024)।

3.5.2 अनुदान संख्या 20 की समीक्षा

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत कार्यात्मक शीर्षों के अधीन आबंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/अधिशेष की समग्र स्थिति ***तालिका 3.23*** में दी गई है।

तालिका 3.23: अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	(-) 4,463.34 (32)
	प्रभारित	0.40	0.00	0.40	0.00	(-) 0.40 (100)
पूंजीगत	दत्तमत	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	(-) 3,638.50 (49)
कुल योग		**17,842.13**	**3,707.91**	**21,550.04**	**13,447.80**	**(-) 8,102.24 (38)**

अनुदान संख्या 20 से दो विभागों अर्थात (i) शहरी स्थानीय निकाय विभाग और (ii) ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास विभाग को आगे की समीक्षा के लिए चुना गया था।

चार मुख्य शीर्ष अर्थात प्रमुख शीर्ष: 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2217-शहरी विकास, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के ऋण शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित हैं और पांच मुख्य शीर्ष अर्थात, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान इन विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के लिए चयनित दो विभागों के कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 3.24*** में दी गई है।

तालिका 3.24: चयनित विभागों का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)
शहरी स्थानीय निकाय विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	4,101.10	4,162.58	8,263.68	4,566.87	(-) 3,696.81 (45)
	पूंजीगत (दत्तमत)	5.00	0.00	5.00	0.00	(-) 5.00 (100)
कुल		**4,106.10**	**4,162.58**	**8,268.68**	**4,566.87**	**(-) 3,701.81 (45)**
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	3,365.03	878.03	4,243.06	3,286.44	(-) 956.62 (23)
	पूंजीगत (दत्तमत)	2,515.02	0.00	2,515.02	671.85	(-) 1,843.17 (73)
कुल		**5,880.05**	**878.03**	**6,758.08**	**3,958.29**	**(-) 2,799.79 (41)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	3,953.47	691.60	4,645.07	2,820.37	(-) 1,824.70 (39)
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,345.03	0.00	1,345.03	500.00	(-) 845.03 (63)
कुल		**5,298.50**	**691.60**	**5,990.10**	**3,320.37**	**(-) 2,669.73 (45)**
ग्रामीण विकास विभाग						
2021-22	राजस्व (दत्तमत)	5,836.17	292.37	6,128.54	1,956.82	(-) 4,171.72 (68)
	राजस्व (प्रभारित)	0.40	0.00	0.40	0.02	(-) 0.38 (95)
	पूंजीगत (दत्तमत)	150.01	0.00	150.01	100.04	(-) 49.97 (33)
कुल		**5,986.58**	**292.37**	**6,278.95**	**2,056.88**	**(-) 4,222.07 (67)**
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	4,232.30	0.05	4,232.35	2,445.94	(-) 1,786.41 (42)
	राजस्व (प्रभारित)	0.40	0.00	0.40	0.06	(-) 0.34 (85)
	पूंजीगत (दत्तमत)	2,600.20	0.00	2,600.20	407.27	(-) 2,192.93 (84)
कुल		**6,832.90**	**0.05**	**6,832.95**	**2,853.27**	**(-) 3,979.68 (58)**
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	6,027.55	0.00	6,027.55	3,623.60	(-) 2,403.95 (39)
	राजस्व (प्रभारित)	0.40	0.00	0.40	0.00	(-) 0.40 (100)
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,181.37	500.00	1,681.37	1,232.16	(-) 449.21 (27)
कुल		**7,209.32**	**500.00**	**7,709.32**	**4,855.76**	**(-) 2,853.56 (37)**

यह देखा गया था कि 2021-22 से 2023-24 के वित्तीय वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकाय विभाग में बचत ₹ 2,669.73 करोड़ से ₹ 3,701.81 करोड़ के मध्य और ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 2,853.56 करोड़ से ₹ 4,222.07 करोड़ के मध्य थी। इसी अवधि के दौरान उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 41 से 45 प्रतिशत के मध्य और ग्रामीण विकास विभाग में 37 से 67 प्रतिशत के मध्य थी। योजना-वार बचत की चर्चा नीचे की गई है:

(ii) बचत की तुलना में भत्ते

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा पत्र संख्या 2/5/2022-1बीएंडसी दिनांक 20 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होना चाहिए और विभाग की संभावित न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

दो चयनित विभागों के बजट और व्यय की जांच के दौरान यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 34 योजनाओं में से 13 योजनाओं में ₹ 1,064.94 करोड़ (29 प्रतिशत) और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 68 योजनाओं में से 28 योजनाओं में ₹ 2,074.39 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जबकि बजट प्रावधान क्रमशः ₹ 3,715.70 करोड़ और ₹ 4,851 करोड़ था ***(परिशिष्ट 3.19)***। आगे, इन 41 योजनाओं में से 34 योजनाओं में बचत उनके आवंटित बजट के विरूद्ध 50 प्रतिशत से अधिक थी।

यह वास्तविक वित्तीय योजना की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण का संकेत देता है। विभाग ने पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग में निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की और राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों की कमी हुई।

(iii) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत चयनित दो विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि 22 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 1,364.50 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष (2023-24) के अंत में अप्रयुक्त रह गया (₹ एक करोड़ और उससे अधिक का बजट प्रावधान) जैसा कि ***तालिका 3.25*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.25: अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-80-192-89)	37.50
2.	दूध डेयरियों का स्थानांतरण (2217-80-800-76)	1.00
3.	डीएलबी के निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) - निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (4217-60-001-98)	800.00
4.	स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) (2501-06-101-96)	10.00
5.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-101-97)	25.00
6.	एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-789-98)	10.00
7.	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी की स्थापना का नाम बदलकर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी रखा गया (2515-51-003-98-98)	1.00
8.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-51-101-81)	30.00
9.	विकास कार्यों के लिए मिलान सहायता अनुदान (सरकारी अंश) (2515-51-101-93)	3.00
10	हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना (2515-51-102-82)	1.00
11	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता (2515-51-102-90)	30.00
12	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-102-93-99)	122.00
13	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) की योजना (2515-51-102-96-99)	10.00
14	गैर-सरकारी लोगों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन (2515-51-102-98)	1.00
15	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2515-51-106-96)	60.00
16	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2515-51-106-97)	50.00
17	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (2515-51-106-98)	10.00
18	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी (2515-51-190-99)	4.00
19	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता हेतु योजना (2515-51-789-91)	10.00
20	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-789-98)	45.00
21	अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) की योजना (2515-51-789-99)	10.00
22	विकास एवं पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) (4515-51-101-98)	94.00
	कुल	**1,364.50**

इन योजनाओं के लिए किए गए बजट के पूरे प्रावधान को अंततः पुनःविनियोग किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। आगे, यह भी देखा गया कि उपर्युक्त 22 योजनाओं में से छः[20] योजनाएं पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में लागू नहीं की गई थी।

(iv) निधियों की पार्किंग

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I (हरियाणा राज्य में लागू) के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है। वित्त विभाग ने भी विशेष निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि समेकित निधि से बजटीय आवंटन के आधार पर निकाली गई निधियों को रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए बजटीय आवंटन को समेकित निधि से निकालने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से परे किसी भी तरीके से और बिना किसी औचित्य/योग्यता/धारणा के रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

आगे, बैंकों के साथ लेन-देन के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (अप्रैल 2018) के पैरा 8 के अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खाते में धनराशि को निष्क्रिय रखने के लिए नहीं निकालना चाहिए।

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत चयनित दो विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित मामले पाए गए जिनमें धनराशि सरकारी खातों से बाहर रखी गई थी:

- 31 मार्च 2024 तक निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के 11 बैंक खातों में ₹ 1,695.03 करोड़ की धनराशि रखी गई थी ***(परिशिष्ट 3.20)***। आगे, नमूना-जांच की गई 16 इकाइयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्देशों और नीति के उल्लंघन में ₹ 32.82 करोड़ की धनराशि भी बैंक खातों में रखी गई थी ***(परिशिष्ट 3.21)***। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति (ईओपीएस), भिवानी में, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) निधि से संबंधित बचत बैंक खाते में न्यूनतम ₹ 23.96 लाख फरवरी 2021 से बिना उपयोग के पड़े थे। निधियों का उपयोग न करना या उपयोग में देरी समय पर योजनाओं के इच्छित लाभ से वंचित होने का संकेत देती है।

[20] क्र.सं. 2, 3, 8, 13, 17 और 21.

- निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला (डीयूएलबी) और नमूना-जांच की गई छः कार्यान्वयन एजेंसियों[21] के अभिलेखों की जांच के दौरान, 31 मार्च 2024 तक निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय और नमूना जांच की गई छः कार्यान्वयन एजेंसियों के 14 बैंक खातों में निर्देशों और नीति के उल्लंघन में ₹ 594.46 करोड़ (₹ 308.91 करोड़ + ₹ 285.55 करोड़) की राशि पड़ी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.22*** में विवरण दिया गया है।

निधियों के आहरण तथा बैंक खाते में उनके प्रतिधारण के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय स्थगित/वंचित हो गया। इस तरह के आहरण सार्वजनिक व्यय की गलत तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि बजट में प्रदान की गई निधि का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने संबंधित विभागों के साथ इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया।

(v) एसएनए खाते का संचालन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन, एफ.नं. I(13)पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधियों को जारी करने की प्रक्रिया और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के बारे में निर्देश जारी किए थे, ताकि अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन हो और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता आए। ये निर्देश 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गए हैं। निर्देशों के खंड 20 में यह प्रावधान है कि, *"एसएनए प्राप्त सभी निधियों को केवल एकल नोडल खाते (एसएनए) में रखेगा और इसे सावधि जमा/फ्लेक्सी-खाता/बहु-विकल्प जमा खाता/कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट खाता आदि में नहीं बदलेगा।"*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डीयूएलबी) ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत जारी धनराशि से 2023-24 के दौरान ₹ 4.90 करोड़ के लिए सावधि जमा खाता खोला था, जैसा कि ***तालिका 3.26*** में विवरण दिया गया है, जो कि उक्त ज्ञापन/निर्देशों के खंड 20 का उल्लंघन था।

तालिका 3.26: 2023-24 के दौरान खोले गए सावधि जमा/फिक्स्ड डिपॉजिट का विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता नंबर	खाते की प्रकृति	सावधि जमा की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)
एसबीएम निधि के अंतर्गत सावधि जमा का विवरण (आईडीबीआई खाता नंबर 0132088432400 के एसएनए से)					
1	आईडीबीआई	16106000350341	सावधि जमा	11 अगस्त 2023 से 28 अक्तूबर 2024	1.90
2	आईडीबीआई	16106000350358	सावधि जमा	11 अगस्त 2023 से 28 अक्तूबर 2024	1.50
3	आईडीबीआई	16106000350365	सावधि जमा	11 अगस्त 2023 से 28 अक्तूबर 2024	1.50
कुल					4.90

[21] (i) पंचकुला, (ii) फ़रीदाबाद, (iii) टोहाना, (iv) समालखा, (v) कुंडली और (vi) कुरूक्षेत्र।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(vi) निष्पादन से जुड़ा परिव्यय

निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार राज्य के विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानती है। इसलिए, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय योजना के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करके राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होने की संभावना थी। इसका उद्देश्य विभागों को उत्पादक उपयोग के लिए संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, इसे निधियों की पार्किंग पर अंकुश लगाने और वर्ष के अंत में निकासी में तेजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यह विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट को फिर से आवंटित करने के लिए वित्त विभाग की सुविधा के लिए भी था।

अनुदान की जांच के दौरान, यह पाया गया कि विकास एवं पंचायत विभाग (4515-51-101-98) के लिए "निष्पादन से जुड़े परिव्यय" योजना के लिए किए गए ₹ 94 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया और निधियों की आवश्यकता न होने के कारण इसे अभ्यर्पित कर दिया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 94 करोड़ में से ₹ 65 करोड़ विकास कार्यों के लिए नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना, जिसका नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना (4515-51-103-99) कर दिया गया, के अंतर्गत डायवर्ट किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, ये निधियां योजना के पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा में अप्रयुक्त रखी गई थी। इस प्रकार, निधियों को निकालने और बैंक खाते में रखने के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय स्थगित/वंचित हो गया।

(vii) निरंतर बचतें

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा पत्र संख्या 2/5/2022-1बीएंडसी दिनांक 20/10/2022 के अनुसार 2023-24 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार योजनावार बजट प्रस्ताव यथार्थवादी होना चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

34 उप-शीर्षों (शहरी स्थानीय निकाय विभाग: 8 और ग्रामीण विकास विभाग: 26) में कुल प्रावधान के 15 से 100 प्रतिशत के मध्य निरंतर बचत पाई गई, जो ***परिशिष्ट 3.23*** में दिए गए विवरण के अनुसार 2021-22 से 2023-24 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान को दर्शा रही थी।

(viii) व्यय की अधिकता

चयनित दो विभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में ₹ 398.68 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 2,659.90 करोड़ के कुल व्यय में से, 18 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 224.53 करोड़ (56 प्रतिशत) और ₹ 1,492.85 करोड़ (56 प्रतिशत) का व्यय (₹ 50 लाख से अधिक और 30 प्रतिशत से अधिक) वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में ₹ 171.67 करोड़ (43 प्रतिशत) और ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 895.68 करोड़ (34 प्रतिशत) का व्यय माह (मार्च 2024) के दौरान किया गया था जैसा कि ***तालिका 3.27*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.27: अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत चयनित दो विभागों में व्यय की अधिकता

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)		
		कुल	अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में)	मार्च 2024 के दौरान (प्रतिशत में)
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग			
1	राज्य में जिला नगर आयुक्तों की नई स्थापना का सृजन (2217-80-001-89)	1.87	0.57 (31)	0.17 (9)
2	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास की योजना (2217-80-192-83)	312.13	156.36 (50)	154.58 (50)
3	नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान (2217-80-192-92)	59.68	53.85 (90)	3.17 (5)
4	कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान (2217-80-800-99)	25.00	13.75 (55)	13.75 (55)
	कुल	**398.68**	**224.53 (56)**	**171.67 (43)**
	ग्रामीण विकास विभाग			
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं (2501-05-101-99)	8.24	4.12 (50)	-
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम / आजीविका) (2501-06-101-99-99)	61.41	30.70 (50)	30.70 (50)
3	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना (2501-06-102-97)	3.52	3.52 (100)	0.00 (0)
4	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-789-99)	18.23	9.11 (50)	9.11 (50)
5	डीआरडीए प्रशासन (2501-06-800-97)	25.00	12.85 (51)	6.10 (24)
6	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (मनरेगा) सामान्य (2505-02-101-95)	1.16	0.58 (50)	-
7	प्रशासनिक आकस्मिक योजना (मनरेगा) - सामान्य (2505-02-101-98)	4.60	4.60 (100)	-
8	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) (2505-02-101-99)	152.46	59.50 (39)	-
9	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-51-101-89)	1,157.99	638.67 (55)	570.39 (49)
10	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/ मरम्मत (2515-51-102-97)	41.73	33.84 (81)	1.89 (5)
11	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास (2515-51-198-96)	24.35	24.35 (100)	24.35 (100)
12	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को संयुक्त अनुदान (2515-51-198-97)	570.11	376.65 (66)	250.14 (44)
13	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को बंधे हुए अनुदान (2515-51-198-98)	580.38	290.19 (50)	-
14	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (451551-101-99)	10.72	4.17 (39)	3.00 (28)
	कुल	**2,659.90**	**1,492.85 (56)**	**895.68 (34)**

इस प्रकार, अंतिम तिमाही विशेषकर मार्च माह में व्यय करना विभाग के अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.6 निष्कर्ष

2023-24 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 85.85 प्रतिशत था। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 25 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। वर्ष 2023-24 में दो अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता थी।

कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता आदि से संबंधित 30 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 12,268.41 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 6,321.94 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय था। कुल 30 योजनाओं में से 13 योजनाओं में बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत से कम व्यय हुआ।

वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। बारह अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 24 शीर्षों में 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 41 प्रतिशत मार्च 2024 में किया गया था।

3.7 सिफारिशें

1. सरकार बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय की क्षमता के सही आकलन के साथ वास्तविक बजट अनुमान तैयार करे।
2. सरकार अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन पर विचार करे और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
3. सरकार को समय-समय पर निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए, ताकि वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचा जा सके और समय पर समर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग किया जा सके।

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हों तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित अपने मूल प्रबंधकीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, राज्य प्रतिअनुपूरक वनरोपण जमा तथा खदान एवं खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं/निधियों में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 0.06 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है।

4.2 बजट से बाहर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूलधन चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में दर्शाना होगा।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने हरियाणा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की सहमति से गृह विभाग द्वारा ऋण गारंटी की संस्वीकृति जारी की गई थी। संस्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार मूलधन और ब्याज की अदायगी ऋण करार के अनुसार की जाएगी। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज के साथ ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, ये बजट से बाहर उधार की प्रकृति के थे।

गृह विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार ऋणों के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन में बजट एवं लेखा में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया

था। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण (₹ 845.35 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की देयता को लेखों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 31 मार्च 2024 तक हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखों में हुडको की ओर ₹ 201.60 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। वित्त लेखों में ऋणों को नहीं दर्शाने के परिणामस्वरूप उधार की राशि को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी निधियां सीधे तौर पर अंतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 15,373.59 करोड़ अंतरित किए जिसमें राज्य में मध्यस्थों/लाभार्थियों को अंतरण शामिल था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया है।

4.4 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण ***तालिका 4.1*** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक शेष	7.81	7.34	8.77	9.05	9.13
प्राप्ति	1.66	2.34	0.68	0.87	0.78
संवितरण	2.13	0.91	0.40	0.79	1.02
अंतिम शेष	7.34	8.77	9.05	9.13	8.89

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है)/वित्तीय नियम/वित्तीय संहिता, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अनुदानग्राही द्वारा अनुदान की स्वीकृति के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर यह जोखिम रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन मामलों में जिनमें व्यय के विशेष उद्देश्यों

के विनिर्देश के रूप में अनुदान के उपयोग की शर्तें जुड़ी हुई हैं या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और लेखों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.2*** *और* ***तालिका 4.3*** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष[1]	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58
2020-21	2,004	10,597.58	730	6,425.48	292	2,472.28	2,442	14,550.78
2021-22	2,442	14,550.78	654	5,333.74	265	1,583.19	2,831	18,301.02
2022-23	2,831	18,301.02	695	6,800.26	866	7,124.63	2,660	17,976.65
2023-24	2,660	17,976.65	603	6,319.29	1,226	7,276.44	2,037	17,019.50

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

₹ 17,976.65 करोड़ की राशि के 2,660 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31 मार्च 2023 तक) में से पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 7,276.44 करोड़ के 1,226 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष 2023-24 के दौरान निपटान कर दिया गया था। 31 मार्च 2024 तक ₹ 17,019.50 करोड़ के 2,037 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 मार्च 2023 को प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	1	10.85
2010-11	7	33.08
2011-12	41	137.00
2012-13	48	241.74
2013-14	78	562.58
2014-15	58	199.44
2015-16	126	281.31
2016-17	180	595.99
2017-18	160	783.81
2018-19	281	2,019.47
2019-20	354	3,052.85
2020-21	90	671.51
2021-22	264	4,325.17
2022-23	349	4,104.70
कुल	**2,037**	**17,019.50**

[1] 2022-23 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2023-24 के दौरान ही देय हैं।

कुल 2,037 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 12,914.80 करोड़ के अनुदान के 1,688 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2009-10 से 2021-22 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 17,019.50 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, 87.53 प्रतिशत चार विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभागः ₹ 5,551.38 करोड़ (32.62 प्रतिशत), शहरी विकास विभागः ₹ 5,320.07 करोड़ (31.26 प्रतिशत), स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा: ₹ 2,470.12 करोड़ (14.51 प्रतिशत) एवं सामान्य शिक्षा विभागः ₹ 1,555.41 करोड़ (9.14 प्रतिशत) से संबंधित हैं जैसा कि ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है और मामले में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग को पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

4.6 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे अपेक्षित राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्षों से धन डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विस्तृत आकस्मिक बिलों का विलंब से प्रस्तुत करना या लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि निधियां तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना निकाली गई थी और इससे लेखों की पूर्णता और सत्यता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2024 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का विवरण ***तालिका 4.4*** में दिया गया है।

तालिका 4.4: 31 मार्च 2024 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का विवरण

वर्ष	असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	322	133.33
2023-24	533	236.34
कुल	**855**	**369.67**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा से प्राप्त सूचना

4.7 लघु शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,245.48 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय

(₹ 1,29,116.64 करोड़) का 2.51 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान ₹ 9,488.99 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 1,18,071.16 करोड़) का 8.04 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, ₹ 3,267.03 करोड़ की प्राप्तियां, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,01,314.84 करोड़) का 3.22 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जबकि पिछले वर्ष ₹ 3,811.78 करोड़ की प्राप्तियां वर्गीकृत की गई थी, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 89,194.69 करोड़) का 4.27 प्रतिशत है, जो उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (50 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, ***तालिका 4.5*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.5: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2075[2]	विविध सामान्य सेवाएं	0.88	0.51	57.95
2.	2700[3]	मुख्य सिंचाई	1,721.86	1,207.02	70.10
3.	2701	मध्यम सिंचाई	222.07	181.67	81.81
कुल			1,944.81	1,389.20	71.43

2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन

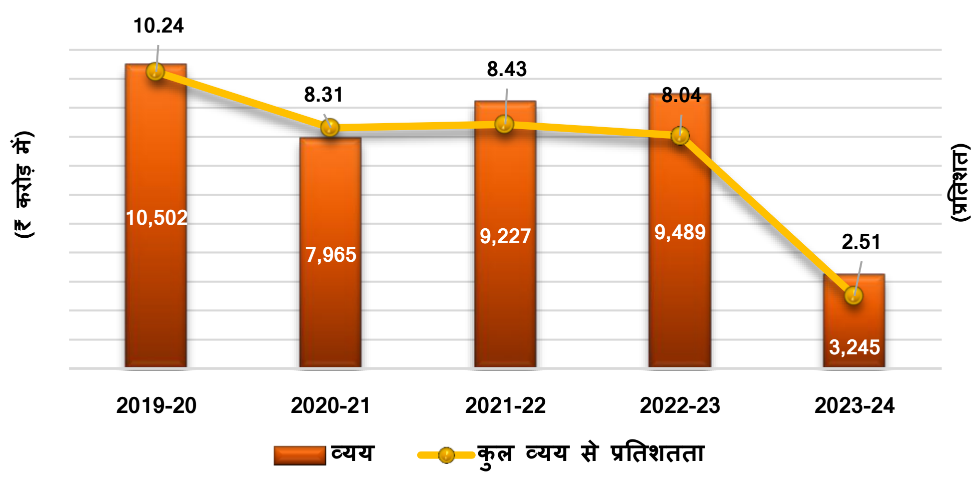

2 मुख्य शीर्ष 2075 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) से संबंधित है।

3 मुख्य शीर्ष 2700 और 2701 पूंजी, ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज से संबंधित है।

लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय 2019-20 में 10.24 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.31 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2021-22 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 8.43 प्रतिशत हो गया और 2022-23 में और घटकर 8.04 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में इस मद में व्यय घटकर 2.51 प्रतिशत रह गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

माप से संबंधित मामले

4.8 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में ***तालिका 4.6*** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे						
लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	--	1.05	--	(-) 2.31	(-) 4.35	--
निवल	1.05 (क्रेडिट)		2.31 (डेबिट)		4.35 (क्रेडिट)	
102-उचंत लेखे (सिविल)	-	(-) 0.08	--	0.18	(-)0.10	0.01
निवल	0.08 (डेबिट)		0.18 (क्रेडिट)		0.11 (क्रेडिट)	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	36.09	18.14	15.64	10.20	16.27	15.58
निवल	17.95 (डेबिट)		5.44 (डेबिट)		0.69 (डेबिट)	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 0.39	5.55	0.35	(-) 27.33	30.60	(-)12.71
निवल	5.94 (क्रेडिट)		27.68 (डेबिट)		43.31 (डेबिट)	
110-रिजर्व बैंक उचंत - केंद्रीय लेखा कार्यालय	(-) 20.30	(-) 15.96	--	8.03	0.43	2.00
निवल	4.34 (क्रेडिट)		8.03 (क्रेडिट)		1.57 (क्रेडिट)	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	1,347.84	1,088.91	1,729.38	1,572.53	2,251.33	1,844.20
निवल	258.93 (डेबिट)		156.85 (डेबिट)		407.13 (डेबिट)	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-लोक निर्माण प्रेषण	10,790.00	10,786.50	10,116.57	10,081.48	12,099.18	12,083.04
निवल	4 (डेबिट)		35.09 (डेबिट)		16.14 (डेबिट)	
103-वन प्रेषण	202.28	202.71	334.72	332.74	278.05	278.34
निवल	0.43 (क्रेडिट)		1.98 (डेबिट)		0.29 (क्रेडिट)	

स्रोत:वित्त लेखे

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,01,274.31 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां (कुल राजस्व प्राप्तियों का 99.96 प्रतिशत) तथा ₹ 1,11,826.03 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय का 98.79 प्रतिशत) तथा ₹ 15,728.30 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय का 98.79 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

4.10 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {पीएजी (एएंडई)} के लेखों के अनुसार 2023-24 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 373.36 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 81.90 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 तक ₹ 291.46 करोड़ (डेबिट) का असंगत अंतर था। यह मुख्य रूप से ट्रेजरी/भारतीय रिजर्व बैंक/एजेंसी बैंक और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बीच लंबित समाधान के कारण था।

4.11 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा शीर्ष पर शेष राशि ऋणात्मक शेष राशि दर्शाती है, डेबिट/(-) क्रेडिट शेष राशि देयता शीर्षों या शीर्षों को दर्शाती है जहां सामान्य रूप से क्रेडिट शेष राशि होनी चाहिए, और क्रेडिट/(-) डेबिट शेष राशि संपत्ति शीर्षों या शीर्षों को दर्शाती है जहां सामान्य रूप से डेबिट शेष राशि होनी चाहिए। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष राशि या तो गलत वर्गीकरण, निधियों की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/अधिक लेखा इकाइयों का निर्माण आदि के कारण उत्पन्न होती है। 2023-24 में, मुख्य शीर्ष 7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण, 800 - अन्य अग्रिम, 99 - राज्य सेवा अधिकारियों (अराजपत्रित) को गेहूं ऋण के अंतर्गत ₹ (-)13.50 करोड़ का प्रतिकूल शेष था।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

4.12 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां ***तालिका 4.7*** में दी गई हैं।

तालिका 4.7: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	**आई.जी.ए.एस. 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसाकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है। हालाँकि, स्वचालित डेबिट तंत्र और संरचित भुगतान व्यवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
2	**आई.जी.ए.एस. 2:** *सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) ₹ 4,499.30 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया था। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई थी।
3	**आई.जी.ए.एस. 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम*	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	31 मार्च 2024 को वित्त लेखों की विवरणी 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेष का राज्य सरकार द्वारा अभी तक समाधान नहीं किया गया था। ऋणी संस्थाओं के बकाया भुगतान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

4.13 लेखों के संकलन से संबंधित मामले

4.13.1 ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न इकाइयों से ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्राप्त विवरण हरियाणा सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इन विवरणों के अभाव में न तो इन ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में कोई मिलान किया गया था और न ही व्यक्तिगत ऋणदाता इकाई, पुनर्भुगतान और ब्याज जैसे विवरणों के अभाव में यह संभव था। विवरण के अभाव में वसूली न होने के साथ-साथ लेखा बहियों में प्रतिपादन प्रभावित होने का जोखिम रहता है। वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान ₹ 301.15 करोड़ था। 31 मार्च 2024 तक ऋण एवं अग्रिम की शेष राशि ₹ 14,328.46 करोड़ थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने ऋण एवं अग्रिम के समाधान का आश्वासन दिया।

4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 43 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 4.3*** में दर्शाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 या उससे पहले के वर्षों से संबंधित 43 स्वायत्त निकायों में से 12 स्वायत्त निकायों के लेखे जून 2024 तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम रहता है, इसलिए लेखों को समय पर अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने संबंधित स्वायत्त निकायों के साथ इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया।

4.15 लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

जुलाई 2024 तक 92 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 182 वार्षिक लेखे, जिनमें सरकार द्वारा ₹ 739.25 करोड़ का अनुदान दिया गया था, लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थे। वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन निकायों/ प्राधिकरणों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान लागू हैं या नहीं।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से प्रत्येक वर्ष के समापन तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए संस्थानों की पहचान की जा सके।

4.16 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां निष्पादित करने वाले सरकारी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय प्रचालनों की कार्यप्रणाली के परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और कार्य को चलाने में दक्षता को दर्शाते हैं। लेखों का समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को

बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम होता है।

मार्च 2024 तक, ऐसे तीन[4] विभागों ने वर्ष 2009-10 और 2022-23 के मध्य की अवधि के लिए अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन विभागों में ₹ 13,878.08 करोड़[5] की सरकारी निधियां निवेशित की गई थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था।

4.17 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अतिरिक्त जिला खजानों, उप-खजानों, साइबर खजाना, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं।

2023-24 के दौरान, लेखे प्रदान करने वाली इकाइयों द्वारा विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

अन्य मामले

4.18 दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आगे, पूर्वोक्त नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 69.95 लाख के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 52 मामलों में जुलाई 2024 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विघटन ***तालिका 4.8*** में दिया गया है।

---

[4] (i) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 2009-10 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना; (ii) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2019-20 से अनाज आपूर्ति योजना और (iii) परिवहन विभाग में 2022-23 से हरियाणा रोडवेज।

[5] (i) राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना: ₹17.97 करोड़; (ii) अनाज आपूर्ति योजना: ₹ 12,238.73 करोड़ और (iii) हरियाणा रोडवेज: ₹ 1,621.38 करोड़।

तालिका 4.8: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के लंबित मामले

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/ हानियों/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	1	6.50	0	0	1	6.50	0	0
2	शिक्षा	20	40.12	1	0.09	18	40.03	1	0
3	श्रम एवं रोजगार	2	0.28	0	0	2	0.28	0	0
4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3	8.63	0	0	2	5.93	1	2.70
5	महिला एवं बाल विकास	3	10.52	1	10.52	2	0	0	0
6	सिंचाई	19	2.07	0	0	17	1.85	2	0.22
7	जन स्वास्थ्य	2	0.65	0	0	2	0.65	0	0
8	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	1	1.18	0	0	1	1.18	0	0
9.	सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग	1	0	0	0	0	0	1	0
	कुल	52	69.95	2	10.61	45	56.42	5	2.92

लंबित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा ***तालिका 4.9*** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 4.9: दुर्विनियोजन, हानियों, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की समय-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0-5	8	13.75	चोरी के मामले	48	59.21
6-10	21	46.43			
11-15	2	1.01	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	4	10.74
16-20	3	6.59			
21-25	7	1.35			
26 एवं अधिक	11	0.82			
कुल	52	69.95	जून 2024 को कुल लंबित मामले	52	69.95

चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 52 मामलों में से ₹ 56.20 लाख के 44 मामले पांच वर्षो से अधिक पुराने थे, इनमें से 18 मामले 20 वर्षो से भी अधिक पुराने थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वत: कार्रवाई आरंभ करनी थी। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी कृत कार्रवाई टिप्पणियां विधायी समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा चयनात्मक आधार पर चर्चा की गई है (जून 2023)।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 13 नवंबर 2024 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

4.20 निष्कर्ष

₹ 17,019 करोड़ (2,037 यू.सी.) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार ₹ 369.67 करोड़ (855 सार आकस्मिक बिल) के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

बारह स्वायत्त निकायों ने लंबी अवधि से अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

वार्षिक लेखों के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि जिन 92 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को ₹ 739.25 करोड़ का अनुदान दिया गया, क्या वे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं या नहीं।

आगे, चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग (कुल ₹ 69.95 करोड़) के 52 मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी।

4.21 सिफारिशें

1. सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।

2. सरकार को नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

3. वित्त विभाग को स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

4. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।

चंडीगढ़ | **(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)**
दिनांक: 26 मार्च 2025 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 08 अप्रैल 2025 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य प्रोफाइल

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

क. सामान्य डाटा			
क्र.सं.	**विवरण**		**आंकड़े**
1	क्षेत्र[1]		44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या[2]		₹ 3.06 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व=426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		691.51 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा[3] से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.16 प्रतिशत
5	साक्षरता[4] (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)		75.60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर[5] (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1000 सजीव जन्म)		28
7	जन्म[6] पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=70.0 वर्ष)		69.9 वर्ष
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2023-24[7]		₹ 10,95,535 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सीएजीआर[8] (2014-15 से 2023-24)	हरियाणा	9.20
10		सामान्य राज्य	9.56
11	स.रा.घ.उ. सीएजीआर (2014-15 से 2023-24)	हरियाणा	10.75
12		सामान्य राज्य	10.76
13	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)		14.88
14	अखिल भारतीय जनसंख्या वृद्धि[9] (2014 से 2024)		11.26

ख.		वित्तीय डाटा							
विवरण		**आंकड़े (प्रतिशत में)**							
सीएजीआर		**2014-15 से 2017-18**		**2018-19 से 2021-22**		**2021-22 से 2022-23**		**2022-23 से 2023-24**	
		पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	**हरियाणा**	**पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**	**पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**	**पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**
क	राजस्व प्राप्तियां का	12.61	15.38	7.12	5.82	13.41	14.22	8.19	13.59
ख	स्व-कर राजस्व का	9.49	14.13	7.17	7.82	19.80	17.96	10.58	15.17
ग	गैर-कर राजस्व का	6.52	25.45	5.44	(-) 2.49	12.94	18.23	14.62	(-) 7.31
घ	कुल व्यय का	12.05	17.98	7.57	5.81	12.53	9.14	10.56	10.49
ङ	पूंजीगत व्यय का	12.02	48.45	4.80	(-) 9.23	18.92	17.62	19.85	41.40
च	राजस्व व्यय का	12.06	14.24	8.07	8.45	11.45	8.11	8.90	6.38
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	9.33	8.13	7.34	6.92	13.21	16.81	5.11	(-) 6.81
ज	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.09	12.23	14.96	17.71	0.88	4.93	10.34	(-) 3.37
झ	वेतन एवं मजदूरी का	9.86	9.06	8.19	7.03	9.71	8.97	7.52	8.71
ञ	पेंशन का	14.24	24.01	9.58	9.25	11.38	16.83	6.27	8.81

---

1 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)

2 भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-36 (जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।

3 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (तेंदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर)

4 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

5 एस.आर.एस. बुलेटिन (2020)

6 एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20

7 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

8 चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।

9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 9)

31 मार्च 2024 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को		देयताएं		31 मार्च 2024 को
2,52,780.77		**आंतरिक ऋण**		**2,80,772.24**
	2,19,185.53	ब्याज युक्त बाजार ऋण	2,52,739.35	
	0.02	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02	
	27,238.74	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	22,680.77	
	6,356.48	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,352.10	
14,290.07		**केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**15,285.21**
		1984-85 से पूर्व के ऋण		
	5.99	योजनेत्तर ऋण	4.41	
	631.48	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	456.43	
	13,652.60	विधायी स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	15,364.37	
1,000		**आकस्मिक निधि**		**1,000**
18,663.82		**लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि**		**18,762.25**
12,110.24		**जमा**		**14,557.39**
10,258.96		**आरक्षित निधियां**		**12,238.55**
425.44		**उचंत तथा विविध शेष**		**-**
352.16		**प्रेषण शेष**		**336.99**
3,09,881.46				**3,43,492.63**
31 मार्च 2023 को		**परिसंपत्तियां**		**31 मार्च 2024 को**
1,40,604.60		**अचल परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**1,56,410.71**
	38,020.05	कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	38,278.21	
	1,02,584.55	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,18,132.50	
शून्य		**आकस्मिक निधि (अप्राप्य)**		**545.95**
10,574.39		**ऋण एवं अग्रिम**		**14,238.46**
	832.24	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	730.49	
	9,607.11	अन्य विकास ऋण	13,440.68	
	135.04	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	157.29	
0.74		**अग्रिम**		**0.74**
शून्य		**उचन्त एवं विविध शेष**		**19.72**
		शेष		
		प्रेषण शेष		
3,833.55		**नकद**		**5,438.02**
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54	
	(-) 716.63	रिजर्व बैंक में जमा	373.36	
	3.91	विभागीय रोकड़ शेष	4.03	
	0.11	स्थायी अग्रिम	0.11	
	1,310.12	रोकड़ शेष निवेश	1,272.60	
	3,235.50	आरक्षित निधि निवेश	3,787.38	
1,54,868.18		**सरकारी लेखों पर घाटा**		**1,66,749.03**
	17,211.52	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	11,880.86	
	1,37,656.64	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	1,54,868.16	
	0.02	राउंडिंग के कारण अंतर (वित्त लेखों के अनुसार)	0.01	
3,09,881.46		**कुल**		**3,43,492.63**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 18)

वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24
भाग कः राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	**89,194.69**		**1,01,314.84**	**I. राजस्व व्यय**	**1,06,406.21**		**1,13,195.70**
कर राजस्व	62,960.80	72,511.12		**सामान्य सेवाएं**	**42,068.66**		**45,398.26**
गैर-कर राजस्व	8,742.63	8,103.00		**सामाजिक सेवाएं**	**43,680.38**		**43,777.53**
संघीय करों में राज्यांश	10,378.00	12,345.35		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	18,039.49	16,816.61	
गैर-योजना अनुदान	-			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,298.28	6,086.42	
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	-			जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	6,271.46	6,427.66	
केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	-			सूचना एवं प्रसारण	243.84	333.57	
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2,919.81	2,768.56		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	557.75	626.12	
वित्त आयोग अनुदान	1,617.56	1,973.33		श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,183.21	866.44	
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,575.89	3,613.48		सामाजिक कल्याण एवं पोषण	11,072.00	12,607.06	
				अन्य	14.35	13.65	
				आर्थिक सेवाएं	**20,657.17**		**24,019.91**
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	4,806.89	4,909.65	
				ग्रामीण विकास	2,459.35	3,658.13	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,425.34	2,615.02	
				ऊर्जा	7,072.20	7,953.07	
				उद्योग एवं खनिज	689.67	797.29	
				परिवहन	3,072.12	3,929.15	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	30.10	37.57	
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	101.50	120.03	
				सहयतानुदान और अंशदान			
II. राजस्व घाटा भाग ख में ले जाया गया	**17,211.52**		**11,880.86**	**राजस्व अधिशेष को भाग ख में ले जाया गया**			
कुल भाग क	**1,06,406.21**		**1,13,195.70**		**1,06,406.21**		**1,13,195.70**
भाग ख - अन्य							
III. स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	**4,946.11**		**3,833.55**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट**			
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**73.91**		**114.83**	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**11,664.95**		**15,920.94**
				सामान्य सेवाएं	**552.80**		**640.61**
				सामाजिक सेवाएं	**3,755.82**		**4,437.93**
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	389.03	574.52	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,381.89	1,154.36	
				जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,848.20	2,589.44	
				सूचना एवं प्रसारण	22.22	60.49	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.45	6.23	
				सामाजिक कल्याण और पोषण	81.33	37.61	
				अन्य	32.70	15.28	

प्राप्तियां				संवितरण			
	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24
				आर्थिक सेवाएं	**7,356.33**		**10,842.40**
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	(-)88.51	2,997.71	
				ग्रामीण विकास	407.27	1,232.16	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,171.19	2,623.65	
				ऊर्जा	8.00	234.04	
				उद्योग एवं खनिज	157.72	183.19	
				परिवहन	4,391.39	3,355.46	
				विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0	0	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	309.27	216.19	
V. ऋण और अग्रिम राशि की वसूली	**237.75**		**301.15**	**V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**2,462.07**		**4,055.22**
विद्युत परियोजनाओं से	119.83	101.75		बिजली परियोजनाओं हेतु	2.83	0	
सरकारी कर्मचारियों से	76.93	74.93		सरकारी कर्मचारियों को	84.28	97.17	
अन्य से	40.99	124.47		अन्यों को	2,374.96	3,958.05	
VI. राजस्व अधिशेष में कमी लाई गई				**VI. राजस्व घाटा कम हुआ**	**17,211.52**		**11,880.86**
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	**80,649.29**		**88,720.82**	**VII. सार्वजनिक ऋण की पुनर्भुगतान**	**53,021.28**		**59,194.20**
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण			
अर्थोपाय के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	58,244.75	60,981.54		अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	31,672.22	32,990.08	
अर्थोपाय अग्रिम के तहत लेनदेन	21,134.24	25,994.12		अर्थोपाय अग्रिम के तहत लेनदेन	21,134.24	25,994.12	
केंद्रीय बैंक से ऋण और अग्रिम	1,270.30	1,745.16		केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान	214.82	210.00	
VIII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग				**VIII. आकस्मिक निधि का विनियोग**			
IX. आकस्मिकता निधि से अंतरित राशि	**0**	**0**	**0**	**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**	**0**	**545.95**	**545.95**
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**70,111.14**		**78,101.78**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**67,824.81**		**74,036.94**
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	3,620.00	3,484.04		लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	3,350.63	3,385.61	
आरक्षित निधि	1,801.05	2,523.27		आरक्षित निधियां	391.00	543.67	
उचंत एवं विविध	1,745.40	1,849.07		उचंत एवं विविध	1,561.35	2,294.23	
प्रेषण	10,451.30	12,361.36		प्रेषण	10,413.74	12,376.53	
जमा और अग्रिम	52,493.39	57,884.04		जमा एवं अग्रिम	52,108.09	55,436.90	
XI. बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट				**XI. अंतिम रोकड़ शेष**	**3,833.55**		**5,438.02**
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में रोकड़ राशि	0.54	0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-) 716.63	373.36	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय रोकड़ शेष	4.02	4.14	
				रोकड़ शेष निवेश	1,310.12	1,272.60	
				चिह्नित निवेश	3,235.50	3,787.38	
पूर्णांकन के कारण अंतर				पूर्णांकन के कारण अंतर	0.02	0.00	
योग भाग-ख	**1,56,018.20**		**1,71,072.13**	**कुल**	**1,56,018.20**		**1,71,072.13**

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 21)

राज्य सरकार के वित्तों का समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**67,858**	**67,561**	**78,092**	**89,194**	**1,01,315**
(i) स्व-कर राजस्व	**42,825 (63)**	**41,914 (62)**	**53,377 (68)**	**62,961 (71)**	**72,511 (72)**
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	8,398 (19)	8,660 (21)	11,221(21)	11,262 (18)	11,331 (16)
राज्य उत्पाद शुल्क	6,323 (15)	6,864 (16)	7,934 (15)	9,673 (15)	11,326 (16)
वाहनों पर कर	2,916 (7)	2,495 (6)	3,265 (6)	4,231 (7)	4,904 (7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	6,013 (14)	5,157 (12)	7,598 (14)	8,607 (14)	10,529 (14)
भू-राजस्व	20	17	21	23	22
माल एवं यात्रियों पर कर	16	4	6	3	7
बिजली पर कर एवं शुल्क	262 (1)	476 (1)	404 (1)	578 (1)	424
राज्य माल एवं सेवा कर	18,873 (44)	18,236 (44)	22,922(43)	28,577 (45)	33,960 (47)
अन्य कर	4	5	6	7	8
(ii) गैर-कर राजस्व	**7,400 (11)**	**6,961 (10)**	**7,394 (9)**	**8,742 (10)**	**8,103 (8)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का अंश	**7,111 (10)**	**6,438 (10)**	**9,722 (12)**	**10,378 (12)**	**12,345 (12)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**10,522 (16)**	**12,248 (18)**	**7,599 (10)**	**7,113 (8)**	**8,356 (8)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**54**	**63**	**67**	**74**	**115**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**5,393**	**432**	**500**	**238**	**301**
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**73,305**	**68,056**	**78,659**	**89,506**	**1,01,731**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**44,432**	**53,817**	**55,106**	**80,649**	**88,721**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	43,068 (97)	44,363 (83)	44,793 (81)	58,245 (72)	60,982 (69)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन-देन	1,262 (3)	4,977 (9)	2,776(5)	21,134 (26)	25,994 (29)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	102	4,477[1] (8)	7,537[2] (14)	1,270 (2)	1,745 (2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**1,17,737**	**1,21,873**	**1,33,765**	**1,70,155**	**1,90,452**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**शून्य**	**800**	**900**	**0**	**0**
8. लोक लेखे प्राप्तियां	**45,047**	**53,761**	**55,671**	**70,111**	**78,102**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**1,62,784**	**1,76,434**	**1,90,336**	**2,40,266**	**2,68,554**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**84,848**	**89,946**	**98,425**	**1,06,406**	**1,13,196**
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	31,884 (38)	34,734 (39)	37,948 (38)	42,069 (40)	45,398 (40)
आर्थिक सेवाएं	19,238 (22)	19,048 (21)	19,549 (20)	20,657 (19)	24,020 (21)
सामाजिक सेवाएं	33,726 (40)	36,164 (40)	40,928(42)	43,680 (41)	43,778 (39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	0	0
11. पूंजीगत व्यय	**17,666**	**5,870**	**11,046**	**11,665**	**15,921**
सामान्य सेवाएं	586 (3)	388 (7)	562 (5)	553 (5)	641 (4)
आर्थिक सेवाएं	13,846 (79)	2,496 (42)	5,013 (45)	7,356 (63)	10,842 (68)
सामाजिक सेवाएं	3,234 (18)	2,986 (51)	5,471 (50)	3,756 (32)	4,438 (28)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	**1,309**	**926**	**966**	**2,462**	**4,055**
13. कुल (10+11+12)	**1,03,823**	**96,742**	**1,10,437**	**1,20,533**	**1,33,172**
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	**15,776**	**29,498**	**25,473**	**53,021**	**59,194**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	14,250 (90)	24,191 (82)	22,542 (88)	31,672 (60)	32,990 (56)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन-देन	1,262 (8)	4,977 (17)	2,776 (11)	21,134 (40)	25,994 (44)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	264 (2)	330 (1)	155 (1)	215	210
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	**शून्य**	**800**	**0**	**0**	**0**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**1,19,599**	**1,27,040**	**1,35,910**	**1,73,554**	**1,92,366**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**शून्य**	**शून्य**	**900**	**0**	**546**
18. लोक लेखा संवितरण	**42,171**	**50,245**	**51,728**	**67,825**	**74,037**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**1,61,770**	**1,77,285**	**1,88,538**	**2,41,379**	**2,66,949**

[1] इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

[2] इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	**(-) 16,990**	**(-) 22,385**	**(-) 20,333**	**(-) 17,212**	**(-) 11,881**
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) {4-(13+15)}	**(-) 30,518**	**(-) 29,486**	**(-) 31,778**	**(-) 31,027**	**(-) 31,441**
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	**(-) 14,930**	**(-) 12,371**	**(-) 13,416**	**(-) 10,931**	**(-) 9,836**
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**15,588**	**17,115**	**18,362**	**20,096**	**21,605**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**11,337**	**13,012**	**12,446**	**11,673**	**12,139**
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	**1,262 (11)**	**4,977(42)**	**2,776**	**21,134**	**25,994**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**0.42**	**1.31**	**0.29**	**10.36**	**9.03**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[3]	**7,32,195**	**7,41,850**	**8,70,665**	**9,94,154**	**10,95,535**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	**2,15,562**	**2,38,708**[4]	**2,63,950**[5]	**2,93,122**	**3,26,622**
29. बकाया गारंटियां-ब्याज सहित (वर्ष के अन्त में)	**20,738**	**23,053**	**24,343**	**23,058**	**24,215**
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**26**	**48**	**19**	**9**	**17**
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	**221.57**	**546.30**	**190.05**	**73.18**	**212.81**
I संसाधन संघटन					
स्व-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.058	0.057	0.061	0.064	0.066
स्व-गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.010	0.009	0.011	0.011	0.011
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.141	0.133	0.127	0.122	0.122
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.530	1.432	1.414	1.351	1.314
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.817	0.930	0.891	0.883	0.850
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.356	0.405	0.420	0.394	0.362
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.331	0.228	0.230	0.245	0.277
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.170	0.061	0.100	0.097	0.120
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.165	0.057	0.095	0.092	0.115
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.023	(-) 0.031	(-) 0.023	(-) 0.017	(-) 0.011
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 0.041	(-) 0.040	(-) 0.037	(-) 0.032	(-) 0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.020	(-) 0.017	(-) 0.015	(-) 0.011	(-) 0.009
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.557	0.759	0.640	0.555	0.378
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.292	0.327	0.304	0.298	0.298
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	3.177	3.533	3.380	3.286	3.224
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	87.01	163.14	1,007.59	192.00	290.00
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.56	0.52	0.51	0.50	0.51

[3] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

[4] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ को छोड़कर।

[5] भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में)।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.2 (iii); पृष्ठ 25)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2024 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को शेष राशि	31 मार्च 2024 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसूली की स्थिति												
				कोर्ट द्वारा स्टे	सरकार द्वारा स्टे	प्रमाण-पत्रों की वसूली से संबंधित मांगें	दिवालिया डीलर	बट्टे खाते में डाला जाना	संशोधन/ समीक्षा/ अपील	न्यायालय में मामले	अन्य कारण	आधिकारिक परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर[6]	अंतर्राज्यीय बकाया	अंतर जिला बकाया	किस्तों में	कार्रवाई के विभिन्न चरणों में
कर राजस्व में बकाया																
1	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	203.38	203.24	177.93	-	-	-	-	-	0.05	4.98	0.05	-	-	-	20.37
2	वस्तु एवं सेवा कर	6,920.99	6,920.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,920.99
3	राज्य उत्पाद शुल्क	663.85	267.19	30.10	-	-	-	0.67	-	46.98	70.92	-	36.95	108.27	-	369.96
4	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,437.24	12,581.07	1,033.19	65.14	-	38.38	112.02	1,429.93	3,580.87	1,734.07	3,035.91	390.17	112.95	0.10	18,904.51
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	66.57	6.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.57
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11	8.52	-	-	-	0.01	-	0.21	-	2.33	-	-	-	0.04
कुल		**38,303.14**	**19,989.77**	**1,249.74**	**65.14**	**-**	**38.38**	**112.70**	**1,429.93**	**3,628.11**	**1,809.97**	**3,038.29**	**427.12**	**221.22**	**0.10**	**26,282.44**
गैर-कर राजस्व में बकाया																
1.	नागरिक उड्डयन	0.97	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97
2.	राज्य परिवहन	56.44	20.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.67	54.77	-	-
3.	स्थानीय लेखापरीक्षा	43.76	32.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.76
4.	आपूर्ति और निपटान	0.71	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
5.	खान एवं भू-विज्ञान	2,645.25	946.85	516.17	-	513.79	-	0.26	-	3.03	1,372.51	-	0.48	220.91	-	18.09
6.	पुलिस	140.88	40.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.50
कुल		**2,888.01**	**1,041.16**	**516.17**	**0.00**	**513.79**	**0.00**	**0.26**	**0.00**	**3.03**	**1,372.51**	**0.00**	**2.15**	**275.68**	**0.00**	**197.03**
कुल योग		**41,191.15**	**21,030.93**	**1,765.91**	**65.14**	**513.79**	**38.38**	**112.96**	**1,429.93**	**3,631.14**	**3,182.48**	**3,038.29**	**429.27**	**496.90**	**0.10**	**26,479.47**

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

[6] औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 47)

वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखों के अनुसार सरकारी निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखों के अनुसार (एस-16)	कंपनी लेखा के अनुसार (एस-19)	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	-2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,587.68	13,462.51	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,670.99	3,270.80	-400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	52.79	50.53	-2.26
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	-7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	-44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.51	6.85	-1.66
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.75	2.76	0.01
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	157.90	9.89	-148.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	-3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,641.97	4,306.05	664.08
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,131.04	15,230.63	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	1,215.50	344.22	-871.28
23	हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.08	0.12	0.04
24	ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवाएं हरियाणा लिमिटेड	10.10	10.00	-0.10
25	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	शून्य	2.00	2.00
26	हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन	0.60	शून्य	-0.60
27	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	113.00	105.00	-8.00
	कुल	**30,070.88**	**37,332.78**	**7,261.90**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 47)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना	प्रदानगी की तिथि	पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	2037-2042 (20 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित)। 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए इस परियोजना के अंतर्गत अपग्रेड किए जा रहे संबंधित 52 सरकारी आईटीआई से ₹ 14.85 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है।
2.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	20.00	-	जुलाई 2014	17 जिलों में सीटी स्कैन सेवाएं और पांच जिलों में एमआरआई सुविधाएं चालू हो गई। दो और जिलों के लिए सीटी स्कैन और पांच और जिलों के लिए एमआरआई के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
3.	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	17.00	-	दिसंबर 2015	20 जिलों में डायलिसिस सेवाएं परिचालन में हैं।
4.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	7.00	-	मार्च 2016	चार जिला अस्पतालों में कैथ लैब सेवाएं कार्यरत हैं। तीन और जिलों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
5.	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 13 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1695.00	डीबीएफओटी (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और अंतरण के आधार पर)		एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (सोनीपत) 16 अगस्त 2021 को पूरी हुई। शेष 12 परियोजनाओं में से चार चालू हैं और आठ की योजना बनाई गई है।
	कुल		**1,869.00**			

(स्रोत: संबंधित विभाग और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (क); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव		
1	मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-03-2052-51-090-90-51]	10.00
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान		
2	राजस्व के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफसीआर-पीओएल-आरईवी) [पी-01-04-2245-80-001-95-51]	10.00
अनुदान संख्या 05-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)		
3	पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) -(पीओएल-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-05-2055-51-001-97-51]	200.00
4	पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओएल-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-05-4055-51-207-95-51]	208.50
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी		
5	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण [पी-01-06-2049-01-200-95-51]	100.00
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण		
6	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2401-51-001-94-51]	76.00
7	हरियाणा में गन्ना विकास [पी-01-10-2401-51-108-94-51]	14.58
8	हरियाणा में बागवानी फसल बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कर दिया गया है [पी-01-10-2401-51-119-63-51]	10.00
9	वन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफआरटी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2406-01-001-94-51]	40.00
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता		
10	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को सहायता [पी-01-11-2425-51-107-78-51]	40.00
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास		
11	प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-01-001-93-51]	100.00
12	माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-02-001-92-51]	300.00
13	उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-03-001-96-51]	50.00
14	तकनीकी शिक्षा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीईडी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2203-51-001-89-51]	5.00
15	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना [पी-01-12-2203-51-112-92-51]	10.00
16	ईडीएस शिक्षा (माध्यमिक) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएसपीएलओ-सीएपी) [पी-01-12-4202-01-202-96-51]	50.00
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए		
17	स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-14-2210-01-001-92-51]	5.00
18	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-14-2210-05-105-72-51]	10.00

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
19	खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-14-2210-06-104-97-51]	50.00
20	कर्मचारी राज्य बीमा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईएसआई-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-14-4210-01-102-99-51]	131.00
21	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-14-4210-03-105-86-51]	233.00
22	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल को ऋण [पी-01-14-6210-03-105-97-51]	108.00
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण		
23	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-15-2230-03-001-90-51]	10.00
24	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-15-4250-51-800-87-51]	100.00
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण		
25	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डब्ल्यूएसबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-16-2225-01-001-92-51]	200.00
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन		
26	पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-17-2059-80-001-87-51]	120.00
27	परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-17-3055-51-001-97-51]	50.00
28	रेवाड़ी के बावल में न्यायिक परिसर का निर्माण [पी-01-17-4059-60-051-60-51]	5.00
29	पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-17-4059-80-001-98-51]	754.81
30	परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-17-5055-51-050-76-51]	150.00
अनुदान संख्या-18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी		
31	मुद्रण एवं स्टेशनरी [पी-01-18-4058-51-103-98-51]	6.00
32	सांस्कृतिक विरासत केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र आदि के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण [पी-01-18-4202-04-101-98-51]	20.00
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
33	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) [पी-01-19-4700-11-800-97-51]	5.00
34	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-19-4700-80-800-98-51]	500.00
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
35	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-20-2215-01-001-89-51]	450.00
36	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) [पी-02-20-2515-51-106-97-51]	50.00
37	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4215-01-800-96-51]	350.00
38	निदेशक स्थानीय निकाय (डीएलबी)-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (सीएपी) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) [पी-01-20-4217-60-001-98-51]	800.00
39	विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4515-51-101-98-51]	94.00
	कुल	**5,425.89**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ख); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुदान संख्या 01-विधान सभा			
1	हरियाणा विधान सभा के लिए भूमि की खरीद/भवन का निर्माण [पी-01-01-4059-01-051-57]	50.00	0.01
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान			
2	कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति [पी-01-04-2043-51-800-99-97]	10.00	0.20
3	अग्निशमन सेवा निदेशालय हरियाणा के लिए भूमि की खरीद और निर्माण कार्य(पंचकुला) [पी-01-04-4059-01-051-64-51]	30.00	6.00
अनुदान संख्या 05-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)			
4	हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली [पी-03-05-2055-51-109-95-51]	10.00	0.01
5	अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) का नाम बदलकर निर्भया/महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) कर दिया गया है। नारकोटिक्स के लिए राज्य को सहायता [पी-03-05-2055-51-114-96-51]	10.00	0.01
अनुदान संख्या 06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी			
6	वित्त भवन का निर्माण [पी-01-06-4059-01-051-60-51]	107.00	1.00
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम			
7	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को ऋण [पी-01-07-6501-51-190-99-51]	99.00	15.00
8	सहकारी चीनी मिलों में विद्युत उत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना [पी-01-07-6860-04-101-95-51]	300.00	16.00
9	विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-99-98]	43.00	10.00
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण			
10	किसानों के समूह और अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना [पी-01-10-2401-51-789-89-51]	20.05	10.00
11	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण [पी-01-10-4059-01-051-58-51]	10.00	0.10
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता			
12	गोदामों का निर्माण-नाबार्ड का अंशदान [पी-01-11-4408-02-101-99-99]	19.00	0.10
13	गोदामों का निर्माण [पी-01-11-4408-02-101-99-51]	10.00	0.02
14	हरको बैंक की शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान [पी-01-11-4425-51-107-97-51]	50.00	10.00
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास			
15	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-69-51]	20.00	12.01

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
16	अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) [पी-02-12-2236-02-789-96-51]	15.00	4.00
17	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालय भवन का निर्माण [पी-01-12-4202-01-202-97-51]	45.00	10.00
18	सोनीपत में साईंस सिटी की स्थापना का नाम बदलकर हरियाणा में राष्ट्रीय साईंस सिटी की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-99-51]	50.00	0.01
19	अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना का नाम बदलकर अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-98-51]	25.00	0.01
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन			
20	हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण [पी-01-13-2204-51-188-99-51]	10.00	0.05
21	हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, सोनीपत, हरियाणा को ऋण [पी-01-13-6202-01-203-98-51]	50.00	0.01
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए			
22	स्वास्थ्य संस्थान और एचएमआईएस की गुणवत्ता सुधार के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र [पी-01-14-2210-01-110-37-51]	21.35	5.00
23	एनपीसीडीसीएस (कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) और एनपीएचसीई (बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन [पी-02-14-2210-01-110-43-51]	15.00	1.00
24	प्रशासन के मानकों का उन्नयन केंद्रीय वित्त आयोग [पी-03-14-2210-01-110-70-51]	548.77	48.77
25	एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार [पी-01-14-2210-80-199-97-51]	100.00	70.00
26	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) का निर्माण कार्य [पी-01-14-4059-01-051-65-51]	15.00	0.01
27	नल्हड़ में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण [पी-01-14-4210-03-105-90-99]	60.00	1.00
28	राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल/कॉलेजों का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण [पी-01-14-4210-03-105-89-99]	40.00	10.00
29	राजकीय मेडिकल कॉलेज, छांयसा (फरीदाबाद) की स्थापना [पी-01-14-4210-03-105-85-51]	10.00	0.01
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण			
30	असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान [पी-01-15-2230-01-190-99-51]	60.01	0.01
31	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) [पी-03-15-2230-03-003-61-51]	30.00	0.01
32	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना [पी-03-15-2230-03-190-99-51]	13.10	0.01
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण			
33	स्वर्ण जयंती निदेशालय के भवन निर्माण के लिए संस्थागत प्लॉट की खरीद [पी-01-16-4235-02-101-93-51]	20.00	0.01
34	वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए रेवाड़ी स्थित गृह (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है [पी-01-16-4235-02-104-99-51]	10.00	1.00
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन			
35	एनएसओपी उड़ान (गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट) [पी-01-17-3053-01-190-99-98]	10.00	0.10
36	भवन (सार्वजनिक पुस्तकालय) [पी-01-17-4202-04-105-99-51]	10.00	0.04
37	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (एचआरआईडीसी) को इक्विटी पूंजी [पी-01-17-5054-80-190-99-51]	30.00	1.00

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुदान संख्या-18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी			
38	पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट का भुगतान [पी-01-18-4220-60-101-97-51]	10.00	0.01
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
39	हरियाणा जल संसाधन को सहायता अनुदान [पी-01-19-2700-80-190-95-51]	25.00	6.25
40	स्वच्छ ईंधन पर उद्योगों के संचालन में वैट सहायता [पी-01-19-2851-51-102-60-51]	150.00	0.10
41	स्टार्टअप और आईटी तथा ईएसडीएम नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी [पी-01-19-2852-07-202-87-51]	50.00	0.10
42	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना [पी-01-19-4851-51-102-92-51]	25.00	1.00
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
43	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [पी-02-20-2217-80-192-89-51]	37.50	15.78
44	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [पी-02-20-2217-80-789-90-51]	12.50	4.70
45	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम, डीडीयूजीकेवाई) (परियोजना प्रशासन) [पी-02-20-2501-06-101-97-51]	25.00	4.00
46	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) [पी-02-20-2501-06-101-96-51]	10.00	3.10
47	एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम, डीडीयूजीकेवाई) (परियोजना प्रशासन) [पी-02-20-2501-06-789-98-51]	10.00	3.10
48	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) [पी-02-20-2515-51-101-81-51]	30.00	21.00
49	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-01-20-2515-51-102-96-99]	10.00	5.00
50	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना [पी-01-20-2515-51-102-90-51]	30.00	5.00
51	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-102-93-99]	122.00	11.80
52	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) [पी-02-20-2515-51-106-96-51]	60.00	42.00
53	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) [पी-03-20-2515-51-106-98-51]	10.00	0.01
54	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-01-20-2515-51-789-99-51]	10.00	2.50
55	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना [पी-01-20-2515-51-789-91-51]	10.00	1.00
56	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-789-98-51]	45.00	13.00
57	नगरपालिकाओं को ऋण [पी-01-20-6217-60-191-97-51]	15.00	0.01
	कुल	2,673.28	371.97

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ग); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव		
1	जघन्य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय वितरण केंद्रीय वित्त आयोग [पी-03-05-2014-51-105-92-51]	60.00
अनुदान संख्या-5-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)		
2	पुलिस कल्याण [पी-01-05-2055-51-113-99-51]	6.00
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी		
3	कम्प्यूटरीकरण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत सहायता के अंतर्गत स्थापना व्यय [पी-03-06-3454-02-001-90-98]	6.00
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम		
4	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम [पी-03-07-6425-51-108-99-51]	20.00
5	विवेकाधीन कोटे के अलावा अन्य अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-99-99]	5.00
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण		
6	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफिरिशों पर कृषि विकास से संबंधित अवसंरचना एवं गतिविधियां [पी-03-10-4401-51-113-95-51]	424.00
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता		
7	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना [पी-03-11-4425-51-108-94-51]	25.00
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन		
8	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन [पी-03-13-2205-51-105-86-51]	20.00
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए		
9	केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना/सुदृढ़ीकरण [पी-03-14-4210-03-105-81-51]	75.00
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण		
10	पंचकुला में कार्यालय भवन के लिए भूखंड की खरीद और श्रम शक्ति भवन का निर्माण [पी-01-15-4059-01-051-66-51]	11.00
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण		
11	प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) [पी-03-16-2225-01-793-77-51]	30.00
12	परिवार लाभ योजना [पी-03-16-2235-03-102-99-51]	9.00
13	सुगम्य भारत अभियान (एसआईपीडीए) [पी-03-16-4235-02-101-92-51]	18.00
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
14	मौजूदा नहर नेटवर्क का पुनर्वास जलमार्गों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास [पी-03-19-4701-80-800-95-51]	87.50
कुल		**796.50**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (घ); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था, लेकिन व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत में)
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
1	खनन के बाद बहाली कार्य पर व्यय [पी-01-10-2853-02-102-99-51]	97.67	99.81	0.18	0.18
2	जिला खनिज फाउंडेशन निधि में अंतरण (2.5 प्रतिशत राज्य अंशदान) [पी-01-10-2853-02-797-98-51]	17.25	18.00	8.49	49.22
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
3	स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51]	375.00	450.00	134.76	35.94
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
4	पूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-101-95-51]	110.00	111.20	81.67	74.25
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण					
5	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना [पी-01-16-2225-01-283-99-51]	100.00	120.00	71.83	71.83
6	बीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए घटक-II कर दिया गया है [पी-02-16-2225-03-277-93-51]	70.00	85.00	30.09	42.99
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
7	मुख्य अभियन्ता [पी-01-19-2700-80-001-93-51]	86.64	96.91	14.42	16.64
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
8	एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज सेंट्रल का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) कवरेज कर दिया गया है [पी-02-20-4215-01-102-98-99]	860.00	1194.99	591.24	68.75
कुल		1,716.56	2,175.91	932.68	54.33

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ङ); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण (₹ 50 करोड़ और अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम हुआ लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव					
1	स्थापना व्यय [पी-01-03-2051-51-102-99-98]	51.93	36.43	23.99	65.85
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान					
2	मुख्यालय स्टाफ-स्थापना व्यय [पी-01-04-2040-51-001-99-98]	149.36	78.96	58.21	73.72
3	आबकारी एवं कराधान [पी-01-04-4059-60-051-97-51]	114.00	31.31	22.99	73.43
4	जिला प्रशासन [पी-01-04-4216-01-106-98-51]	50.00	30.00	15.66	52.20
अनुदान संख्या-06-वित/योजना एवं सांख्यिकी					
5	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना [पी-01-06-2075-51-800-88-51]	200.58	200.53	0.51	0.25
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम					
6	राज्य सेवा अधिकारियों (अराजपत्रित) को गेहूं ऋण/खाद्यान्नों की खरीद के लिए अग्रिम [पी-01-07-7610-51-800-99-51]	80.00	50.00	25.81	51.62
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना [पी-02-10-2401-51-109-80-51]	200.00	77.63	58.17	74.93
8	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51]	425.00	373.50	0.97	0.26
9	मीठे पानी में जलीय कृषि के विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कर दिया गया है [पी-02-10-2405-51-101-72-51]	166.06	100.00	78.60	78.60
10	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) [पी-02-10-2406-01-102-64-51]	60.00	34.00	13.29	39.09
11	बागवानी विश्वविद्यालय को ऋण [पी-01-10-6401-51-800-90-51]	99.00	50.00	31.69	63.38
12	लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (नाबार्ड) [पी-01-10-6403-51-190-98-51]	100.00	10.00	7.96	79.60
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
13	पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम [पी-02-12-2202-01-199-99-51]	71.50	30.00	14.47	48.23
14	शिक्षा का अधिकार अधिनियम [पी-01-12-2202-01-800-93-51]	212.00	140.00	80.05	57.18
15	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल खोलना [पी-01-12-2202-02-109-85-51]	100.00	45.00	25.00	55.56
16	पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम [पी-02-12-2202-02-199-99-51]	71.50	30.00	14.47	48.23
17	अपनी बेटियां अपना धन के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है [पी-01-12-2235-02-789-99-51]	140.00	90.00	64.46	71.62
18	अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वित्तीय सहायता [पी-02-12-2235-02-789-90-51]	60.00	56.00	39.80	71.07
19	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना [पी-02-12-2236-02-101-88-51]	106.76	30.00	21.46	71.53
20	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51]	60.00	40.00	17.26	43.15
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन					
21	स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में वन्यजीव पर्यटन का विकास [पी-01-13-5452-80-104-99-51]	50.00	14.90	6.35	42.62
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
22	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन [पी-02-14-2210-06-188-97-51]	125.90	45.00	29.45	65.44
23	ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन की योजना [पी-01-14-4210-01-102-98-51]	50.58	0.31	0.17	54.84
24	सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत [पी-01-14-4210-03-101-92-51]	55.00	6.00	3.28	54.67

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-15. श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
25	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना [पी-01-15-2230-03-001-92-51]	50.00	7.00	5.50	78.57
26	गांव दुधोला जिला पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को ऋण [पी-01-15-6202-02-105-93)	103.40	80.00	49.13	61.41
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
27	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण सामान्य) [पी-02-17-2216-03-196-99]	60.72	7.42	3.55	47.84
28	न्याय प्रशासन [पी-01-17-4059-60-051-98-51]	80.00	68.00	32.34	47.56
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
29	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-01-001-91-51]	147.54	128.66	3.85	2.99
30	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-02-001-91-51]	537.75	491.39	11.04	2.25
31	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-2700-02-001-89-51]	55.36	38.40	1.05	2.73
32	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]	73.25	58.75	28.02	47.69
33	गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनर्स्थापना कर दिया गया है [पी-01-19-2700-80-190-96-51]	455.00	235.00	166.85	71.00
34	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना [पी-02-19-2851-51-102-63-51]	50.10	24.00	18.49	77.04
35	नहर का निर्माण (एसवाईएल) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]	101.00	1.00	0.08	8.00
36	नहरों का निर्माण (मेवात) [पी-01-19-4701-22-800-98-51]	50.00	1.00	0.80	80.00
37	इक्विटी कैपिटल एचपीजीसीएल [पी-01-19-4801-05-190-98-51]	584.51	330.06	231.04	70.00
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
38	नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं [पी-01-20-2217-80-191-95-51]	105.00	60.00	42.74	71.23
39	स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51]	400.00	71.00	14.16	19.94
40	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) [पी-02-20-2505-02-101-99-99]	359.00	345.00	152.46	44.19
41	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2515-51-101-89-51]	1,712.00	1,600.00	1,157.99	72.37
42	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	100.00	55.00	41.73	75.87
43	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास [पी-01-20-2515-51-198-96-51]	699.00	357.00	24.35	6.82
44	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2515-51-789-87-51]	734.00	645.00	505.83	78.42
45	सीवरेज के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन [पी-02-20-4215-02-101-89-51]	200.00	127.00	53.82	42.38
	कुल	**9,456.80**	**6,330.25**	**3,198.89**	**50.53**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (च); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं (₹ 50 करोड़ और अधिक) का विवरण जिनमें बजट अनुमान संशोधित अनुमान में कम कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान					
1	कीट हमले/भूस्खलन/बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता [पी-01-04-2245-80-800-96-51]	240.00	100.00	124.42	124.42
अनुदान संख्या-5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)					
2	पुलिस स्टेशन [पी-01-05-4055-51-207-97-51]	146.00	100.00	136.02	136.02
अनुदान संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी					
3	नये ऋण आदि जारी करने पर व्यय [पी-01-06-2049-01-305-99-51]	50.00	38.00	65.09	171.29
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
4	फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजना [पी-01-10-2401-51-108-83-51]	350.00	125.00	215.00	172.00
5	कृषि विभाग के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/खरीद की योजना [पी-01-10-4401-51-113-97-99]	63.00	1.00	27.69	2769.00
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
6	अंत्योदय आहार योजना [पी-01-11-2408-01-001-93-51]	663.00	385.00	578.09	150.15
7	केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी [पी-01-11-4425-51-107-99-51]	50.00	16.00	26.00	162.50
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
8	पोषण अभियान योजना [पी-02-12-2236-80-102-99-51]	75.00	40.20	67.56	168.06
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन					
9	मुख्यालय स्टाफ-स्थापना व्यय [पी-01-13-3452-80-001-99-98]	14.29	6.36	8.10	127.36
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
10	स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब, हिसार [पी-01-17-5053-60-102-98-51]	500.00	252.00	390.00	154.76
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
11	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन -प्रति बूंद अधिक फसल [पी-02-19-2705-51-190-94-51]	509.60	150.70	181.40	120.37
12	नहर का निर्माण -नहर नेटवर्क का पुनर्वास [पी-01-19-4700-13-800-98-51]	300.00	200.00	245.10	122.55
13	बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-4711-01-001-91-51]	96.20	50.00	174.37	348.74
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
14	संवर्द्धन जल आपूर्ति-नाबार्ड [पी-01-20-4215-01-102-93-93]	200.00	150.00	187.97	125.31
कुल		3,257.09	1,614.26	2,426.81	150.34

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (छ); पृष्ठ 86)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें मूल अनुमान और संशोधित अनुमान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान) समान थे लेकिन व्यय प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मूल/ संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (एई)	प्रावधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान				
1	मेवात क्षेत्र के एकीकृत विकास की योजना [पी-01-04-2705-51-101-99-51]	17.70	4.43	25.03
अनुदान संख्या-5-होम/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)				
2	जिला एवं सत्र न्यायालय -फास्ट ट्रैक कोर्ट [पी-02-05-2014-51-105-95-51]	14.00	9.07	64.79
3	एचपीएचसी को ऋण और सहायता अनुदान के ब्याज का पुनर्भुगतान [पी-01-05-2055-51-800-98-51]	145.00	105.39	72.68
अनुदान संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
4	नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण कोष से ऋण [पी-01-06-2049-01-200-96-51]	319.06	233.99	73.34
5	12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर समेकित राज्य योजना ऋण [पी-01-06-2049-04-109-99-51]	25.00	9.86	39.44
अनुदान संख्या-08-लोक ऋण				
6	ब्लॉक ऋण (08-6004-02-101-51-51)	153.18	111.82	73.00
अनुदान संख्या-10.-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
7	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना [पी-02-10-2401-51-789-88-51]	30.00	12.91	43.03
8	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51]	72.00	32.45	45.07
9	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51]	148.00	26.24	17.73
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
10	कक्षा IX-XII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51]	30.00	14.24	47.47
11	पॉलिटेक्निक भवन (राज्य योजना) [पी-01-12-4202-02-104-99-51]	20.00	14.10	70.50
अनुदान संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन				
12	खेल अवसंरचना योजना [पी-01-13-4202-03-102-99-51]	80.00	63.53	79.41
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण				
13	अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक राहत [पी-02-16-2225-01-102-96-51]	28.00	20.52	73.29
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन				
14	सीआरएफ से अंतरण -अंतर खाता अंतरण [पी-03-17-3054-80-797-99-51]	150.00	108.60	72.40
15	न्याय प्रशासन [पी-02-17-4216-01-106-99-51]	50.00	18.60	37.20
16	सीआरएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन [पी-03-17-5054-03-337-87-51]	150.00	93.47	62.31
17	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण [पी-01-17-5054-04-101-84-98]	93.00	70.60	75.91
18	अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन [पी-02-17-5054-04-337-49-99]	375.00	184.88	49.30
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
19	हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एचईपीसी) को सहायता अनुदान [पी-01-19-2851-51-190-99-51]	10.00	7.22	72.20
20	भूमि की वार्षिकी [पी-01-19-4701-06-800-97-51]	10.00	7.24	72.40
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
21	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान [पी-03-20-2217-80-191-97-51]	320.00	165.22	51.63
22	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान [पी-03-20-2217-80-192-93-51]	210.00	63.43	30.20
23	प्रशासनिक आकस्मिकता योजना (मनरेगा) -सामान्य [पी-03-20-2505-02-101-98-51]	35.00	4.60	13.14
	कुल	**2,484.94**	**1,382.41**	**55.63**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ज); पृष्ठ 86)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-8-लोक ऋण					
1	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋणा [08-6003-51-105-99-51]	638.12	2138.12	697.07	32.60
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
2	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51]	200.00	250.00	196.00	78.40
3	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि में अंतरण [पी-01-10-2853-02-797-99-51]	69.00	72.00	57.21	79.46
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
4	फील्ड स्टाफ [पी-01-11-2408-01-001-98-51]	316.24	611.45	415.57	67.96
5	टीपीडीएस परिचालन के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण का पुनरुद्धार [पी-01-11-2408-01-001-91-51]	25.00	111.00	49.21	44.33
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
6	राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा को सहायता अनुदान [पी-02-14-2210-04-101-81-51]	40.00	53.24	36.34	68.26
अनुदान संख्या-15. श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
7	औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, रोहतक और अम्बाला [पी-01-15-2230-01-101-98-51]	12.24	17.65	13.43	76.09
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
8	हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करना [पी-01-17-5054-80-800-98-51]	50.00	90.83	58.07	63.93
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
9	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान [पी-01-20-2217-80-192-92-51]	10.00	99.22	59.68	60.15
10	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर ग्राम पंचायतों को बंधित अनुदान [पी-03-20-2515-51-198-98-51]	587.40	877.40	580.38	66.15
11	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [पी-01-20-4215-01-101-94-51]	15.00	25.00	14.81	59.24
कुल		**1,963.00**	**4,345.91**	**2,177.77**	**50.11**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (झ); पृष्ठ 86)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए मूल अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान समान था लेकिन व्यय प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (ए.ई)	प्रावधान के वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-5-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
1	कार्यालय भवन [पी-01-05-4055-51-207-99-51]	50.00	112.46	224.92
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
2	ब्लॉक ऋण [पी-01-06-2049-04-101-99-51]	40.00	98.34	245.85
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम				
3	त्यौहार अग्रिम [पी-01-07-7610-51-800-98-51]	20.00	29.72	148.60
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
4	राष्ट्रीय विद्यालय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम [पी-01-12-2202-01-793-98-51]	50.00	72.33	144.66
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए				
5	टीकाकरण कार्यक्रम [पी-03-14-2211-51-103-99-51]	40.00	71.48	178.70
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
6	ब्याज [पी-01-19-2700-02-800-99-51]	155.00	516.77	333.40
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
7	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड [पी-02-20-2217-80-190-99-51]	100.00	196.00	196.00
8	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर ग्राम पंचायतों को संयुक्त अनुदान [पी-03-20-2515-51-198-97-51]	391.60	570.11	145.58
कुल		**846.60**	**1,667.21**	**196.93**

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 89)

उन मामलों का विवरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
राजस्व दत्तमत					
1	1-विधान सभा	93.60	0.97	80.91	-13.66
2	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	186.78	0.50	173.82	-13.46
3	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,245.35	53.20	723.24	-575.31
4	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2,940.52	774.30	2,377.78	-1,337.04
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,917.20	286.63	3,371.26	-2,832.57
6	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	21,111.63	196.99	17,855.58	-3,453.04
7	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	6,445.77	259.15	6,086.29	-618.63
8	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,639.94	24.07	867.94	-796.07
9	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,514.07	500.00	4,672.35	-1,341.72
10	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12,099.89	1,126.28	11,184.95	-2,041.22
11	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12,805.01	1,263.12	9,604.79	-4,463.34
	कुल	**69,999.76**	**4,485.21**	**56,998.91**	**-17,486.06**
पूंजीगत (दत्तमत)					
12	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	33.19	6.39	18.85	-20.73
13	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	334.00	30.00	163.84	-200.16
14	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	317.32	150.00	247.04	-220.28
15	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,304.93	160.00	724.69	-740.24
16	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,629.35	400.00	864.26	-1,165.09
17	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	2,588.59	171.17	1,920.05	-839.71
18	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,572.85	1,073.92	4,130.37	-1,516.40
19	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,036.72	2,444.79	3,843.01	-3,638.50
	कुल	**15,816.95**	**4,436.27**	**11,912.11**	**-8,341.11**
कुल योग		**85,816.71**	**8,921.48**	**68,911.02**	**-25,827.17**

उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधान से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	13,676.89	1,263.79	14,101.62	-839.06
2	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,633.27	1,268.90	10,922.64	-979.53
	कुल	**24,310.16**	**2,532.69**	**25,024.26**	**-1,818.59**
राजस्व (प्रभारित)					
3	5-गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	237.95	22.22	244.86	-15.31
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,249.91	1,000.00	21,604.97	-644.94
कुल		**21,487.86**	**1,022.22**	**21,849.83**	**-660.25**
पूंजीगत (दत्तमत)					
5	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,398.40	967.09	1,688.89	-676.60
कुल		**1,398.40**	**967.09**	**1,688.89**	**-676.60**
पूंजीगत प्रभारित					
6	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	50.00	100.00	133.55	-16.45
	कुल	**50.00**	**100.00**	**133.55**	**-16.45**
	कुल योग	**47,246.42**	**4,622.00**	**48,696.53**	**-3,171.89**

उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ

पूंजीगत प्रभारित					
क्र. सं.	**अनुदान का नाम**	**मूल**	**अनुपूरक**	**व्यय**	**कुल प्रावधान से अधिक**
1	8-लोक ऋण	55,220.37	2,639.00	59,194.20	1,334.83
	कुल	**55,220.37**	**2,639.00**	**59,194.20**	**1,334.83**

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 90)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुन:विनियोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
	अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव			
1.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 72-हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण की योजना 98-कार्यालय भवन का निर्माण	(ओ) 0.20 (एस) 6.39 (आर) (-) 5.68 0.91	5.90	4.99
	अनुदान संख्या 04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान			
2.	2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार 101-संग्रहण प्रभार 51-उपलब्ध नहीं-	(ओ) 0.20 (आर) 81.53 81.73	0.0	(-) 81.73
3.	2053-जिला प्रशासन 093-जिला स्थापना 99-स्थापना	(ओ) 389.74 (आर) (-)177.70 212.04	267.18	55.14
4.	2053-जिला प्रशासन 094-अन्य स्थापना 99-उप-मंडलीय स्थापना	(ओ) 52.40 (आर) (-)31.13 21.27	32.68	11.41
5.	2053-जिला प्रशासन 101-आयुक्त 99-स्थापना	(ओ) 21.79 (आर) (-)6.04 15.75	18.50	2.75
6.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि. 101-नि:शुल्क राहत 97-बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 160.10 (आर) 46.67 206.77	275.49	68.72
7.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 111-शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान 51-उपलब्ध नहीं-	(ओ) 2.00 (आर) (-) 1.00 1.00	2.68	1.68
8.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 282-जन स्वास्थ्य 99-जल निकासी ऑपरेशन	(ओ) 8.00 (आर) (-)8.00 0.00	1.72	1.72
9.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि. 101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण 99-राज्य का अंशदान	(ओ) 722.00 (एस) 296.00 (आर) (-)761.26 256.74	577.60	320.86
10.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 96-कीट हमले/भूस्खलन/बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता	(ओ) 240.00 (आर) (-)172.65 67.35	124.42	57.07
11.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/ठंड-राहत	(ओ) 40.00 (आर) 71.46 111.46	144.52	33.06
12.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ) 140.00 (एस) 30.00 (आर) (-)152.26 17.74	125.18	107.44

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
13.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 98-जिला प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-)31.35 18.65	15.67	(-) 2.98
	05-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)			
14.	2014-न्याय प्रशासन 102-उच्च न्यायालय 98-स्थापना 98-स्थापना व्यय	(ओ) 44.85 (आर) (-)24.25 20.60	40.26	19.66
15.	2014-न्याय प्रशासन 102-उच्च न्यायालय 99-न्यायाधीश	(ओ) 192.41 (एस) 22.22 (आर) (-) 12.55 202.08	203.96	01.88
16.	2014-न्याय प्रशासन 114-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 96-हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (805) जेल नियम, 1996 98-स्थापना व्यय	(ओ) 34.63 (आर) 8.56 43.19	32.95	(-) 10.24
17.	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस बल 99-जिला पुलिस बल	(ओ) 4,399.57 (आर) 7.19 4,406.76	4409.09	2.33
18.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 60-कार्यालय भवन-अन्य भवन 051निर्माण 96 -जेल	(ओ) 110.00 (आर) (-)109.51 0.49	108.28	107.79
19.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 97-जेल	(ओ) 30.00 (आर) (-) 29.61 0.39	26.91	26.52
	अनुदान संख्या 06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी			
20.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 101-बाजार ऋण पर ब्याज 99-ब्याज वाले बाजार ऋण पर ब्याज	(ओ) 16,102.00 (एस) 890.00 (आर) 348.11 17,340.11	16,913.90	(-)426.21
21.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 115-भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 99-भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 10.00 (आर) (-)10.00 0.00	9.03	9.03
22.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजनाओं के कारण ब्याज का भुगतान	(ओ) 1,346.76 (आर) (-) 426.10 920.66	1,346.76	426.10
23.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 600.00 (आर) (-) 261.64 338.36	364.81	26.45
24.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 305-ऋण प्रबंधन 99-नये ऋण जारी करने आदि पर व्यय	(ओ) 50.00 (आर) (-) 50.00 0.00	65.09	65.09
25.	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ) 1,350.00 (एस) 110.00 (आर) (-)1,460.00 0.00	1,270.57	1,270.57
26.	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज 99-जी.आई.एस. पर ब्याज	(ओ) 25.00 (आर) (-) 25.00 0.00	25.00	25.00

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
27.	2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 40.00 (आर) (-) 39.92 0.08	98.35	98.27
28.	2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 109-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य प्लान ऋणों पर ब्याज 99-12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर समेकित राज्य योजना ऋण पर ब्याज	(ओ) 25.00 (आर) (-) 25.00 0.00	9.86	9.86
29.	2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधि पर ब्याज 101-मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 97-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (सरकारी प्रेस)	(ओ) 2.00 (आर) (-) 2.00 0.00	2.26	2.26
30.	2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधि पर ब्याज 101-मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 98-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	(ओ) 60.00 (आर) (-) 60.00 0.00	62.39	62.39
31.	2049-ब्याज भुगतान 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमा पर ब्याज 98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के प्रति जमा पर ब्याज	(ओ) 16.00 (आर) (-)16.00 0.00	16.84	16.84
32.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 101-सेवा निवर्तन और सेवानिवृत्ति भत्ते 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 7,500.00 (एस) 785.03 (आर) (-) 8,285.03 0.00	7,820.43	7,820.43
33.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 102-पेंशन का परिवर्तित मूल्य 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 1,200.00 (आर) (-) 1,200.00 0.00	1,115.21	1,115.21
34.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 104-ग्रेच्युटी 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 1,300.00 (आर) (-)1,300.00 0.00	1,361.94	1,361.94
35.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 1,275.00 (आर) (-) 1,275.00 0.00	1,489.40	1,489.40
36.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 106-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 299.99 (आर) (-)299.99 0.00	21.03	21.03
37.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 111-विधायकों को पेंशन 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य	(ओ) 200.00 (आर) (-)200.00 0.00	24.24	24.24
38.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 99-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	(ओ) 1,225.00 (एस) 325.00 (आर)(-)1,550.00 0.00	1,664.44	1,664.44
	07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम			
39.	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण 800-अन्य अग्रिम 96-डिफ़ॉल्ट राशि के लिए भुगतान/वसूली	(ओ) 48.00 (आर) (-)17.69 30.31	38.53	8.22
40.	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण 800-अन्य अग्रिम 98-त्यौहार अग्रिम	(ओ) 20.00 (आर) (-) 4.25 15.75	29.72	13.97

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
41.	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण 800-अन्य अग्रिम 99-राज्य सेवा अधिकारियों (अराजपत्रित) को गेहूँ ऋण	(ओ) 80.00 (आर) (-) 32.13 47.87	25.81	(-) 22.06
	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण			
42.	2403-पशुपालन 113-प्रशासनिक जांच और सांख्यिकी 96-दूध, अंडे, ऊन एवं मांस/चारा एवं घास के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण आकलन की योजना/मूल्यांकन विकास परियोजना	(ओ) 1.52 (आर) 1.28 2.80	1.40	(-)1.40
43.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव 02-पर्यावरण वानिकी एवं वन्यजीव 110-वन्य जीवन संरक्षण 93-बहुउपयोगी क्षेत्र में वन्य जीवन संरक्षण-	(ओ) 10.00 (आर) (-) 4.80 5.20	6.40	1.20
44.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव 02-पर्यावरण वानिकी एवं वन्यजीव 800-अन्य व्यय 98-चिड़ियाघर और हिरण पार्क का विस्तार	(ओ) 8.00 (आर) (-) 4.54 3.46	6.29	2.83
45.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव 04-वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास 103-राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए) 96-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	(ओ) 148.00 (आर) (-) 135.53 12.47	26.24	13.77
46.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय 113-कृषि इंजीनियरिंग 97-कृषि कार्यालय भवन का निर्माण 99-कृषि विभाग के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/खरीद की योजना	(ओ) 63.00 (आर) (-)62.42 0.58	27.69	27.11
47.	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 101-पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य 99-राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण 99-राज्य सहायता	(ओ) 100.00 (आर) (-)63.32 36.68	38.78	2.10
	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता			
48.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद और आपूर्ति 98-स्थापना लागत प्रभार्य	(ओ) 375.00 (आर) (-)238.97 136.03	134.76	(-) 1.27
	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास			
49.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 105-शिक्षक प्रशिक्षण 92-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना	(ओ) 100.00 (आर)(-) 49.84 50.16	29.80	(-)20.36
50.	2203-तकनीकी शिक्षा 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टाफ)	(ओ) 13.47 (आर) (-)1.81 11.66	9.67	(-)1.99
51.	2203-तकनीकी शिक्षा 105-पॉलिटेक्निक 59-सरकारी पॉलिटेक्निक का विकास 98-स्थापना व्यय	(ओ) 318.32 (आर) 38.01 356.33	309.65	(-)46.68
52.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी)	(ओ) 765.00 (एस) 34.00 (आर) (-) 56.14 742.86	685.65	(-)57.21
53.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 90-अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वित्तीय सहायता	(ओ) 60.00 (आर) (-) 21.55 38.45	39.80	1.35
54.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ) 50.00 (एस) 300.00 (आर) (-) 28.13 321.87	327.44	5.57

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
55.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ) 150.00 (एस) 53.24 (आर) (-)87.15 116.09	115.00	(-)1.09
56.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-)6.95 3.05	1.00	(-)2.05
57.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 97-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन 99-रिमांड/ऑब्जर्वेशन होम	(ओ) 50.00 (आर) (-)36.86 13.14	14.15	1.01
58.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 98-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण 98-राज्य का अंशदान	(ओ) 50.00 (आर) (-)49.68 0.32	7.73	7.41
59.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-)10.00 0.00	1.59	1.59
60.	6202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण 02-तकनीकी शिक्षा 105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान 94-सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक के विकास के लिए ऋण	(ओ) 40.00 (आर) (-)8.00 32.00	29.40	(-)2.60
	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन			
61.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 03-खेल और युवा सेवाएं 101-युवा छात्रावास 99-भवन (युवा छात्रावास)	(ओ) 15.00 (आर) (-)15.00 0.00	6.43	6.43
	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए			
62.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001-निदेशन एवं प्रशासन 99-मुख्यालय स्टाफ-स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	(ओ) 0.20 (आर)41.78 41.98	0.13	(-)41.85
63.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल और औषधालय 99-भवन का नाम बदलकर अवसंरचनाप्रशासनिक व्यय कर दिया गया	(ओ) 300.00 (आर) (-)249.83 50.17	236.40	186.23
64.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 101-आयुर्वेद 92-सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत	(ओ) 50.00 (आर) (-)50.00 0.00	3.28	3.28
	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण			
65.	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम 101-औद्योगिक संबंध 98-औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, रोहतक और अम्बाला	(ओ) 12.24 (आर) 6.72 18.96	13.43	(-)5.53
66.	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 02-रोजगार सेवा 101-रोजगार सेवाएं 92-रोजगार कार्यालय के लिए स्टाफ और शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भता	(ओ) 786.35 (आर) (-)445.02 341.33	334.72	(-)6.61

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
	16-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण			
67.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 99-अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	(ओ) 205.00 (एस) 40.60 (आर) (-) 96.60 149.00	203.00	54.00
68.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 93-बीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र घटक कर दिया गया	(ओ) 70.00 (एस) 45.00 (आर) (-)101.12 13.88	30.09	16.21
	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन			
69.	2041-वाहनों पर कर 102-मोटर वाहनों का निरीक्षण 98-सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं विनियामक विंग का कम्प्यूटरीकरण	(ओ) 55.00 (आर) (-)26.83 28.17	38.18	10.01
70.	2059-लोक निर्माण 60-अन्य भवन 053-रखरखाव और मरम्मत 99-रखरखाव और मरम्मत	(ओ) 10.00 (आर) (-)4.73 5.27	3.87	(-)1.40
71.	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 96-कार्यान्वयन	(ओ) 519.85 (आर)(-)53.08 466.77	460.21	(-)6.56
72.	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 97-पर्यवेक्षण	(ओ) 33.88 (आर)(-)8.60 25.28	23.87	(-)1.41
73.	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053-रखरखाव और मरम्मत 99-रखरखाव और मरम्मत	(ओ) 100.00 (आर)47.24 147.24	153.64	6.40
74.	2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रखरखाव और मरम्मत 99-अन्य रखरखाव व्यय 88-सामान्य रखरखाव और मरम्मत	(ओ) 40.01 (आर)7.63 47.64	46.55	(-)1.09
75.	3054-सड़कें और पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 600.00 (एस)500.00 (आर) (-)366.01 733.99	731.34	(-)2.65
76.	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 96-F-अन्य व्यय	(ओ) 97.50 (आर) (-)97.00 0.50	92.50	92.00
77.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98-न्याय प्रशासन	(ओ) 80.00 (आर) (-)49.95 30.05	32.34	2.29
78.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 99-लोक निर्माण	(ओ) 60.00 (आर) (-)3.82 56.18	70.80	14.62
79.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 96-लोक निर्माण	(ओ) 25.00 (आर) (-)17.33 7.67	9.83	2.16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
80.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-न्याय प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-)32.58 17.42	18.60	1.18
81.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 87-सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ) 150.00 (आर) (-)54.12 95.88	93.47	(-)2.41
82.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 88-हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार	(ओ) 150.00 (एस)150.00 (आर) 7.89 307.89	310.72	2.83
83.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 101-पुल 84-हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	(ओ) 400.00 (आर) (-)209.93 190.07	178.75	(-)11.32
84.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 48-प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता 98-गुरुग्राम में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से फारुखनगर वाया जमालपुर तक 2 लेन सड़क का निर्माण	(ओ) 0.00 (एस)35.79 (आर) (-)5.11 30.68	37.69	7.01
85.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 48-प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता 99-गुरुग्राम और नूंह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी	(ओ) 0.00 (एस)13.66 (आर) (-)8.80 4.86	0.00	(-)4.86
86.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98--ग्रामीण सड़कें 97-नाबार्ड योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण	(ओ) 180.00 (आर)(-)60.02 119.98	118.46	(-)1.52
87.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98--ग्रामीण सड़कें 99-राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण	(ओ) 500.00 (एस)460.00 (आर)197.46 1,157.46	1,161.89	4.43
88.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-जिला सड़कें 99-जिला सड़कें	(ओ) 70.00 (आर)(-)30.47 39.53	42.91	3.38
89.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 99-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत 99-राज्य का अंशदान	(ओ) 70.00 (आर)(-)28.42 41.58	42.60	1.02
90.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99-अनुसंधान	(ओ) 50.00 (एस) 100.00 (आर) (-)15.29 134.71	133.55	(-)1.16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
91.	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 34.69 (आर) (-)9.36 25.33	0.59	(-) 24.74
92.	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 147.54 (आर) (-)24.56 122.98	3.85	(-) 119.13
93.	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.37 (आर) (-)1.67 2.70	0.14	(-) 2.56
94.	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी यमुना नहर पुनर्निर्माण परियोजना सहित (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 55.36 (आर) (-)19.27 36.09	1.05	(-)35.04
95.	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी यमुना नहर पुनर्निर्माण परियोजना सहित (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 537.75 (आर) (-)68.89 468.86	11.04	(-) 457.82
96.	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी यमुना नहर पुनर्निर्माण परियोजना सहित (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 30.98 (आर) (-)4.37 26.61	0.57	(-) 26.04
97.	2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 73.25 (आर) (-)16.82 56.43	28.03	(-) 28.40
98.	2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101-रखरखाव और मरम्मत 98-अन्य रखरखाव कार्य	(ओ) 22.00 (आर) 39.84 61.84	66.73	4.89
99.	2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियन्ता	(ओ) 86.64 (आर) 2.22 88.86	14.42	(-)74.44
100.	2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रखरखाव	(ओ) 60.00 (आर) (-)10.00 50.00	47.35	(-)2.65
101.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-नहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में सुधार	(ओ) 150.00 (आर) (-)47.82 102.18	109.72	7.54
102.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहर नेटवर्क के नहर पुनर्वास का निर्माण	(ओ) 300.00 (आर) (-)70.05 229.95	245.10	15.15
103.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 97-नहरों और नालियों पर पुलों और संरचनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण	(ओ) 250.00 (आर) (-)90.33 159.67	143.56	(-) 16.11

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
104.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आरआईडीएफ (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	(ओ) 200.00 (आर) (-)36.09 163.91	180.61	16.70
105.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 800-अन्य व्यय 98-नाबार्ड-नहर का निर्माण	(ओ) 200.00 (आर) (-)40.60 159.40	157.61	(-)1.79
106.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 25-उपचारित अपशिष्ट जल के लिए सिंचाई योजना 800-अन्य व्यय 99-सिंचाई प्रयोजन के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति शाखाएं	(ओ) 100.00 (आर) (-)17.06 82.94	86.84	3.90
107.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्ययs 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 99-बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी	(ओ) 300.00 (आर) 123.38 423.38	436.79	13.41
	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
108.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी)	(ओ) 450.00 (एस) 110.00 (आर)(-) 110.00 450.00	0.00	(-)450.00
109.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज का रखरखाव 98-रखरखाव प्रभार	(ओ) 100.00 (आर) 25.00 125.00	130.89	5.89
110.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज का रखरखाव 99-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 150.00 (एस) 25.00 (आर)149.23 324.23	326.05	1.82
111.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 754.60 (एस)420.00 (आर) (-)49.09 1,125.51	1,109.31	(-)16.20
112.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति 93-जलापूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन	(ओ) 200.00 (आर) 72.18 272.18	274.02	1.84
113.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति 99-शहरी जल आपूर्ति 99-संवर्द्धन जल आपूर्ति में वृद्धि	(ओ) 110.00 (आर) 48.69 158.69	155.49	(-)3.20
114.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 93-ग्रामीण जल आपूर्ति 90-गांव में पेयजल आपूर्ति के अद्यतन के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 25.00 (आर) (-)8.47 16.53	26.14	9.61
115.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 93-ग्रामीण जल आपूर्ति 93-नाबार्ड	(ओ) 200.00 (आर) (-)19.45 180.55	187.97	7.42

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
116.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति 99-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज केन्द्रीय का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम)-कवरेज रख दिया गया है	(ओ) 860.00 (एस) 1,919.75 (आर) (-)12,182.25 597.50	591.24	(-)6.26
117.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 96-ग्रामीण जलापूर्ति संवर्धन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	(ओ) 36.00 (आर) (-)6.13 29.87	31.45	1.58
118.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 97-नाबार्ड के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	(ओ) 50.00 (आर) (-)6.15 43.85	47.42	3.57
119.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं 94-सीवरेज एवं स्वच्छता	(ओ) 150.00 (आर) 128.46 278.46	268.32	(-) 10.14
120.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 102-ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं 98-ग्रामीण स्वच्छता 97-गांव में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 50.00 (आर) (-)7.86 42.14	43.84	1.70
121.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99- शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों को सीवरेज सुविधाएं	(ओ) 15.00 (आर) 3.90 18.90	24.73	5.83
122.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी तूफान जल निकासी कार्य	(ओ) 40.00 (आर) 48.34 88.34	93.38	5.04
	कुल	**36,578.23**	**51,474.54**	**(-) 2,040.76 (+) 16,937.07**

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोग से अधिक व्यय (+)	79	(+) 16,937.07
विनियोग से बचत (-)	43	(-) 2,040.76
कुल	**122**	

₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 63, 67, 68, 69, 76, 78, 102, 104 और 107	37	16,768.25
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
2, 16, 20, 41, 49, 51, 52, 62, 83, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 108, 111 और 119	20	1,975.72
कुल	**57**	

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 90)

मार्च 2024 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/ आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचत के विरुद्ध कम राशि समर्पित की गई थी							
राजस्व (दत्तमत)							
1	1-विधान सभा	93.60	0.97	94.57	80.91	-13.66	13.65
2	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/ विधिक सेवा प्राधिकरण)	7,820.13	0.01	7,820.14	7,249.91	-570.23	563.27
3	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	21,111.63	196.99	21,308.62	17,855.58	-3,453.04	3,326.86
4	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	570.85	0.00	570.85	404.17	-166.68	165.97
5	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,639.94	24.07	1,664.01	867.94	-796.07	780.7
6	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,514.07	500.00	6,014.07	4,672.35	-1,341.72	1,267.35
7	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	473.49	0.00	473.49	364.78	-108.71	108.47
8	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	-4,463.34	4,006.65
	कुल	**50,028.72**	**1,985.16**	**52,013.88**	**41,100.43**	**(-) 10,913.45**	**10,232.92**
पूंजीगत दत्तमत							
9	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,304.93	160.00	1,464.93	724.69	-740.24	704.00
10	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	15,359.06	0.00	15,359.06	12,863.47	-2,495.59	2,494.29
11	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	299.50	0.00	299.50	150.71	-148.79	105.22
12	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	331.90	0.03	331.93	64.18	-267.75	212.45
13	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,572.85	1,073.92	5,646.77	4,130.37	-1,516.40	1,155.79
14	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	192.03	0.00	192.03	60.49	-131.54	111.51
15	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,141.52	0.00	4,141.52	2,825.84	-1,315.68	765.32
16	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	-3,638.50	3,312.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/ आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
	कुल	**31,238.51**	**3,678.74**	**34,917.25**	**24,662.76**	**(-) 10,254.49**	**8,860.58**
पूंजीगत प्रभारित							
17	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	50.00	100.00	150.00	133.55	-16.45	15.29
18	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30.00	0.00	30.00	16.46	-13.54	13.11
	कुल	**80.00**	**100.00**	**180.00**	**150.01**	**(-) 29.99**	**28.40**
18	**कुल योग**	**81,347.23**	**5,763.90**	**87,111.13**	**65,913.20**	**(-) 21,197.93**	**19,121.90**
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचत के विरूद्ध अधिक राशि अभ्यर्पित की गई थी							
राजस्व दत्तमत							
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	186.78	0.50	187.28	173.82	-13.46	13.60
2	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,245.35	53.20	1,298.55	723.24	-575.31	575.37
3	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2,940.52	774.30	3,714.82	2,377.78	-1,337.04	1,872.07
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	13,676.89	1,263.79	14,940.68	14,101.62	-839.06	14,335.81
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	-2,832.57	2,850.22
6	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	2,107.90	0.31	2,108.21	1,838.91	-269.30	269.45
7	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	6,445.77	259.15	6,704.92	6,086.29	-618.63	1,231.01
8	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,633.27	1,268.90	11,902.17	10,922.64	-979.53	1,047.99
9	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12,099.89	1,126.28	13,226.17	11,184.95	-2,041.22	2,396.75
	कुल	**55,253.57**	**5,033.06**	**60,286.63**	**50,780.51**	**(-) 9,506.12**	**24,592.27**
राजस्व प्रभारित							
10	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/ विधिक सेवा प्राधिकरण)	237.95	22.22	260.17	244.86	-15.31	36.86
11	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	-644.94	2,233.23
	कुल	**21,487.86**	**1,022.22**	**22,510.08**	**21,849.83**	**(-) 660.25**	**2,270.09**
पूंजीगत दत्तमत							
12	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	33.19	6.39	39.58	18.85	-20.73	25.73
13	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	334.00	30.00	364.00	163.84	-200.16	304.83
14	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/ विधिक सेवा प्राधिकरण)	579.50	0.02	579.52	397.01	-182.51	316.83

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/ आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
15	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	-1,165.09	1,194.58
16	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,398.40	967.09	2,365.49	1,688.89	-676.60	681.52
17	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	2,588.59	171.17	2,759.76	1,920.05	-839.71	1,029.48
	कुल	6,563.03	1,574.67	8,137.70	5,052.90	(-) 3,084.80	3,552.97
17	कुल योग	83,304.46	7,629.95	90,934.41	77,683.24	(-) 13,251.17	30,415.33
ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में अभ्यर्पित कर दिया गया था							
राजस्व प्रभारित							
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	53.93	0	53.93	23.99	-29.94	29.94
	कुल	53.93	0	53.93	23.99	(-) 29.94	29.94
पूंजीगत दतमत							
2	1-विधान सभाa	50.00	0.00	50.00	0.00	-50.00	50.00
3	6-वित/योजना एवं सांख्यिकी	317.32	150.00	467.32	247.04	-220.28	220.28
4	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	57.31	0.00	57.31	6.23	-51.08	51.08
	कुल	424.63	150.00	574.63	253.27	(-) 321.36	321.36
4	कुल योग	478.56	150.00	628.56	277.26	(-) 351.30	351.30
39	कुल योग	1,65,130.25	13,543.85	1,78,674.10	1,43,873.70	(-) 34,800.40	49,888.53

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 91)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,245.35	53.20	1,298.55	723.24	-575.31
2	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2,940.52	774.30	3,714.82	2,377.78	-1,337.04
3	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	7,820.13	0.01	7,820.14	7,249.91	-570.23
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	13,676.89	1,263.79	14,940.68	14,101.62	-839.06
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	-2,832.57
6	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	2,107.90	0.31	2,108.21	1,838.91	-269.30
7	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	21,111.63	196.99	21,308.62	17,855.58	-3,453.04
8	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	570.85	0.00	570.85	404.17	-166.68
9	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	6,445.77	259.15	6,704.92	6,086.29	-618.63
10	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,639.94	24.07	1,664.01	867.94	-796.07
11	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,633.27	1,268.90	11,902.17	10,922.64	-979.53
12	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,514.07	500.00	6,014.07	4,672.35	-1,341.72
13	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	473.49	0.00	473.49	364.78	-108.71
14	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12,099.89	1,126.28	13,226.17	11,184.95	-2,041.22
15	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	-4,463.34
	कुल	**1,05,001.91**	**7,016.75**	**1,12,018.66**	**91,626.21**	**-20,392.45**
राजस्व प्रभारित						
16	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	-644.94
	कुल	**21,249.91**	**1,000.00**	**22,249.91**	**21,604.97**	**-644.94**
पूंजीगत दत्तमत						
17	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	334.00	30.00	364.00	163.84	-200.16
18	5-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	579.50	0.02	579.52	397.01	-182.51

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
19	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	317.32	150.00	467.32	247.04	-220.28
20	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,304.93	160.00	1,464.93	724.69	-740.24
21	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	-1,165.09
22	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	15,359.06	0.00	15,359.06	12,863.47	-2,495.59
23	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,398.40	967.09	2,365.49	1,688.89	-676.60
24	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	299.50	0.00	299.50	150.71	-148.79
25	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	2,588.59	171.17	2,759.76	1,920.05	-839.71
26	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	331.90	0.03	331.93	64.18	-267.75
27	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,572.85	1,073.92	5,646.77	4,130.37	-1,516.40
28	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	192.03	0.00	192.03	60.49	-131.54
29	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,141.52	0.00	4,141.52	2,825.84	-1,315.68
30	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	-3,638.50
	कुल	**38,085.67**	**5,397.02**	**43,482.69**	**29,943.85**	**-13,538.84**
	कुल योग	**1,64,337.49**	**13,413.77**	**1,77,751.26**	**1,43,175.03**	**-34,576.23**

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 92)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
	राजस्व (दत्तमत)					
1.	**3-सामान्य प्रशासन/चुनाव**					
1.	2852-उद्योग, 07-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स, 91-हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	300.00	0.00	75.00	225.00	75.00
2	**4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान**					
2.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि,101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि,99-राज्य का अंशदान	722.00	296.00	577.60	440.40	43.26
3.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 08-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, 797-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, 99-राज्य और केंद्र का अंशदान	413.00	0.00	0.00	413.00	100.00
3	**5-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)**					
4.	2055-पुलिस, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओएल-पीएलओ-आरईवी)	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00
4	**6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी**					
5.	2049-ब्याज भुगतान, 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज, 97-एन.सी.डी.सी. से ऋण	600.00	0.00	364.81	235.19	39.20
6.	2049-ब्याज भुगतान, 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज, 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	1,350.00	110.00	1,270.57	189.43	12.97
7.	2075-विविध सामान्य सेवाएं, 800-अन्य व्यय, 88-मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई)	200.58	0.00	0.51	200.07	99.75
5	**10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण**					
8.	2401-फसल पालन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 94-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी)	76.00	150.00	0.00	226.00	100.00
9.	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 81-हरियाणा में गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना	200.00	136.61	196.00	140.61	41.77
10.	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 83-फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजना	350.00	0.00	215.00	135.00	38.57
11.	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	200.00	0.00	58.17	141.83	70.92
12.	2401-फसल पालन, 111-कृषि, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 90-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	650.00	0.00	247.12	402.88	61.98
13.	2403-पशुपालन, 102-मवेशी एवं भैंस विकास, 69-गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना	425.00	0.00	0.97	424.03	99.77
14.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव, 04-वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास, 103-राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए), 96-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	148.00	0.00	26.24	121.76	82.27
6	**11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता**					
15.	2408-खाद्य भण्डारण एवं गोदाम, 01-खाद्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-खाद्य एवं आपूर्ति आपूर्ति के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफएएस-पीएलओ-आरईवी)	300.00	0.00	0.08	299.92	99.97
7	**12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास**					
16.	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
17.	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 111-सर्व शिक्षा अभियान, 99-सर्व शिक्षा अभियान	550.00	0.00	318.90	231.10	42.02
18.	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय,93-शिक्षा का अधिकार अधिनियम	212.00	0.00	80.05	131.95	62.24
19.	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी)	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00
20.	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	600.00	0.00	261.32	338.68	56.45
8	**14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए**					
21.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 70-केन्द्रीय वित्त आयोग के प्रशासन के मानकों का उन्नयन	548.77	0.00	0.00	548.77	100.00
22.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता, 97-एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	**15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण**					
23.	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 02-रोजगार सेवा, 101-रोजगार सेवाएं,92-रोजगार कार्यालय के लिए स्टाफ और शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता	786.35	0.00	334.73	451.62	57.43
10	**16-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण**					
24.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डब्ल्यूएसबी-पीएलओ-आरईवी)	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00
25.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 283-आवास, 99-डॉ.बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना	100.00	100.00	71.83	128.17	64.09
26.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन, 96-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता	2121.20	284.20	2294.59	110.81	4.61
27.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम,789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 99-अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	1150.00	0.00	1016.39	133.61	11.62
11	**17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन**					
28.	2059-लोक निर्माण, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 87-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-आरईवी)	120.00	0.00	0.00	120.00	100.00
29.	3054-सड़कें और पुल, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 98-ग्रामीण सड़कें	600.00	500.00	731.34	368.66	33.51
30.	3054-सड़कें और पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 99-जिला सड़कें	325.00	0.00	27.29	297.71	91.60
12	**19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**					
31.	2700-मुख्य सिंचाई.80-सामान्य, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनर्स्थापना कर दिया गया है	455.00	0.00	166.85	288.15	63.33
32.	2705-कमांड क्षेत्र विकास, 188-स्वायत्त निकायों को सहायता, 98-जलमार्ग का निर्माण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण/विस्तार	250.00	200.00	248.62	201.38	44.75
33.	2705-कमांड क्षेत्र विकास, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 94-सीएडीए द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल का कार्यान्वयन	509.60	0.00	181.40	328.20	64.40
34.	2801-विद्युत, 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 94-यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	6952.57	845.10	6885.56	912.11	11.70
35.	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग, 101-औद्योगिक संपदा, 95-औद्योगिक अवसंरचना का सृजन, उन्नयन और रखरखाव का नाम बदलकर नवीन उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना का विकास कर दिया गया	150.00	0.00	28.33	121.67	81.11

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
36.	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग, 102-लघु उद्योग, 60-स्वच्छ ईंधन पर उद्योगों के संचालन में वैट सहायता	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00
37.	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग, 102-लघु उद्योग, 65-नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत उद्योग विकास के लिए प्रोत्साहन	250.00	0.00	99.34	150.66	60.26
13	**20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**					
38.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, 01-जल आपूर्ति, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी)	450.00	110.00	0.00	560.00	100.00
39.	2217-शहरी विकास, 03-छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास,191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 99-मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना	140.00	500.00	161.48	478.52	74.77
40.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 97-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	320.00	0.00	165.22	154.78	48.37
41.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 86-नया शहरी नवीकरण मिशन (अमृत)	359.48	0.00	234.43	125.05	34.79
42.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन	400.00	0.00	14.16	385.84	96.46
43.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 92-नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	10.00	189.22	59.68	139.54	70.04
44.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 93-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान	210.00	0.00	63.43	146.57	69.80
45.	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	359.00	0.00	152.46	206.54	57.53
46.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 96-विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी)	150.00	0.00	0.71	149.29	99.53
47.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,712.00	0.00	1,157.99	554.01	32.36
48.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 93-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना	122.00	0.00	0.00	122.00	100.00
49.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 198-ग्राम पंचायतों को सहायता, 96-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास	699.00	0.00	24.35	674.65	96.52
50.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 87-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	734.00	0.00	505.83	228.17	31.09
	राजस्व (प्रभारित)					
1	**6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी**					
51.	2049-ब्याज भुगतान, 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज, 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	1,350.00	110.00	1,270.57	189.43	12.97
	पूंजीगत (दत्तमत)					
1	**4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान**					
52.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 207-राज्य पुलिस, 95-पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओएल-पीएलओ-सीएपी)	208.50	0.00	0.00	208.50	100.00
2	**6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी**					
53.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 60-वित्त भवन का निर्माण	107.00	0.00	0.00	107.00	100.00
3	**07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम**					
54.	6860-उपभोक्ता उद्योग के लिए ऋण, 04-चीनी, 101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण, 95-सहकारी चीनी मिलों में विद्युत सह-उत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना.	300.00	0.00	0.00	300.00	100
55.	6860-उपभोक्ता उद्योग के लिए ऋण, 04-चीनी, 101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण, 99-सभी सहकारी चीनी मिलों को ऋण	390.00	0.00	216.00	174.00	44.62

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
4	**10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण**					
56.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 113-कृषि इंजीनियरिंग, 95-केंद्रीय वित्त आयोग की सिफिरिशों पर कृषि विकास से संबंधित अवसंरचना एवं गतिविधियां	424.00	0.00	0.00	424.00	100.00
57.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 97-भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार (आईआईएचएम) गन्नौर, सोनीपत को इक्विटी पूंजी	0.01	400.00	0.00	400.01	100.00
5	**11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता**					
58.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य ,101-खरीद और आपूर्ति,89-बाजरा की खरीद	474.60	0.00	0.00	474.60	100.00
59.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य ,101-खरीद और आपूर्ति, 97-पूंजी पर ब्याज	600.00	0.00	315.92	284.08	47.35
60.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य ,101-खरीद और आपूर्ति, 99-अनाज आपूर्ति योजना	13742.81	0.00	12380.78	1362.03	9.91
6	**12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास**					
61.	6202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण, 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, 97-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ऋण	216.00	186.00	300.00	102.00	25.37
7	**14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए**					
62.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 99-कर्मचारी राज्य बीमा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईएसआई-पीएलओ-सीएपी)	131.00	0.00	0.00	131.00	100.00
63.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 86-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-कैप)	233.00	0.00	0.00	233.00	100.00
64.	6210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए ऋण, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 97-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल को ऋण	108.00	0.00	0.00	108.00	100.00
8	**15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण**					
65.	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 87-कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-सीएपी)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	**17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन**					
66.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 98-पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी)	754.81	0.00	0.00	754.81	100.00
67.	5053-सिविल एविएशन पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 052-मशीनरी और उपकरण, 99-स्पेयर पार्ट्स, विमान और अन्य उपकरणों की खरीद	125.00	0.00	20.10	104.90	83.92
68.	5053-सिविल एविएशन पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 102-नेविगेशन एवं वायु मार्ग सेवाएं, 98-स्वर्ण जयंती एकीकृत विमानन हब, हिसार	500.00	172.44	390.00	282.44	42.00
69.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 101-पुल, 84-हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	400.00	0.00	178.75	221.25	55.31
70.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय,04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 49-पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क, 99-अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	375.00	0.00	184.88	190.12	50.70
71.	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 050-भूमि और भवन, 76-परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-सीएपी)	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00
10	**19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**					
72.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07 सतलुज यमुना लिंक परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण (एसवाईएल)	101.00	0.00	0.08	100.92	99.92
73.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 98-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी)	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
74.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 98-इक्विटी कैपिटल एचपीजीसीएल	584.51	0.00	231.04	353.47	60.47
11	**20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**					
75.	4215-जल आपूर्ति एवं स्वतंत्रता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति,98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति, 99-एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज केन्द्रीय का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) कवरेज कर दिया गया	860.00	1,919.75	591.24	2,188.51	78.73
76.	4215-जल आपूर्ति एवं स्वतंत्रता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 800-अन्य व्यय, 96-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी)	350.00	0.00	0.00	350.00	100.00
77.	4215-जल आपूर्ति एवं स्वतंत्रता पर पूंजीगत परिव्यय, 02-सीवरेज एवं स्वच्छता, 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं,89-सीवरेज के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन	200.00	0.00	53.82	146.18	73.09
78.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 98-निदेशक स्थानीय निकाय-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (सीएपी) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ)	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00
79.	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 101-पंचायती राज, 97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	700.00	500.00	974.16	225.84	18.82
80.	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 101-पंचायती राज, 99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	200.00	0.00	10.72	189.28	94.64
	पूंजीगत प्रभारित					
1	**08-लोक ऋण**					
81.	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण, 99-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	14,046.45	0.00	11,988.32	2,058.13	14.65

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 94)

उन योजनाओं[1] का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान था और बचत कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
1	पंचायत चुनाव के संचालन के लिए मुख्यालय स्टाफ [पी-01-03-2015-51-101-99]	2021-22	34.15	12.13	22.02	64.00
		2022-23	38.59	12.96	25.63	66.00
		2023-24	33.07	10.20	22.87	70.00
2	हरियाणा के लिए आईटी योजना [पी-01-03-2852-07-202-91-51]	2021-22	50.00	18.88	31.12	62.00
		2022-23	50.00	14.28	35.72	71.00
		2023-24	300.00	75.00	225.00	75.00
3	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार [पी-01-06-2071-01-106-51]	2021-22	105.06	7.15	97.91	93.00
		2022-23	105.00	10.08	94.92	90.00
		2023-24	299.99	21.03	278.96	93.00
4	राज्य विधानमंडल के सदस्य [पी-01-06-2071-01-111-99-51]	2021-22	188.19	25.88	162.31	86.00
		2022-23	100.00	33.47	66.53	67.00
		2023-24	200.00	24.24	175.76	88.00
5	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) [पी-01-06-2075-51-800-88-51]	2021-22	823.74	1.64	822.10	100.00
		2022-23	802.85	0.46	802.39	100.00
		2023-24	200.58	0.51	200.07	100.00
6	वित्त भवन का निर्माण [पी-01-06-4059-01-051-60-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	130.00	0.06	129.94	100.00
		2023-24	107.00	0.00	107.00	100.00
7	स्थगित बिक्री कर/वैट के बदले ब्याज मुक्त ऋण [पी-01-07-6851-51-102-90]	2021-22	40.00	19.29	20.71	52.00
		2022-23	40.00	3.63	36.37	91.00
		2023-24	40.00	3.33	36.67	94.00
8	मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों और राज्य विधायकों को एचबीए अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-98-51]	2021-22	15.00	3.60	11.40	76.00
		2022-23	10.00	2.28	7.72	77.00
		2023-24	10.00	2.03	7.97	80.00
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51]	2021-22	23.25	4.00	19.25	83.00
		2022-23	42.17	18.42	23.75	56.00
		2023-24	36.00	7.56	28.44	79.00
10	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना [पी-02-10-2402-51-101-95-51]	2021-22	14.00	0.60	13.40	96.00
		2022-23	10.00	5.00	5.00	50.00
		2023-24	10.00	4.13	5.87	59.00
11	खनन के बाद बहाली कार्य पर व्यय [पी-01-10-2853-02-102-99]	2021-22	103.35	22.12	81.23	79.00
		2022-23	123.70	5.91	117.79	95.00
		2023-24	97.67	0.18	97.49	100.00
12	कक्षा IX-XII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51]	2021-22	25.00	0.00	25.00	100.00
		2022-23	27.00	4.50	22.50	83.00
		2023-24	30.00	14.24	15.76	53.00
13	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-69]	2021-22	25.00	1.47	23.53	94.00
		2022-23	30.00	7.48	22.52	75.00
		2023-24	20.00	0.00	20.00	100.00
14	लिंग संवेदनशीलता [पी-01-12-2235-02-103-79]	2021-22	40.34	18.21	22.13	55.00
		2022-23	40.00	1.12	38.88	97.00
		2023-24	30.00	0.10	29.90	100.00

[1] वर्ष 2021-22 में अनुदानों के लिए 47 बजटीय मांगें थीं, जिन्हें हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20 बजटीय अनुदान मांगों में समेकित किया गया है।

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
15	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51]	2021-22	59.60	15.63	43.97	74.00
		2022-23	60.00	29.04	30.96	52.00
		2023-24	60.00	17.26	42.74	71.00
16	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण-राज्य का अंशदान [पी-01-12-4235-02-102-99-98]	2021-22	40.00	13.19	26.81	67.00
		2022-23	50.00	0.39	49.61	99.00
		2023-24	50.00	7.74	42.26	85.00
17	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-12-4235-02-789-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	1.59	8.41	84.00
18	अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना का नाम बदलकर अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-98-51]	2021-22	23.00	10.35	12.65	100.00
		2022-23	25.00	0.00	25.00	100.00
		2023-24	25.00	0.00	25.00	100.00
19	सोनीपत में साईंस सिटी की स्थापना का नाम बदलकर हरियाणा में राष्ट्रीय साईंस सिटी की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-99-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100.00
		2023-24	50.00	0.00	50.00	100.00
20	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन [पी-03-13-2205-51-105-86-51]	2021-22	27.00	0.00	27.00	100.00
		2022-23	28.00	0.00	28.00	100.00
		2023-24	20.00	0.00	20.00	100.00
21	प्रशासन के मानकों का उन्नयन केंद्रीय वित्त आयोग [पी-03-14-2210-01-110-70-51]	2021-22	142.00	0.00	142.00	100.00
		2022-23	525.57	156.40	369.17	70.00
		2023-24	548.77	0.00	548.77	100.00
22	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू पुरुष की स्थापना [पी-01-14-2210-05-105-71-51]	2021-22	20.00	9.52	10.48	52.00
		2022-23	20.00	9.75	10.25	51.00
		2023-24	20.00	8.63	11.37	57.00
23	एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार [पी-01-14-2210-80-199-97-51]	2021-22	200.00	50.00	200.00	100.00
		2022-23	200.00	0.00	200.00	100.00
		2023-24	100.00	0.00	100.00	100.00
24	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/अस्पतालों कुरुक्षेत्र के भवन का निर्माण [पी-01-14-4210-03-101-91-51]	2021-22	25.00	2.52	22.48	90.00
		2022-23	25.00	0.27	24.73	99.00
		2023-24	25.00	0.51	24.49	98.00
25	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना [पी-01-15-2230-03-001-92-51]	2021-22	240.20	4.50	235.70	98.00
		2022-23	50.00	12.45	37.55	75.00
		2023-24	50.00	5.50	44.50	89.00
26	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) [पी-03-15-2230-03-003-61-51]	2021-22	15.00	3.16	11.84	79.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	30.00	0.00	30.00	100.00
27	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना [पी-03-15-2230-03-190-99-51]	2021-22	20.00	6.00	14.00	70.00
		2022-23	32.37	10.97	21.40	66.00
		2023-24	13.10	0.00	13.10	100.00
28	मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण [पी-01-15-4250-51-800-97]	2021-22	35.00	1.89	33.11	95.00
		2022-23	15.00	2.11	12.89	86.00
		2023-24	50.03	2.61	47.42	95.00
29	सुगम्य भारत अभियान (एसआईपीडीए) [पी-03-16-4235-02-101-92-51]	2021-22	18.00	0.00	18.00	100.00
		2022-23	18.00	0.00	18.00	100.00
		2023-24	18.00	0.00	18.00	100.00
30	वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए रेवाड़ी स्थित गृह (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है [पी-01-16-4235-02-104-99-51]	2021-22	10.00	3.52	6.48	65.00
		2022-23	25.00	0.00	25.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
31	भवन (सार्वजनिक पुस्तकालय) [पी-01-17-4202-04-105-99-51]	2021-22	41.00	17.61	23.39	57.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
32	न्याय प्रशासन [पी-02-17-4216-01-106-99-51]	2021-22	50.00	20.99	29.01	58.00
		2022-23	50.00	5.83	44.17	88.00
		2023-24	50.00	18.60	31.40	63.00

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
33	स्पेयर पार्ट्स, विमान और अन्य उपकरणों की खरीद [पी-01-17-5053-60-052-99-51]	2021-22	15.16	2.01	13.15	87.00
		2022-23	125.20	24.87	100.33	80.00
		2023-24	125.00	20.10	104.90	84.00
34	हवाई अड्डों का रखरखाव [पी-01-17-5053-60-102-99-51]	2021-22	50.00	13.58	36.42	73.00
		2022-23	110.00	41.08	68.92	63.00
		2023-24	45.00	20.42	24.58	55.00
35	नियामक शाखा के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण [पी-01-17-5055-51-050-77-51]	2021-22	20.01	6.01	14.00	70.00
		2022-23	20.01	0.00	20.01	100.00
		2023-24	20.00	0.56	19.44	97.00
36	पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट का भुगतान [पी-01-18-4220-60-101-97-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
37	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-2700-01-001-89-51	2021-22	29.34	1.13	28.21	96.00
		2022-23	33.08	0.67	32.41	98.00
		2023-24	34.69	0.59	34.10	98.00
38	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-01-001-91-51]	2021-22	114.85	5.15	109.70	96.00
		2022-23	119.55	5.31	114.24	96.00
		2023-24	147.54	3.85	143.69	97.00
39	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-2700-02-001-89-51]	2021-22	51.16	1.45	49.71	97.00
		2022-23	51.84	1.45	50.39	97.00
		2023-24	55.36	1.05	54.31	98.00
40	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-02-001-91-51]	2021-22	457.60	16.58	441.02	96.00
		2022-23	489.00	14.10	474.90	97.00
		2023-24	537.75	11.04	526.71	98.00
41	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता (वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-02-001-92-51]	2021-22	27.35	0.70	26.65	97.00
		2022-23	27.55	0.63	26.92	98.00
		2023-24	30.98	0.57	30.41	98.00
42	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]	2021-22	68.62	15.27	53.35	78.00
		2022-23	68.62	14.53	54.09	79.00
		2023-24	73.25	28.02	45.23	62.00
43	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता [पी-01-19-2700-80-001-93-51]	2021-22	98.41	14.31	84.10	85.00
		2022-23	96.36	9.79	86.57	90.00
		2023-24	86.64	14.42	72.22	83.00
44	गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनर्स्थापना कर दिया गया है [पी-01-19-2700-80-190-96-51]	2021-22	802.00	128.52	673.48	84.00
		2022-23	504.12	128.86	375.26	74.00
		2023-24	455.00	166.85	288.15	63.00
45	औद्योगिक अवसंरचना का सृजन, उन्नयन और रखरखाव, जिसे नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना विकास का नाम दिया गया है [पी-01-19-2851-51-101-95-51]	2021-22	50.00	16.97	33.03	66.00
		2022-23	150.00	24.03	125.97	84.00
		2023-24	150.00	28.33	121.67	81.00
46	बांध और संबद्ध कार्य [पी-01-19-4700-05-800-98-51]	2021-22	50.00	22.25	27.75	56.00
		2022-23	25.00	0.41	24.59	98.00
		2023-24	24.00	0.39	23.61	98.00
47	नहर का निर्माण (एसवाईएल) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]	2021-22	100.00	4.72	95.28	95.00
		2022-23	100.00	0.07	99.93	100.00
		2023-24	101.00	0.08	100.92	100.00
48	नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई [पी-01-19-4701-07-800-97-51]	2021-22	150.00	0.00	150.00	100.00
		2022-23	150.00	66.63	83.37	56.00
		2023-24	150.00	69.89	80.11	53.00
49	नहरों का निर्माण (मेवात) [पी-01-19-4701-22-800-98]	2021-22	100.00	0.87	99.13	99.00
		2022-23	100.00	0.93	99.07	99.00
		2023-24	50.00	0.80	49.20	98.00
50	इक्विटी कैपिटल एचपीजीसीएल [पी-01-19-4801-05-190-98-51]	2021-22	84.98	0.00	84.98	100.00
		2022-23	27.61	0.00	27.61	100.00
		2023-24	584.51	231.04	353.47	60.00

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
51	स्वच्छ भारत मिशन [पी-01-20-2217-80-192-88]	2021-22	364.86	199.50	165.36	45.00
		2022-23	300.00	33.82	266.18	89.00
		2023-24	400.00	14.16	385.84	96.00
52	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान [पी-01-20-2217-80-192-92-51]	2021-22	149.47	10.21	139.26	93.00
		2022-23	268.00	20.08	247.92	93.00
		2023-24	199.22	59.68	139.54	70.00
53	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बंजर भूमि घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं [पी-02-20-2501-05-101-99-51]	2021-22	30.00	5.60	24.40	81.00
		2022-23	24.00	6.04	17.96	75.00
		2023-24	16.80	8.24	8.56	51.00
54	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]	2021-22	75.00	22.08	52.92	71.00
		2022-23	75.00	18.23	56.77	76.00
		2023-24	45.00	18.23	26.77	59.00
55	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना [पी-01-20-2505-01-702-88-99]	2021-22	50.00	1.00	49.00	98.00
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100.00
		2023-24	50.00	12.50	37.50	75.00
56	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना [पी-01-20-2505-01-789-99-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	2.50	7.50	75.00
57	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) [पी-02-20-2515-51-101-81-51]	2021-22	20.00	0.00	20.00	100.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	30.00	0.00	30.00	100.00
58	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना [पी-01-20-2515-51-102-90]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75.00
		2022-23	30.00	0.00	30.00	100.00
		2023-24	30.00	0.00	30.00	100.00
59	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-102-93]	2021-22	532.37	99.82	432.55	81.00
		2022-23	300.00	11.07	288.93	96.00
		2023-24	122.00	0.00	122.00	100.00
60	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-01-20-2515-51-102-96-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
61	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	2021-22	25.00	10.03	14.97	60.00
		2022-23	100.00	8.71	91.29	91.00
		2023-24	100.00	41.73	58.27	58.00
62	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) [पी-02-20-2515-51-106-96-51]	2021-22	50.00	9.52	40.48	81.00
		2022-23	30.00	12.69	17.31	58.00
		2023-24	60.00	0.00	60.00	100.00
63	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) [पी-03-20-2515-51-106-98-51]	2021-22	20.00	0.00	20.00	100.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
64	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना [पी-01-20-2515-51-789-91]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
65	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-789-98]	2021-22	50.00	14.81	35.19	70.00
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100.00
		2023-24	45.00	0.00	45.00	100.00
66	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-02-20-2515-51-789-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 99)

वर्ष की अंतिम तिमाही/महीने में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत और उससे अधिक है

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2024 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	2852-उद्योग	92.56	90.37	97.63	83.04	89.71
2	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2705-कमांड क्षेत्र विकास	15.68	10.8	68.88	4.59	29.27
3	5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	248.48	144.24	58.05	89.11	35.86
4		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	26.91	20.43	75.92	5.18	19.25
5	6-वित/योजना एवं सांख्यिकी	2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00
6		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	157.24	91.00	57.87	0.00	0.00
7		4885-उद्योग एवं खनिज पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	105.00	105.00	100.00	0.00	0.00
8	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	2853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	79.83	54.55	68.33	48.42	60.65
9		4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	45.30	30.1	66.45	27.69	61.13
10		4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	40.78	38.62	95.19	3.13	7.68
11	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	2425-सहकारिता	713.95	369.02	51.69	268.08	37.55
12		4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	31.30	27.71	88.53	27.66	88.37
13	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	16.53	15.75	95.28	15.58	94.25
14		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	37.61	21.32	56.69	13.45	35.76
15	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	3452-पर्यटन	53.80	27.55	51.21	11.84	22.01
16		5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	74.15	43.03	58.03	0.6	0.81
17	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	2216-आवास	418.72	237.73	56.78	220.51	52.66
18	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	4220-सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	60.49	45.00	74.39	30.00	49.59
19	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2701-मध्यम सिंचाई	222.07	192.65	86.75	185.37	83.47
20		2705-कमांड क्षेत्र विकास	648.96	339.49	52.21	96.99	14.95
21		2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	808.22	510.4	63.15	301.17	37.26
22		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	770.45	387.51	50.3	260.08	33.76
23		4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	77.98	77.57	99.74	77.56	99.46
24	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	93.38	46.92	50.25	18.82	20.15
		कुल	**5,139.39**	**3,226.76**	**62.78**	**2,088.87**	**40.64**

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 100)

2023-24 के दौरान तिमाहीवार व्यय दर्शाने वाला विवरण

कुल बजट प्रावधान (ओ+एस)	पहली तिमाही में व्यय	दूसरी तिमाही में व्यय	तीसरी तिमाही में व्यय	चौथी तिमाही में व्यय	मार्च 2024 में व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय (तिमाहीवार/मार्च में) (प्रतिशत में)				
	(₹ करोड़ में)						पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	मार्च 2024
अनुदान संख्या-1-विधान सभा											
145.41	21.4	22.08	18.76	19.28	6.07	81.51	26	27	23	24	7
अनुदान संख्या-2 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद											
210.23	22.5	61.00	42.08	67.69	34.74	193.25	12	32	22	35	18
अनुदान संख्या-3 सामान्य प्रशासन/चुनाव											
1,392.08	153.88	166.04	170.61	275.57	150.83	766.08	20	22	22	36	20
अनुदान संख्या-4 राजस्व/आबकारी एवं कराधान											
4,078.81	492.33	619.90	444.45	607.42	166.94	2,164.06	23	29	21	28	8
अनुदान संख्या-5 गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)											
8,659.84	2,123.39	2,013.17	1,460.83	2,294.42	1,010.78	7,891.79	27	26	19	29	13
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी											
37,657.91	4,547.95	13,376.24	5,932.07	12,097.37	4,792.38	35,953.65	13	37	16	34	13
अनुदान संख्या-10 कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण											
7,246.55	913.08	702.93	808.43	965.7	441.04	3,390.12	27	21	24	28	13
अनुदान संख्या-12 शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास											
22,254.79	4,362.70	4,701.05	4,177.55	5,149.84	2,074.58	18,391.16	24	26	23	28	11
अनुदान संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन											
820.36	62.55	95.16	179.67	217.5	36.16	554.89	11	17	32	39	7
अनुदान संख्या-14 स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए											
8,558.89	1,440.19	1,957.97	1,798.39	2,044.25	693.02	7,240.78	20	27	25	28	10
अनुदान संख्या-15 श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण											
1,892.54	229.94	214.39	219.69	218.97	69.32	883.01	26	24	25	25	8
अनुदान संख्या-16 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण											
11,959.48	2,548.03	2,647.43	2,719.95	3,013.78	1109.9	10,928.88	23	24	25	28	10
अनुदान संख्या-17 भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन											
11,602.70	1,785.14	2,025.16	2,280.23	2,069.6	609.64	8,160.15	22	25	28	25	7
अनुदान संख्या-18 सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी											
665.84	67.68	156.23	103.76	98.31	-12.87	425.99	16	37	24	23	-3
अनुदान संख्या-19 सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी											
17,397.71	2,731.69	2,980.15	3,362.67	4,952.79	2,427.86	14,027.25	19	21	24	35	17
अनुदान संख्या-20 शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग											
21,535.03	2,180.28	3,627.14	3,060.38	4,580	2,066.48	13,447.78	16	27	23	34	15

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1 (iii); पृष्ठ 103)

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम (वर्गीकरण)	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
	खान एवं भूविज्ञान विभाग				
1	खनिज अन्वेषण और खनिज रियायत के लिए राज्य में खानों और खनिजों का विकास (2853-02-001-98)	2021-22	11.52	8.06	3.46 (30.03)
		2022-23	12.70	10.18	2.52 (19.84)
		2023-24	16.20	8.76	7.44 (45.93)
2	स्थापना व्यय (2853-02-001-99-98)	2021-22	21.59	12.44	9.15 (42.38)
		2022-23	22.59	14.86	7.73 (34.22)
		2023-24	29.39	13.85	15.54 (52.88)
3	खनन के बाद बहाली कार्य पर व्यय (2853-02-102-99)	2021-22	103.35	22.12	81.23 (78.60)
		2022-23	123.70	5.91	117.79 (95.22)
		2023-24	97.67	0.18	97.49 (99.82)
	पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग				
1	पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय की स्थापना का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय एवं जिला स्टाफ की स्थापना कर दिया गया है (2403-51-001-99)	2021-22	32.28	26.57	5.71 (17.69)
		2022-23	34.80	28.72	6.08 (17.47)
		2023-24	39.56	26.07	13.49 (34.10)
2	क्रूरता निवारण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना (2403-51-101-61)	2021-22	4.32	2.98	1.34 (31.02)
		2022-23	4.32	1.04	3.28 (75.93)
		2023-24	5.00	1.20	3.80 (76)
3	पशु चिकित्सा संस्थानों को खोलना, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (2403-51-101-62)	2021-22	92.00	81.17	10.83 (11.77)
		2022-23	115.85	93.85	22.00 (18.99)
		2023-24	129.95	85.87	44.08 (33.92)
4	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण का नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत पशुओं के टीकाकरण के लिए अनुदान कर दिया गया (2403-51-101-63)	2021-22	5.28	4.23	1.05 (19.89)
		2022-23	5.00	0.00	5.00 (100)
		2023-24	6.00	1.80	4.20 (70)
5	हरियाणा पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान की स्थापना की योजना (2403-51-101-88)	2021-22	593.68	474.68	119.00 (20.04)
		2022-23	578.00	515.15	62.85 (10.87)
		2023-24	631.35	522.79	108.56 (17.19)
6	देशी मवेशियों के संरक्षण एवं विकास तथा मुर्राह विकास योजना (2403-51-102-66)	2021-22	7.00	5.21	1.79 (25.57)
		2022-23	7.00	4.21	2.79 (39.86)
		2023-24	7.00	4.90	2.10 (30)
7	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना (2403-51-102-67)	2021-22	20.00	0.00	20.00 (100)
		2022-23	4.00	0.00	4.00 (100)
		2023-24	16.00	6.80	9.20 (57.50)
8	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69)	2021-22	30.00	8.35	21.65 (72.17)
		2022-23	10.00	6.80	3.20 (32)
		2023-24	425.00	0.97	424.03 (99.77)
9	सरकारी पशुधन फार्म की स्थापना (2403-51-102-99)	2021-22	36.85	29.83	7.02 (19.05)
		2022-23	36.77	30.01	6.76 (18.38)
		2023-24	41.59	27.89	13.70 (32.94)
10	भेड़ बकरी प्रजनन फार्म एवं ऊन ग्रेडिंग केंद्र की स्थापना (2403-51-104-94)	2021-22	8.31	5.40	2.91 (35.02)
		2022-23	7.45	4.76	2.69 (36.11)
		2023-24	7.04	4.87	2.17 (30.82)
11	हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधन की योजना (2403-51-113-97)	2021-22	3.10	1.44	1.66 (53.55)
		2022-23	2.73	1.65	1.08 (39.56)
		2023-24	2.82	1.80	1.02 (36.17)
12	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना (2403-51-789-89)	2021-22	4.00	0.00	4.00 (100)
		2022-23	1.00	0.00	1.00 (100)
		2023-24	4.00	0.00	4.00 (100)
13	अनुसूचित जाति के लिए पशुधन इकाइयां स्थापित करके अनुसूचित जाति को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना (2403-51-789-94)	2021-22	18.00	15.06	2.94 (16.33)
		2022-23	70.00	49.26	20.74 (29.63)
		2023-24	35.00	29.83	5.17 (14.77)
14	नाबार्ड सहायता (4403-51-101-99-98)	2021-22	20.00	0.00	20.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	10.00 (100)
		2023-24	10.00	2.00	8.00 (80)
15	राज्य सहायता (4403-51-101-99-99)	2021-22	18.00	11.32	6.68 (37.11)
		2022-23	150.00	7.92	142.08 (94.72)
		2023-24	100.00	38.78	61.22 (61.22)

परिशिष्ट 3.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (ii); पृष्ठ 107)

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2023-24 में बचत (₹ 10 करोड़ एवं 30 प्रतिशत) का योजनावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग			
1.	मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना (2217-03-191-99)	640.00	161.48	-478.52 (75)
2.	नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं (2217-80-191-95)	105.00	42.74	-62.26 (59)
3.	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान (2217-80-191-97)	320.00	165.22	-154.78 (48)
4.	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी अवसंरचना के विकास की योजना (2217-80-192-83)	572.00	312.13	-259.87 (45)
5.	नया शहरी नवीकरण मिशन (अमृत) (2217-80-192-86)	359.48	234.43	-125.05 (35)
6.	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88)	400.00	14.16	-385.84 (96)
7.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-80-192-89)	37.50	0.00	-37.50 (100)
8.	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान (2217-80-192-92)	199.22	59.68	-139.54 (70)
9.	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान (2217-80-192-93)	210.00	63.43	-146.57 (70)
10.	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-80-789-90)	12.50	0.00	-12.50 (100)
11.	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान (2217-80-789-94)	30.00	11.67	-18.33 (61)
	कुल राजस्व (दत्तमत)	**2,885.70**	**1,064.94**	**-1,820.76 (63)**
12.	अग्निशमन सेवा निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) के लिए भूमि की खरीद और निर्माण कार्य (4059-01-051-64)	30.00	0.00	-30.00 (100)
13.	निदेशक स्थानीय निकाय-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (सीएपी) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (4217-60-001-98)	800.00	0.00	-800.00 (100)
	कुल पूंजीगत (दत्तमत)	**830.00**	**0.00**	**-830.00 (100)**
		3,715.70	**1,064.94**	**-2,650.76 (71)**
	ग्रामीण विकास विभाग			
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**बजट प्रावधान (ओ+एस)**	**वास्तविक व्यय**	**बचत (प्रतिशत में)**
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बंजर भूमि घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं (2501-05-190-99)	16.00	4.00	-12.00 (75)
2.	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) (2501-06-101-96)	10.00	0.00	-10.00 (100)
3.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-101-97)	25.00	0.00	-25.00 (100)
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-101-99-99)	105.00	61.41	-43.59 (42)
5.	एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-789-98)	10.00	0.00	-10.00 (100)
6.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-789-99)	45.00	18.23	-26.77 (59)
7.	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (2505-01-702-88-89)	50.00	12.50	-37.50 (75)
8.	प्रशासनिक आकस्मिकता योजना (मनरेगा) -सामान्य(2505-02-101-98)	35.00	4.60	-30.40 (87)
9.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (2505-02-101-99)	359.00	152.46	-206.54 (58)
10.	विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी) (2515-51-001-96)	150.00	0.71	-149.29 (99)
11.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-51-101-81)	30.00	0.00	-30.00 (100)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
12.	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-51-101-89)	1,712.00	1,157.99	-554.01 (32)
13.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना (2515-51-102-90)	30.00	0.00	-30.00 (100)
14.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-102-93-99)	122.00	0.00	-122.00 (100)
15.	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (2515-51-102-94)	100.00	70.00	-30.00 (30)
16.	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-102-96-99)	10.00	0.00	-10.00 (100)
17.	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत (2515-51-102-97)	100.00	41.73	-58.27 (58)
18.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2515-51-106-96)	60.00	0.00	-60.00 (100)
19.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2515-51-106-97)	50.00	0.00	-50.00 (100)
20.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (2515-51-106-98)	10.00	0.00	-10.00 (100)
21.	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास (2515-51-198-96)	699.00	24.35	-674.65 (97)
22.	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता (2515-51-789-87)	734.00	505.83	-228.17 (31)
23.	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (2515-51-789-88)	30.00	9.86	-20.14 (67)
24.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना (2515-51-789-91)	10.00	0.00	-10.00 (100)
25.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-789-98)	45.00	0.00	-45.00 (100)
26.	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-789-99)	10.00	0.00	-10.00 (100)
	कुल राजस्व (दत्तमत)	**4,557.00**	**2,063.67**	**-2,493.33 (55)**
27.	विकास एवं पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) (4515-51-101-98)	94.00	0.00	-94.00 (100)
28.	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	200.00	10.72	-189.28 (95)
	कुल पूंजीगत (दत्तमत)	**294.00**	**10.72**	**-283.28 (96)**
	कुल योग	**4,851.00**	**2,074.39**	**-2,776.61 (57)**

परिशिष्ट 3.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (iv); पृष्ठ 108)

31 मार्च 2024 को बैंक बैलेंस दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता नंबर	योजना का नाम	31 मार्च 2024 को बैंक बैलेंस
	निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग			
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला	2084104000023010	2515-51-106-96-51-एन-वी-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	60.00
2	पीएनबी बैंक सेक्टर 9, चंडीगढ़	4431000100010460	2505-02-101-99-99-एन-वी-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) -सामान्य योजना	0.68
3	पीएनबी बैंक मनीमाजरा, चंडीगढ़	1183000101140570	2505-01-702-88-99-एन-वी-स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (एसजेकेयूवाई)	14.32
4	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 43 बी चंडीगढ़	50100526078186	2515-51-102-94-51-एन-वी-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	722.97
5	पीएनबी बैंक मनीमाजरा, चंडीगढ़	1183000101140580	2515-51-106-99-51-एन-वी-विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना (वीएएनजीवाई)	216.18
6	केनरा बैंक, सेक्टर 10, पंचकुला	1624101015733	2501-06-800-97-51-एन-वी-डीआरडीए प्रशासन	24.03
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सेक्टर 11 चंडीगढ़	50100072478831	2501-06-101-99-99-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) -सामान्य योजना	48.95
8	इंडसइंड बैंक, सेक्टर 28 ए, चंडीगढ़	151500160028	2515-51-102-93-99-एन-वी-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना -सामान्य योजना	25.12
9	पीएनबी बैंक, सेक्टर 09 चंडीगढ़	44311000100010200	2501-05-101-99-51-एन-वी-एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40)	1.97
	निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग			
10	इंडसइंड बैंक, सेक्टर 28 A चंडीगढ़	100204908253	2515-51-101-89-51-एन-वी- पीआरआई को राज्य वित आयोग की सिफारिश पर वित्तीय सहायता	554.61
11	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 40 चंडीगढ़	50470111000001	2505-02-101-99-97-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय सहित खण्ड कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीकरण/मरम्मत	26.20
			कुल	**1,695.03**

परिशिष्ट 3.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (iv); पृष्ठ 108)

नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित राशि का विवरण

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	योजना का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता	31 मार्च 2024 को अव्ययित राशि (₹ में)
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, भिवानी	विधायक आदर्श नगर ग्रामीण योजना	एचडीएफसी	50100671436280	21,58,829
		स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	आईडीबीआई	354102000007955	10,81,581
		15वां वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग	आईसीआईसीआई	360001000308	1,05,99,800
2	कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति (ईओपीएस), भिवानी	15वां वित्त आयोग	एचडीएफसी	50100674898379	7,23,36,821
		राज्य वित्त आयोग	पीएनबी	53000109444846	35,35,634
			एचडीएफसी	5010319554310	26,00,548
3	ईओपीएस, तोशाम	15वां वित्त आयोग	एचडीएफसी	50100284084629	2,63,16,403
			पीएनबी	1053000100051450	3,79,640
4	सीईओ, जिला परिषद महेंद्रगढ़		एचडीएफसी	50100668024245	11,28,43,649
5	ईओपीएस, नारनौल		एचडीएफसी	50100667870864	40,08,526
			पीएनबी	3335000101002410	1,52,05,665
6	ग्राम पंचायत, कुतबापुर, नारनौल		आईडीबीआई	1679104000029660	2,92,925
7	ग्राम पंचायत-कान्वी, नारनौल		आईडीबीआई	1679104000029090	19,38,310
8	ईओपीएस, नांगल चौधरी		पीएनबी	883000109340002	1,83,59,218
9	ग्राम पंचायत-नांगल नूनिया		पीएनबी	883000109167764	12,99,169
10	ग्राम पंचायत-खातोली जाट		पीएनबी	883000109168073	2,21,397
11	ईओपीएस, धारूहेड़ा		पीएनबी	188510010001876	1,60,18,653
12	ग्राम पंचायत-घातल महनियावास		पीएनबी	3333000101019720	29,05,253
13	ग्राम पंचायत-नंदरामपुर बास		पीएनबी	1665000101037080	24,74,851
14	ईओपीएस-बावल		पीएनबी	405000105466122	2,44,08,006
			एचडीएफसी	50100674088965	51,35,197
15	ग्राम पंचायत-बानीपुर		पीएनबी	4915000100011780	25,95,637
16	ग्राम पंचायत-धरान		पीएनबी	4915000100011880	14,67,405
कुल					**32,81,89,605**

परिशिष्ट 3.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (iv); पृष्ठ 109)

नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित शेष राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	योजना का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता	31 मार्च 2024 को अव्ययित शेष (₹ में)
1	निदेशक,शहरी स्थानीय निकाय	स्वच्छ भारत मिशन	आईडीबीआई बैंक	132088432400	294.16
	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	आईसीआईसीआई बैंक	1301048976	14.75
कुल (क)					**308.91**
2	नगर निगम, फरीदाबाद	केंद्रीय वित्त आयोग	एक्सिस बैंक	920010074152070	96.78
	स्मार्ट सिटी, फरीदाबाद		केनरा बैंक	27481011009161	156.79
3	नगरपालिका, समालखा		एक्सिस बैंक	919010095190033	2.91
4	नगर निगम, पंचकुला		एक्सिस बैंक	921010044746110	4.10
		दिव्य नगर योजना	आईडीबीआई बैंक	16104000159555	4.45
5	नगरपालिका, कुंडली	6वां राज्य वित्त आयोग	एक्सिस बैंक	920010029056215	13.38
		केंद्रीय वित्त आयोग	एक्सिस बैंक	922010006864042	2.19
6	नगर परिषद, थानेसर		एक्सिस बैंक	921010046536629	0.44
7	नगर परिषद, टोहाना		एक्सिस बैंक	912010038481249/919010064142928	2.99
		स्वच्छ भारत मिशन	आईडीबीसी/कोटक महिंद्रा बैंक	10140838946/7512049349	1.52
कुल (ख)					**285.55**
कुल योग (क+ख)					**594.46**

परिशिष्ट 3.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (vii); पृष्ठ 110)

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम (वर्गीकरण)	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
	शहरी स्थानीय निकाय विभाग				
1.	राज्य में जिला नगर आयुक्तों की नई स्थापना (2217-80-001-89)	2021-22	16.15	1.22	-14.93 (92)
		2022-23	18.84	3.36	-15.48 (82)
		2023-24	6.26	1.87	-4.39 (70)
2.	नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं (2217-80-191-95)	2021-22	125.00	43.98	-81.02 (64)
		2022-23	100.00	58.84	-41.16 (41)
		2023-24	105.00	42.74	-62.26 (59)
3.	केन्द्रीय वित आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान (2217-80-191-97)	2021-22	423.04	208.87	-214.17 (50)
		2022-23	286.20	213.51	-72.69 (25)
		2023-24	320.00	165.22	-154.78 (48)
4.	पीएम-स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर (पीएमएसवीए निधि) (2217-80-192-85)	2021-22	1.50	0.00	-1.50 (100)
		2022-23	2.00	0.31	-1.69 (84)
		2023-24	2.00	0.50	-1.50 (75)
5.	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88)	2021-22	364.86	199.50	-165.36 (45)
		2022-23	300.00	33.82	-266.18 (88)
		2023-24	400.00	14.16	-385.84 (96)
6.	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान (2217-80-192-92)	2021-22	149.47	10.21	-139.26 (93)
		2022-23	268.00	20.08	-247.92 (93)
		2023-24	199.22	59.68	-139.54 (70)
7.	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान (2217-80-789-94)	2021-22	35.00	1.76	-33.24 (95)
		2022-23	30.00	19.32	-10.68 (36)
		2023-24	30.00	11.67	-18.33 (61)
8.	दूध डेयरियों का स्थानांतरण (2217-80-800-76)	2021-22	1.00	0.00	-1.00 (100)
		2022-23	1.00	0.00	-1.00 (100)
		2023-24	1.00	0.00	-1.00 (100)
	ग्रामीण विकास विभाग				
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बंजर भूमि घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं (2501-05-190-99)	2021-22	30.00	5.60	-24.40 (81)
		2022-23	24.00	6.04	-17.96 (75)
		2023-24	16.80	8.24	-8.56 (51)
2.	एकीकृत बंजर भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (2501-05-789-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	8.00	4.03	-3.97 (50)
		2023-24	7.20	2.06	-5.14 (71)
3.	दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम के अंतर्गत प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों को सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान करने की योजना (2501-06-102-99)	2021-22	5.00	3.35	-1.65 (33)
		2022-23	5.00	3.50	-1.50 (30)
		2023-24	5.00	1.25	-3.75 (75)
4.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-789-99)	2021-22	75.00	22.08	-52.92 (71)
		2022-23	75.00	18.23	-56.77 (76)
		2023-24	45.00	18.23	-26.77 (59)
5.	ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ के लिए योजना (2501-06-800-98)	2021-22	2.50	0.60	-1.90 (76)
		2022-23	2.50	0.55	-1.95 (78)
		2023-24	1.45	0.26	-1.19 (82)
6.	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (2505-01-702-88)	2021-22	50.00	1.00	-49.00 (98)
		2022-23	50.00	0.00	-50.00 (100)
		2023-24	50.00	12.50	-37.50 (75)
7.	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (एससीएसपी) (2505-01-789-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2023-24	10.00	2.50	-7.50 (75)
8.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (2505-02-101-99)	2021-22	300.00	255.74	-44.26 (15)
		2022-23	450.00	178.16	-271.84 (60)
		2023-24	359.00	152.46	-206.54 (58)

क्र. सं.	योजना का नाम (वर्गीकरण)	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
9.	स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ) (2515-51-001-98-98)	2021-22	8.63	6.55	-2.08 (24)
		2022-23	8.77	6.83	-1.94 (22)
		2023-24	9.42	6.87	-2.55 (27)
10.	स्थापना व्यय, मुख्यालय स्टाफ और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी (2515-51-001-99-98)	2021-22	23.56	9.86	-13.70 (58)
		2022-23	20.02	11.67	-8.35 (42)
		2023-24	21.24	12.09	-9.15 (43)
11.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-51-101-81)	2021-22	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2022-23	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2023-24	30.00	0.00	-30.00 (100)
12.	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-51-101-89)	2021-22	1,375.00	0.00	-1,375.00 (100)
		2022-23	480.00	370.00	-110.00 (23)
		2023-24	1,712.00	1,157.99	-554.01 (32)
13.	ग्रामीण विकास के लिए गांव के युवा स्वयंसेवकों में जागरूकता (2515-51-102-83)	2021-22	3.50	1.00	-2.50 (71)
		2022-23	3.50	0.37	-3.13 (89)
		2023-24	3.50	0.13	-3.37 (96)
14.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना (2515-51-102-90)	2021-22	20.00	5.00	-15.00 (75)
		2022-23	30.00	0.00	-30.00 (100)
		2023-24	30.00	0.00	-30.00 (100)
15.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-102-93-99)	2021-22	532.37	99.82	-432.55 (81)
		2022-23	300.00	11.07	-288.93 (96)
		2023-24	122.00	0.00	-122.00 (100)
16.	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-102-96-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
17.	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत (2515-51-102-97)	2021-22	25.00	10.03	-14.97 (60)
		2022-23	100.00	8.71	-91.29 (91)
		2023-24	100.00	41.73	-58.27 (58)
18.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2515-51-106-96)	2021-22	50.00	9.52	-40.48 (81)
		2022-23	30.00	12.69	-17.31 (58)
		2023-24	60.00	0.00	-60.00 (100)
19.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (2515-51-106-98)	2021-22	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2022-23	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
20.	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन भुगतान की योजना (2515-51-196-99)	2021-22	467.76	153.03	-314.73 (67)
		2022-23	302.92	56.83	-246.09 (81)
		2023-24	30.61	25.19	-5.42 (18)
21.	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता (2515-51-789-87)	2021-22	340.00	0.00	-340.00 (100)
		2022-23	120.00	100.00	-20.00 (17)
		2023-24	734.00	505.83	-228.17 (31)
22.	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (2515-51-789-88)	2021-22	30.00	24.54	-5.46 (18)
		2022-23	30.00	10.26	-19.74 (66)
		2023-24	30.00	9.86	-20.14 (67)
23.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना (2515-51-789-91)	2021-22	20.00	5.00	-15.00 (75)
		2022-23	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
24.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-789-98)	2021-22	50.00	14.81	-35.19 (70)
		2022-23	50.00	0.00	-50.00 (100)
		2023-24	45.00	0.00	-45.00 (100)
25.	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-789-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
26.	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	2021-22	150.00	100.00	-50.00 (33)
		2022-23	200.00	34.71	-165.29 (83)
		2023-24	200.00	10.72	-189.28 (95)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भः अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 114)

राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्राधिकरण	363.31
2	दिव्यांगों के लिए योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम और नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	13.46
3	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	29.55
4	राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना	हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	4.22
5	स्वदेशी यूरिया का भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,047.02
6	आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	मासैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,519.25
7	रोड विंग के अंतर्गत वर्क्स	मेसर्स एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन और अन्य	207.40
8	सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह) शक्ति निवास पालना पीएमएमवीवाई नेशनल हब फॉर वूमेन एम्पावरमेंट जेंडर बजट रिसर्च स्किलिंग मीडिया आदि।	महिला एवं बाल विकास विभाग	0.05
9	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	1,045.39
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और अन्य	2.07
11	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण केंद्रीय क्षेत्र	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	11.16
12	अटल भूजल योजना	एसपीएमयू, आई एंड डब्ल्यूआर विभाग हरियाणा	489.62
13	जल जीवन मिशन (जेजेएम) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	प्रमुख अभियंता, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	526.72
14	जूते, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	सिद्ध लामीफैब प्राइवेट लिमिटेड, एच.एस. पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड, एपी इंडस्ट्रीज और अन्य	75.64
15	स्मार्ट ग्रिड	राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	6.08
16	सड़क कार्य - ईएपी घटक	एटलस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एटकॉन इंडिया लिमिटेड (जेवी) और एटकॉन इंडिया लिमिटेड - एटलस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)।	92.09
17	अनुसंधान एवं विकास (सपोर्ट कार्यक्रम)	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	1.96
18	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	आयुष्मान भारत हरियाणा एवं हरियाणा संरक्षण प्राधिकरण	95.17
19	सुधार से जुड़ी वितरण योजना, पावर	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7,580.30
20	कृषि उन्नति योजना	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड और अन्य	228.76
21	एक हजार लाख रुपए से कम रिलीज वाली अन्य योजनाएं		34.38
	Total		**15,373.59**

स्रोत: वित्त लेखे - परिशिष्ट VI

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भः अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 116)

31 मार्च 2024 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल (2011)	2021-22	1	0.16	1	0.16	1	0.16	0	0.00
2	न्याय प्रशासन (2014)	2020-21	4	0.02	4	0.02	4	0.02	0	0.00
		2021-22	11	0.09	11	0.09	11	0.09	0	0.00
		2022-23	22	21.70	22	21.70	0	0.00	22	21.70
3	पुलिस (2055)	2020-21	2	115.41	1	76.61	1	76.61	0	0.00
		2021-22	3	168.00	3	168.00	3	168.00	0	0.00
		2022-23	4	180.79	4	180.79	0	0.00	4	180.79
4	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2019-20	5	22.75	5	22.75	5	22.75	0	0.00
		2020-21	2	21.35	2	21.35	2	21.35	0	0.00
5	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1382.54	6	0.99	6	0.99	0	0.00
		2015-16	1,063	1542.62	11	0.71	11	0.71	0	0.00
		2016-17	1,332	1618.88	7	0.37	7	0.37	0	0.00
		2017-18	1,385	1656.36	1	4.00	0	0.00	1	4.00
		2018-19	866	1560.24	2	136.41	2	136.41	0	0.00
		2019-20	47	545.79	21	247.84	4	102.96	17	144.88
		2020-21	142	1468.19	116	1019.39	112	921.36	4	98.03
		2021-22	178	1454.40	178	1454.40	129	880.69	49	573.71
		2022-23	258	2942.06	258	2942.06	236	2207.27	22	734.79
7	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	1	10.00	1	10.00	0	0.00
		2017-18	90	218.18	3	12.65	3	12.65	0	0.00
		2021-22	39	119.25	39	119.25	39	119.25	0	0.00
8	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	4	0.32	2	0.23	2	0.09
		2016-17	56	90.69	14	6.61	8	0.37	6	6.24
		2017-18	229	73.14	6	2.05	2	0.64	4	1.41
		2020-21	50	2.70	50	2.71	43	0.18	7	2.53
		2021-22	37	73.46	37	73.46	30	71.69	7	1.77
		2022-23	12	1.70	12	1.70	4	0.17	8	1.53
9	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.30	0	0.00	1	0.30
		2019-20	1	2.00	1	2.00	1	2.00	0	0.00
		2020-21	1	0.30	1	0.30	0	0.00	1	0.30
		2022-23	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
10	मेडिकल (2210)	2019-20	54	796.03	3	38.48	3	38.48	0	0.00
		2020-21	47	814.12	21	169.44	17	133.37	4	36.07
		2021-22	41	1195.39	41	1195.39	4	12.96	37	1182.43
		2022-23	30	1255.49	30	1255.48	2	3.86	28	1251.62
11	परिवार कल्याण (2211)	2020-21	3	0.18	1	0.03	0	0.00	1	0.03
		2021-22	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0	0.00
12	आवास (2216)	2021-22	5	156.89	5	156.89	0	0.00	5	156.89
		2022-23	10	100.36	10	100.36	0	0.00	10	100.36
13	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1274.01	12	159.87	3	6.15	9	153.72
		2013-14	73	1120.80	9	193.91	0	0.00	9	193.91
		2014-15	87	1115.43	3	18.18	0	0.00	3	18.18
		2015-16	122	1478.70	28	145.97	3	20.95	25	125.02
		2016-17	219	2227.25	29	156.86	3	4.49	26	152.37
		2017-18	395	2781.01	67	333.88	10	17.47	57	316.41
		2018-19	105	1841.76	34	761.28	4	16.67	30	744.61
		2019-20	52	1750.54	31	203.99	1	96.42	30	107.57
		2020-21	42	1652.99	25	456.64	5	296.05	20	160.59
		2021-22	76	2288.38	76	2288.38	28	422.63	48	1865.75
		2022-23	61	1481.94	61	1481.94	0	0.00	61	1481.94

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
14	श्रम एवं रोजगार (2230)	2020-21	7	66.35	2	1.85	0	0.00	2	1.85
		2021-22	6	96.66	6	96.66	3	92.50	3	4.16
		2022-23	4	19.47	4	19.47	0	0.00	4	19.47
15	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	0	0.00	2	11.53
		2015-16	355	50.55	2	1.68	0	0.00	2	1.68
		2017-18	38	34.20	4	1.75	2	1.36	2	0.39
		2018-19	208	87.41	2	1.19	0	0.00	2	1.19
		2019-20	27	12.77	14	5.54	0	0.00	14	5.54
		2020-21	35	45.22	26	44.07	17	19.04	9	25.03
		2021-22	30	46.22	30	46.22	23	32.81	7	13.41
		2022-23	27	79.03	27	79.03	3	0.48	24	78.55
16	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.18	0	0.00	1	0.18
		2019-20	1	0.13	1	0.13	0	0.00	1	0.13
17	फसल पालन (2401)	2020-21	19	307.02	6	117.61	6	117.61	0	0.00
		2021-22	7	151.71	7	151.71	7	151.71	0	0.00
		2022-23	15	167.17	15	167.17	0	0.00	15	167.17
18	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2021-22	5	2.50	5	2.50	5	2.50	0	0.00
19	पशुपालन (2403)	2019-20	37	124.01	15	122.87	15	122.87	0	0.00
		2020-21	17	35.31	16	35.30	16	35.30	0	0.00
		2021-22	30	111.48	30	111.48	25	73.38	5	38.10
		2022-23	9	6.00	9	6.00	0	0.00	9	6.00
20	मत्स्य पालन (2405)	2022-23	4	1.54	4	1.54	4	1.54	0	0.00
21	वानिकी एवं वन्य जीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	0	0.00	3	10.71
		2019-20	3	3.09	3	3.09	0	0.00	3	3.09
		2020-21	3	8.68	3	8.68	3	8.68	0	0.00
		2021-22	1	7.20	1	7.20	1	7.20	0	0.00
		2022-23	2	4.50	2	4.50	0	0.00	2	4.50
22	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (2415)	2020-21	2	133.50	2	133.50	2	133.50	0	0.00
		2021-22	4	212.55	4	212.55	4	212.55	0	0.00
23	सहयोग (2425)	2020-21	5	36.21	1	0.40	1	0.40	0	0.00
		2021-22	6	212.40	6	212.40	6	212.40	0	0.00
24	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501)	2015-16	103	64.19	1	0.47	0	0.00	1	0.47
		2016-17	87	69.16	14	44.94	2	0.37	12	44.57
		2017-18	112	135.06	26	93.73	3	1.03	23	92.70
		2018-19	123	154.60	34	134.62	15	3.34	19	131.28
		2019-20	60	102.02	20	93.44	7	23.18	13	70.26
		2020-21	29	18.81	18	16.27	14	10.61	4	5.66
25	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	2	1.16	0	0.00	2	1.16
		2015-16	48	285.52	9	12.76	6	5.89	3	6.87
		2016-17	7	218.78	2	119.22	0	0.00	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	0	0.00	15	211.07
		2018-19	9	201.78	8	201.78	0	0.00	8	201.78
		2019-20	4	61.97	4	61.97	0	0.00	4	61.97
		2021-22	1	113.70	1	113.70	0	0.00	1	113.70
26	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	0	0.00	1	10.85
		2010-11	48	267.83	7	33.08	0	0.00	7	33.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	0	0.00	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	0	0.00	39	88.02
		2013-14	249	1263.49	69	368.67	0	0.00	69	368.67
		2014-15	3,871	1191.66	52	168.75	2	0.28	50	168.47
		2015-16	3,845	1261.94	93	146.89	1	0.01	92	146.88
		2016-17	4,166	2262.96	133	272.68	3	0.09	130	272.59
		2017-18	3,652	1127.58	58	153.74	3	6.62	55	147.12
		2018-19	4,015	2228.45	225	918.49	12	26.89	213	891.60
		2019-20	355	2757.15	330	2696.70	64	52.12	266	2644.58
		2020-21	105	349.62	104	349.62	68	9.05	36	340.57
		2021-22	124	302.64	124	302.64	33	6.90	91	295.74
		2022-23	82	7.49	82	7.49	5	1.28	77	6.21

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
27	प्रमुख सिंचाई (2700)	2020-21	3	1.75	2	0.85	0	0.00	2	0.85
28	कमांड क्षेत्र विकास (2705)	2019-20	16	104.25	1	0.75	1	0.75	0	0.00
29	ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत (2810)	2020-21	3	1.20	3	1.20	3	1.20	0	0.00
		2021-22	2	0.72	2	0.72	2	0.72	0	0.00
		2022-23	3	2.00	3	2.00	0	0.00	3	2.00
30	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2021-22	3	5.95	3	5.95	0	0.00	3	5.95
31	उद्योग (2852)	2016-17	36	61.70	5	1.25	1	0.25	4	1.00
		2017-18	23	126.50	5	61.89	5	61.89	0	0.00
		2018-19	25	78.49	8	48.88	1	0.10	7	48.78
		2019-20	7	16.30	5	14.73	0	0.00	5	14.73
32	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2020-21	8	12.12	4	4.62	4	4.62	0	0.00
33	पारिस्थितिकी और पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	0	0.00	1	0.10
		2018-19	3	1.37	1	0.05	0	0.00	1	0.05
34	सचिवालय आर्थिक सेवाएं (3451)	2020-21	4	1.45	1	0.05	1	0.05	0	0.00
		2021-22	8	73.56	8	73.56	0	0.00	8	73.56
		2022-23	6	4.85	6	4.85	0	0.00	6	4.85
35	खाद्य भंडारण और गोदाम (2408)	2022-23	13	0.19	13	0.19	0	0.00	13	0.19
36	एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2021-22	76	6.92	76	6.92	76	6.92	0	0.00
		2022-23	40	43.03	40	43.03	0	0.00	40	43.03
37	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475)	2019-20	1	0.10	1	0.10	0	0.00	1	0.10
	कुल		31,406	58,592.91	3,263	24,295.94	1,226	7,276.44	2,037	17,019.50

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 121)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखों के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि[1] (30 जून 2024 तक)
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2022-23	2021-22	1999-2000	2023-24	3 माह[*]
2.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2022-23	2015-16	1996-97	2023-24	3 माह[*]
3.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात	-सम-	2022-23	2018-19	2009-10	2023-24	3 माह[*]
4.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
5.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	-सम-	2022-23	2022-23	1999-2000	2023-24	3 माह[*]
6.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2022-23	2021-22	2012-13	2023-24	3 माह[*]
7.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, हरियाणा	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है	2018-19 से 2022-23	5 वर्ष[$]
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2023-24	7 वर्ष[$]
9.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2022-23	2021-22	2009-10	2023-24	3 माह[*]
10.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., भिवानी	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
11.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2022-23	2022-23	----	2023-24	3 माह[*]
12.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2022-23	2021-22	1996-97	2023-24	3 माह[*]
13.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरूक्षेत्र	-सम-	2022-23	2021-22	1996-97	2023-24	3 माह[*]
14.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2022-23	2021-22	1996-97	2023-24	3 माह[*]
15.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
16.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2022-23-	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
17.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
18.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
19.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
20.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
21.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2022-23	2020-21	2011-12	2023-24	3 माह[*]
22.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह[*]
23.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2021-22 से 2022-23	2020-21	2012-13	2023-24	3 माह[*]
24.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2022-23	2022-23	2013-14	2023-24	3 माह[*]
25.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2020-21	2020-21	2012-13	2021-22 2022-23 2023-24	27 माह[*] 15 माह[*] 3 माह[*]
26.	होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), कुरूक्षेत्र	2016-17 से 2020-21	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
27.	होटल प्रबंधन संस्थान, यमुना नगर	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
28.	होटल प्रबंधन संस्थान, पानीपत	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
29.	होटल प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
30.	होटल प्रबंधन संस्थान, रोहतक	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-

[1] स्वायत्त निकायों के लेखों पर हर वर्ष 30 जून को विचार किया जाता है।

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि[1] (30 जून 2024 तक)
31.	हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं	2021-22 2022-23	-	-	2023-24	3 माह*
32.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	हुडा अधिनियम, 1977 की धारा 26 (2) के अनुसार	2020-21	2019-20	सूचना प्रतीक्षित	2021-22 2022-23 2023-24	26 माह# 14 माह# 2 माह#
33.	हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, पंचकूला	रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 77 (2) के अनुसार	2021-22	2021-22	सूचना प्रतीक्षित	2022-23 2023-24	14 माह# 2 माह#
34.	हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम	रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 77 (2) के अनुसार	2022-23	2020-21	एचआरईआरए गुरुग्राम ने 2019-20 और 2020-21 के लिए ऑडिट रिपोर्ट एसीएस, टीसीपी को राज्य विधानमंडल में रखने के लिए प्रस्तुत की है	2023-24	2 माह#
35.	हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकूला	2017-18 से 2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2021-22 2022-23 2023-24	26 माह# 14 माह# 2 माह#
36.	हरियाणा आवास बोर्ड, पंचकूला	2019-20 से 2023-24	2020-21	2020-21	वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट एसीएस, सभी के लिए आवास विभाग को सौंपी गई	2021-22 2022-23 2023-24	26 माह# 14 माह# 2 माह#
37.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, पंचकूला	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(2) के अनुसार	2022-23	2021-22	वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट ऊर्जा विभाग के सचिव को सौंपी गई।	2023-24	2 माह#
38.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम	जीएमडीए अधिनियम, 2017 की धारा 39 (2) के अनुसार	2022-23	2020-21	जीएमडीए ने 2017-18 से 2020-21 तक की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में रखने के लिए एसीएस, डीटीसीपी को सौंप दी है।	2023-24	2 माह#
39.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई। (2023-24 से 2027-28)	2018-19	2018-19	2017-18	2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24	चार वर्ष 4 माह@ तीन वर्ष 4 माह@ दो वर्ष 4 माह@ एक वर्ष 4 माह@ 4 माह@
40.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, हरियाणा[1]	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई।	2019-20 2020-21 2021-22	2019-20	2007-08	2022-23 2023-24	एक वर्ष 4 माह@ 4 माह@
41.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए	-	-	2013-14 से 2023-24	10 वर्ष 4 माह@
42.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), हरियाणा	-सम-	2018-19 से 2020-21	2018-19 **से** 2020-21	अभी प्रस्तुत की जानी है (2018-19 से)	2021-22 2022-23 2023-24	दो वर्ष 4 माह@ एक वर्ष 4 माह@ 4 माह@
43.	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड	-सम-	2018-19 से 2020-21 2021-22	2020-21	अभी प्रस्तुत की जानी है (2018-19 से)	2022-23 2023-24	एक वर्ष 4 माह@ 4 माह@

नोट: **$:- 30 जून 2024 तक की स्थिति**
#:- 31 अगस्त 2024 तक की स्थिति
***:- 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति**
@:- 31 अक्तूबर 2024 तक की स्थिति

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/hi